खण्ड १ — अंक २०
१५ मार्च, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(खण्ड १—अंक १ से २०—१७ फरवरी से १५ मार्च, १९५६ तक)

अंक १—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४६, ४८ से ५३, ५५ से ६० — १–२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ — २१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से २८, ३० से ४०, ४७, ६१ से ७२ — २३–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २९ — ४०–४८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४९–५२

अंक २—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७६, ७८, ७९, १०१, ८०, ८२ से ८५, ८७ से ९१ ... — ५३–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७७, ८६, ९२ से १००, १०२ से १०७ — ७४–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३० से ४८ — ७९–८४

दैनिक संक्षेपिका — ८५–८६

अंक ३—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११३, ११५, ११६, ११८, १२१ से १२६ और १२८ से १३१ — ८७–११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०९, ११२, ११४, ११७, ११९, १२०, १२७, १३२ से १३४, १३६ से १४० और १४२ से १४९ — ११०–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५५, ५७ से ६४ — ११७–२२

दैनिक संक्षेपिका — १२३–२४

पृष्ठ

अंक ४--बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५३, १५५, १५६, १६२ से १६८, १७१ से १७४, १७६, १७७, १७९ से १८२, १५४ और १६० १२५–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५७ से १५९, १६१, १६९, १७० और १७८ ... ... १४७–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ८१ १४९–५५

दैनिक संक्षेपिका १५६–५७

अंक ५--गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १९५, १९७, २०७ से २१० और १८३ ... ... १५८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०१ ... १७९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से ९४ ... १८०–८४

दैनिक संक्षेपिका ... १८५–८६

अंक ६--शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१८ से २३०, २३४ से २३८ ... ... १८७–२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २१७, २३१ से २३३, २३९ से २४५ ... ... २०९–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८ २१२–१६

दैनिक संक्षेपिका २१७–१८

अंक ७--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८५ से २९६, २९८ से ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३०८ से ३११ ... ... २१९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २८४, २९७, ३०२, ३०३, ३१३ से ३१५, ३१७, ३१८, ८१ २४०–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या. १०८ से १६७ २५३–७६

दैनिक संक्षेपिका २७७–८०

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ से ३२२, ३२४ से ३२७, ३२९, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६ से ३३९, ३४३ से ३४७, ३४९ २८१–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ४२८, ३३१, ३३३, ३३५, ३४० से ३४२, ३४८, ३५० से ३६९ ... ३०३–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ सें १८६ ३१२–१७

दैनिक संक्षेपिका ३१८–१९

अंक ९—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३९२ ३२०–४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३७९, ३८०, ३८३, ३८५, ३९३ से ३९९ ३४२–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०७ ३४६–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५५

अंक १०—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४०३, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२८ ... ३५६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५, ४२६ ... ३७७–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ से २२९ ३७९–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८६

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ ३८७–८९

दैनिक संक्षेपिका ३९०

अंक १२—सोमवार, ५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४३७, ४३९, ४४०, ४४२ से ४४४, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५२ से ४५४, ४६१, ४६३ से ४६५, ४६७ ... ३९१–४१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ से ४३२, ४३८, ४४१, ४४५, ४४७, ४५५ से ४५९, ४६२, ४६६ और ४६८ से ४७२ ४१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २३० से २५३ ४१८–२४

दैनिक संक्षेपिका ४२५–२७

अंक १३—मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४७६ से ४८१, ४८३, ४८५, ४८८ से ४९०, ४९२ से ४९४, ४९६, ४९८, ४९९, ५०२, ५०५, ५०७ और ५०८ ४२८–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३, ४७५, ४८२, ४८४, ४८६, ४८७, ४९१, ४९५, ४९७, ५००, ५०१, ५०३, ५०४, ५०६, ५०९ से ५३० ... ... ४५०–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ से २९९ ४६०–७८

दैनिक संक्षेपिका ४७९–८१

अंक १४—बुधवार, ७ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३५, ५३६, ५३९, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४७, ५५२ से ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५२१, ५३७, ५३८... ... ४८२–५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ५३२, ५३४, ५४१, ५४५, ५४८, ५४९, ५५१, ५५५ ५०१–०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० से ३१९ ५०३–१०

दैनिक संक्षेपिका ... ५११–१२

अंक १५—गुरुवार, ८ मार्च, १९५६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पदत्याग ५१३

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ५१३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२, ५८५, ५८७, ५७० और ५८४ ५१३–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२, ५६६, ५६९, ५७४, ५७७ से ५८१, ५८३, ५८६ और ५८८ ५२९–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२० से ३२५ ५३३–३४

दैनिक संक्षेपिका ५३५–३६

अंक १६—शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९० से ५९४, ५९९ से ६०१, ६०४ से ६०६, ६०८ से ६१०, ६१३ से ६१६, ५८९, ६०२, ६०३ और ६०७ ५३७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ५९८, ६११, ६१२ और ६१७ ५५८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३४६ ५५९–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–६७

अंक १७—सोमवार, १२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८ से ६४५, ५५९, ६२१ ५६८–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२२, ६२५, ६२७, ६३१, ६३३, ६३७ ... ... ५८९–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३६२ ५९१–९७

दैनिक संक्षेपिका ५९८–९९

पृष्ठ

अंक १८—मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४९, ६५०, ६५३, ६५२, ६५५, ६५६, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ से ६६५, ६६७ से ६७४ और ६७६ से ६७९ ६००–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८, ६५१, ६५४, ६५७, ६५९, ६६२, ६६६, ६७५ और ६८० ६२१–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३७९ ६२३–२८

दैनिक संक्षेपिका ६२९–३०

अंक १९—बुधवार, १४ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८४ से ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ६९८ से ७०३, ७०७ से ७०९, ६८३, ६८८, ६८१, ६९५ ... ... ६३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९४, ६९६, ६९७, ७०४ से ७०६ और ७१० ... ... ६५२–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४०८ ... ६५५–६४

दैनिक संक्षेपिका ६६५–६६

अंक २०—गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७११ से ७१४, ७१६ से ७२०, ७२२, ७२३, ७२५ से ७२९, ७३१, ७३४, ७३२, ७१५, ७२१ और ७२४ ... ... ६६७–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ ... ६८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१८ ६८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ... ६९१

M20LSD—190—7-3-58—GIPF.

लोक-सभा

गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सम्पदा शुल्क

†*७११. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन में सम्पत्तियों पर दुहरा सम्पदा शुल्क लगाने को रोकने के लिये भारत और ब्रिटेन में प्रस्तावित करार के बारे में अंतिम रूप से बातचीत हो गई है और क्या समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां तो वह करार किस प्रकार का है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी हां। बातचीत हुई है और करार का प्रारूप शासकीय स्तर पर तैयार हो गया है। यह तभी लागू होगा जब कि दोनों सरकारें इसका अनुसमर्थन कर दें।

(ख) चूंकि यह करार अभी प्रारूप की स्थिति में है अतः जनहित की दृष्टि से इस समय इसकी बातें बताना अच्छा नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : सरकार इस करार का कब तक अनुसमर्थन करेगी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : बहुत जल्दी।

†**श्री बंसल** : चूंकि यह करार दो सरकारों के बीच वित्तीय आदान-प्रदान सम्बन्धी है तो क्या यह करार संसद के विचारार्थ रखा जायगा ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं समझता हूं कि विचारार्थ तो नहीं रखा जायगा किन्तु करार की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जायगी।

†**सरदार हुक्म सिंह** : क्या कोई ऐसे मामले आये हैं जिनमें सम्पत्तियों पर दुहरा कर लगाया गया था अथवा किसी अन्य रूप में कोई कमी पाई गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री एम० सी० शाह** : सम्पदा शुल्क अधिनियम की धारा ३० के अधीन सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत दुहरा कर लगाने से बचाने के लिये यह करार करने के लिये हमें अधिकार दिया गया है। मेरे विचार से अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है। किन्तु जब इस प्रकार का मामला आये तो हमें करार कर लेना चाहिये।

†**श्री बंसल** : क्या अन्य किसी दूसरे देशों से भी हम इस प्रकार की बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं अथवा वे हमसे बातचीत करने की सोच रहे हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री श्रीनारायण दास** : ब्रिटेन और भारत में सम्पदा शुल्क की दरों में क्या अन्तर है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके लिये मुझे सूचना चाहिए।

विकलांगों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय मंत्रणा परिषद्

*७१२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय मंत्रणा परिषद् ने कोई सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, जी।

(ख) कई योजनाओं को जिनकी परिषद् ने सिफारिश की थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : अन्य योजनाएं क्या हैं जिनमें से कुछ आप आगामी योजना काल में क्रियान्वित करना चाहते हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : १८ मदों की लम्बी सूची है। उनमें से कुछ मुख्य मदें माननीय सदस्य को बताऊंगा। छात्रवृत्तियां केवल अंधों के लिये ही नहीं अपितु मूक व्यक्तियों, विकलांगों, लंगड़ों आदि के लिये भी; मानसिक विकार वालों के लिये भी; अंधे बच्चों के नर्सरी स्कूल के लिये जिसमें वे रह सकें तथा मूक बच्चों के लिये भी वैसे ही नर्सरी स्कूल के हेतु भवन निर्माण। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरी मदें भी हैं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : कितना धन व्यय किया गया था अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया है जिसके फलस्वरूप हम विकलांगों को जीविका दे सके हैं अथवा उनके जीवन का प्रबन्ध कर सके हैं।

†**डा० एम० एम० दास** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में कुछ कार्य किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमारा ठोस कार्यक्रम है और जहां तक कि केन्द्रीय सरकार की योजनाओं का सम्बन्ध है उन पर १५० लाख रुपये व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के सहयोग से आरंभ की जाने वाली योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये ५० लाख रुपये अलग रखे गये हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इन योजनाओं को तैयार करने से पूर्व क्या कोई सर्वेक्षण किया गया था अथवा देश के विकलांगों की संख्या मालूम की गई थी और यदि हां तो क्या वे प्रतिवेदन मिल सकते हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस प्रकार के सर्वेक्षण का एक प्रस्ताव है। हमारी जनगणना के प्रतिवेदन के अतिरिक्त कोई और सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या सरकार ने कोई निर्धन गृह अथवा विकलांगो के लिये कोई ऐसा गृह खोला है जहां ये व्यक्ति जो काम करने के योग्य हैं और जीविकोपार्जन कर सकते हैं, रह सकें ? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†**डा० एम० एम० दास** : स्मरण शक्ति के आधार पर ही कह रहा हूं देहरादून के अंधों के स्कूल के सिलसिले में वहां एक गृह की स्थापना की गई है ।

दक्षिण भारतीय भाषाओं का अध्ययन

†*७१३. **श्री डाभी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय प्रशासित विश्वविद्यालयों में दक्षिण की कुछ भाषाओं का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) जी, हां । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुछ भाषाओं के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक देने का निश्चय किया है ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**

†**श्री डाभी** : विवरण में बताया है कि विद्यार्थियों में अखिल भारतीय भावना बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने अलीगढ़, बनारस, और शांतिनिकेतन विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बन्धी वर्ष १९५३ से निम्नलिखित भाषाओं में से प्रत्येक भाषा जैसे बंगाली, मराठी, तामिल, तेलगू, मलयालम, और कन्नड़ के अध्ययन के लिये क्रमश: ५०० रुपये और २५० रुपये के दो पुरुस्कार देना निश्चित किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन भाषाओं में गुजराती को, जो संविधान में वर्णित १४ भाषाओं में से है, क्यों नहीं सम्मिलित किया गया ?

†**डा० एम० एम० दास** : ठीक कारण तो मैं नहीं जानता । किन्तु सम्भवत: देश के दो कोनों से दो भाषाएं चुनी गईं थीं--एक भाषा देश के पूर्वी भाग से तो दूसरी पश्चिमी भाग से । मैं ठीक से नहीं कह सकता ।

†**श्री डाभी** : क्या सरकार के विचार से गुजराती भाषा काफी विकसित नहीं है ?

†**डा० एम० एम० दास** : ठीक कारण तो मैं नहीं बता सकूंगा । इसके बारे में मैं ज्ञात करूंगा और सभा को बताऊंगा ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या किसी विद्यार्थी ने इन भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है और कितने विद्यार्थियों नें ?

†**डा० एम० एम० दास** : १९५३-५४ अर्थात् योजना के प्रथम वर्ष में दो विद्यार्थियों ने बंगाली ली थी और उन्हें पुरुस्कार मिले थे । विश्वभारती में वे तामिल भाषी थे । १९५४-५५ में दिल्ली विश्वविद्यालय में कुमारी माधुरी नामक विद्यार्थी ने मराठी ली थी और उन्हें पुरुस्कार मिला था । १९५५-५६ में दिल्ली विश्वविद्यालय में लक्ष्मी नारायण नामक तामिल भाषी विद्यार्थी ने बंगाली ली थी और उन्हें पुरुस्कार मिला था ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : उत्तर से प्रकट है कि बहुत थोड़े से विद्यार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है । दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिये यह प्रोत्साहन नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल प्रश्न करें । आप क्या पूछना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस योजना को अपनाने की सिफारिश की है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १० अगस्त की अन्तिम बैठक में निश्चय किया है कि कुछ चुनी हुई प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन के पुरुस्कारों का दिया जाना राज्यीय विश्वविद्यालयों तक भी बढ़ा दिया जाना चाहिये। इन परीक्षाओं के लेने सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : उत्तर के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिये दिये गये प्रोत्साहन के फलस्वरूप क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत में हिन्दी का अध्ययन करने के लिये कुछ रुपया व्यय करने का है अथवा सरकार ने कितने रुपये व्यय किये हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : यही ५०० रुपये तथा २५० रुपये के दो पुरुस्कार हमने शुरू किये हैं जो प्रति मास दिये जायेंगे। चालू वर्ष अर्थात् १९५५–५६ के लिये हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये १२ छात्रवृत्तियां प्रारम्भ की हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश केवल ८ विद्यार्थियों ने इन छात्रवृत्तियों से लाभ उठाया है। आगामी पंचवर्षीय योजना में हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये इन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का हमारा विचार है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत में छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर लगभग ५०० करने का विचार है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या प्रत्येक भाषा के लिये किसी विश्वविद्यालय को केन्द्र बना दिया गया है, और यदि हां, तो फिर दक्षिण से आने वाला एक विद्यार्थी विश्वभारती न जाकर दिल्ली में बंगाली का अध्ययन क्यों करता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को इस मामले पर तर्क नहीं करना चाहिये। यदि उन्हें कोई सुझाव देना है तो वे मंत्री को बाद को भेज सकते हैं। केवल तथ्य जानने के लिये इस प्रथा को अपनाने की मैं आज्ञा दे सकता हूं ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्रत्येक भाषा के लिये कोई केन्द्र निश्चित नहीं किया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह योजना केवल चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में चालू की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब इस योजना को अन्य राज्यीय विश्वविद्यालयों में भी चालू करने वाला है ।

अफगान वायु सेना के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†*७१४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अफगान वायु सेना के कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षा दी है; और

(ख) यदि हां, तो १९५५ म कुल कितने अफगान राष्ट्रजनों ने प्रशिक्षा ली है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां ।

(ख) ८० ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** . क्या इस वर्ष भी प्रशिक्षा दी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री त्यागी** : जी। पत्री वर्ष के अनुसार यह प्रशिक्षा नहीं दी जाती। व कभी-कभी पाठ्यक्रम के लिये यहां आते हैं और क्यों कि बहुत से पाठ्यक्रमों में वे प्रशिक्षण ले रहे हैं इसलिये उनका समय भी बदलता रहता है। इसलिये इस वर्ष भी कुछ अफगान सैनिक छात्र प्रशिक्षण ले रहे होंगे।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन अफगान सैनिक छात्रों का प्रशिक्षण देने का क्या उद्देश्य है ?

†**श्री त्यागी** : अफगान सरकार ने हमसे प्रार्थना की थी कि उनके कुछ सैनिक छात्रों और वायु बल के पदाधिकारियों को भारत वर्ष में प्रशिक्षण दिया जाय, क्योंकि संभवत: उनके यहां कोई प्रशिक्षण संस्था नहीं है; और एक मित्र राष्ट्र की भांति हमने इस प्रशिक्षण की सुविधा दी।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या प्रतिरक्षा विभाग के अन्य विभागों में भी अफगान राष्ट्रजनों को प्रशिक्षा दी जाती है ? क्या अन्य दूसरे एशियाई राष्ट्रों को भी यह सुविधा दी जाती है ?

†**श्री त्यागी** : यह सब तो उनकी प्रार्थना करने पर निर्भर है। और स्थान रिक्तता के आधार पर उन पर विचार किया जाता है। जैसे ही और जब कभी कुछ मित्र राष्ट्र प्रार्थना करते हैं--दूसरे देशों में प्रशिक्षा सम्बन्धी सुविधा की आवश्यकता पड़ने पर जैसा कि हम भी करते हैं--तो गुणिता के आधार पर उन पर विचार किया जाता है।

***सरदार ए० एस० सहगल** : क्या मैं जान सकता हूं कि अफगानिस्तान वालों के अलावा दूसरे एशियाटिक कंट्रीज के लोगों ने भी इस प्रकार की प्रार्थनायें भेजी हैं ?

श्री त्यागी : कभी-कभी इंडोनेशिया के कुछ आदमी आ जाते हैं, बर्मा के भी कुछ कैडेट्स यहां ट्रेनिंग पाते है। अगर एशिया के दूसरे कोई मुल्क इस बात को लिखें तो उस पर विचार करने को गवर्नमेंट तैयार है।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या अफगानिस्तान के प्रशिक्षार्थी अपने देश में भी प्रशिक्षा पाये हुए होते हैं अथवा नहीं ?

†**श्री त्यागी** : मुझे इस का कोई ज्ञान नहीं है।

कन्द्रीय शिक्षा संस्था

†***७१६. श्री इब्राहीम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) केन्द्रीय शिक्षा संस्था पर कितना वार्षिक व्यय हुआ; और

(२) गत दो वर्षों में प्रत्येक विद्यार्थी पर कितना व्यय हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]**

†**श्री इब्राहीम** : वहां नर्सरी स्कूल की स्थापना करने में क्या उद्देश्य हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : शिक्षा की केन्द्रीय संस्था में एक नर्सरी स्कूल संस्था में प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थी अध्यापकों के लिये प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने हेतु खोला गया है और इस प्रकार छोटे बच्चों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का अवसर भी मिल जाता है।

†**श्री इब्राहीम** : क्या बुनियादी स्कूलों में प्रवेश की इच्छा रखने वाले बहुत से विद्यार्थियों को वहां आवास नहीं मिलता ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह ठीक है, स्कूल में आजकल १५० विद्यार्थी हैं। एक नया भवन बनाने का भी प्रस्ताव है जो अब स्वीकृत हो गया है। ऐसी आशा की जाती है कि इस प्रस्तावित नये भवन के पूरा हो जाने के पश्चात् अधिक विद्यार्थियों को रखना संभव हो सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री इब्राहीम** : केन्द्रीय शिक्षा संस्था में कुल कितने विद्यार्थी हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : संस्था में कुल विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है :

नर्सरी स्कूल	२५
बुनियादी स्कूल	१५०
बी० एड० प्रशिक्षण	९२
एम० एड० प्रशिक्षण	१८
पी० एच० डी० रिसर्च	१२

†**श्रीमती जयश्री** : क्या बम्बई के नूतन बाल शिक्षा संघ को जो नर्सरी स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहा है कोई सहायता दी जा रही है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह अलग प्रश्न है ।

सेना में हिन्दी

*७१७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना में हिन्दी के प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अधीन ३१ जनवरी, १९५६ तक कितने फौजी अफसरों तथा अन्य सैनिकों ने हिन्दी सीखी; और

(ग) इस योजना पर अब तक कितना व्यय हुआ ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, हां । सेना में हिन्दी का प्रचार करने के लिए एक स्कीम सन् १९५१ से चल रही है ।

(ख) करीब ९४ प्रतिशत सेना के अफसरों तथा सभी अदर रैंक्स ने देवनागरी लिपि में हिन्दी सीख ली है ।

(ग) सेना को शिक्षा के लिए जो साधारण अलाटमेण्ट होता है, खर्च उसी में से किया जाता है । हिन्दी-प्रचार के खर्च का अलग आंकड़ा नहीं रखा जाता ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ऐसा इन्तजाम सोचती है कि जो हिन्दी-भाषी प्रान्तों के आदमी सेना में हैं वे अहिन्दी-भाषी प्रान्तों के आदमियों को हिन्दी सिखावें ?

श्री त्यागी : चूंकि सेना के सभी जवान हिन्दी सीख चुके हैं इसलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है ।

सेठ गोविन्द दास : सेना में जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है क्या उनमें से अभी कुछ लोग ऐसे भी बाकी हैं जो हिन्दी नहीं जानते ?

श्री त्यागी : सेना में जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है वे सब हिन्दी सीख चुके हैं । पहले उनको रोमन लिपि के द्वारा हिन्दी सिखायी जाती थी लेकिन अब उन्होंने देवनागरी लिपि में हिन्दी सीख ली है । केवल अफसरों में, जैसा कि मैंने कहा, अभी कुछ बाकी हैं । अफसरों में ९४ प्रतिशत हिन्दी सीख चुके हैं, केवल ६ फीसदी ऐसे रह गये हैं जो अभी हिन्दी नहीं सीख पाये हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि अफसरों में ९४ प्रतिशत हिन्दी सीख चुके हैं ६ प्रतिशत नहीं सीख पाये हैं । क्या इन्होंने सीखने का प्रयत्न ही नहीं किया है या अभी सीख रहे हैं अथवा पूरी तरह से नहीं सीख पाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री त्यागी : बात यह है कि यह ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि जब कभी अफसरों की भरती हो तो हिन्दी की परीक्षा ली जाये। लेकिन जो पहले से सेना में हैं उनको समय दे दिया गया है कि वे नियत समय में हिन्दी की परीक्षायें पास कर लें। अभी इन्होंने ये परीक्षायें पास नहीं की हैं।

†**श्री जी० एस० सिंह** : क्या गोरखा बटालियनों के भी सभी सैनिक हिन्दी बोलते हैं ?

†**श्री त्यागी** : वे हिन्दी बोलते हैं अथवा नहीं इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। निस्संदेह वे अपनी गोरखाली भाषा भी बोलते होंगे क्योंकि किसी प्रादेशिक भाषा पर कोई बंधन नहीं है।

†**श्री सी० डी० पांडे** : गोरखाली तो भारत की एक उप-भाषा है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंग्रेजों के वक्त में हिन्दी जानने वाले अफसर जो सूबेदार मेजर हो गये थे उनको नई प्रणाली के अनुसार अंग्रेजी न जानने की वजह से फिर रिड्यूस किया गया है ?

श्री त्यागी : इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। समुद्र के अन्दर से एक बूंद का निकालना मुश्किल होता है।

प्रदर्शनार्थ लाये गये विदेशी सामान पर आयात शुल्क

†*७१८. **श्री के० के० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष नई दिल्ली में हुई औद्योगिक प्रदर्शनी में विदेशी औद्योगिक साथों द्वारा प्रदर्शनार्थ भारत में लाई गई वस्तुओं पर सामान्यत: आयात शुल्क लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो (१) प्रदर्शनार्थ वस्तुओं का लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य, तथा (२) प्राप्त आयात शुल्क कितना था; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो औद्योगिक प्रदर्शनी में उपभोक्ताओं को बेची गयी प्रदर्शनार्थ वस्तुओं पर आयात शुल्क के रूप में कुल कितने रुपये इकट्ठे किये गये हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) प्रदर्शनार्थ वस्तुओं के आयात करने के समय कोई आयात शुल्क नहीं लिया गया था। उन पर आयात शुल्क देने से इसलिये छूट देदी गई थी कि आयात की तिथि से ६ महीने के भीतर उन्हें भारत से फिर निर्यात कर दिया जायेगा। उन वस्तुओं पर जिनका कि फिर से निर्यात नहीं हुआ आयात शुल्क लिया गया था।

(ख) (१) २,२५,१९,४७० रुपये।

(२) प्रश्न के (क) भाग को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में रोकी गई प्रदर्शनार्थ वस्तुओं पर फरवरी १९५६ के अन्त तक लिया गया कुल आयात शुल्क रुपये ९,२५,७४१-१-० हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों में हमने जो सामान भेजा था उसके बारे में भी शुल्क सम्बन्धी ऐसी ही शर्तें थीं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। यह प्रश्न उद्योग और वाणिज्य मंत्री से सम्बन्धित है जो इन प्रदर्शनियों की व्यवस्था करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अफीम विभाग के कर्मचारी

†*७१९. **श्री यू० एम० त्रिवदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व देशी राज्यों के विलयन के बाद राजस्थान और मध्य भारत राज्यों में अफीम पटवारियों की नौकरियों की उत्संज्ञा और वर्गीकरण में परिवर्त्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)**: (क) और (ख). भारत सरकार ने राजस्थान और मध्य भारत राज्यों के किन्हीं भी अफ़ीम पटवारियों को अपने अन्तर्गत नहीं लिया है। इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या यह सच है कि इन तथाकथित अफीम पटवारियों को राजस्थान और मध्य भारत के एकीकृत राज्यों में अफीम गश्त-कर्मचारी के नाम से पुकारा जाता था ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : वहां कुछ अफ़ीम गश्त-कर्मचारी भी हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि उनको अफीम पटवारी कहा जाता था। वहां कुछ अफ़ीम गश्त-कर्मचारी थे और हमने उन में से कुछ को अपने अन्तर्गत ले लिया था।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या यह सच है कि इन अफीम गश्त-कर्मचारियों का वर्गीकरण अब ज़िलेदारों के रूप में किया जा रहा है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मेरा ख्याल है कि कुछ क्षेत्रों में उनको जिलेदार कहा जाता है। दूसरे क्षेत्रों में गश्त-कर्मचारियों के लिये हमारा दूसरा क्रम है; उनको कोठी मुहर्रिर कहा जाता है।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या यह सच नहीं है कि अब इन अफीम गश्त-कर्मचारियों का वर्गीकरण जिलेदारों के रूप में किया गया है, और इस प्रकार अब उनको निम्नतर नौकरी में रख दिया गया है, यद्यपि वह राजस्थान और मध्य भारत सरकारों के अधीन ऊँची नौकरियों पर थे और उस नौकरी से सम्बद्ध छुट्टियों के और अन्य नियमों द्वारा शासित होते थे ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मध्य भारत के इन अफीम गश्त-कर्मचारियों को २५ रुपये से ३५ रुपये तक वेतन मिलता था, परन्तु एकीकरण के बाद इनका वेतन ३५ रुपये से ५० रुपये तक नियत कर दिया गया है। सरकार की नीति और संकल्प के अनुसार ६० रुपये से कम वेतन पानेवाले प्रत्येक कर्मचारी का वर्गीकरण चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में किया जायेगा। इसलिये इस श्रेणी के समस्त गश्त-कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी में रख दिया गया है। परन्तु निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में उनको तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भी कुछ सुविधायें दी गयीं हैं। दूसरी ओर, राजस्थान के गश्त-कर्मचारियों को ४० रुपये से १०० रुपये तक के एक उच्चतर क्रम में रखा गया है। एकीकरण के बाद उनका वेतन ५५ रुपये से १३० रुपये तक नियत किया गया है और उनको तृतीय श्रेणी के कर्मचारी माना गया है।

आद्यरूप मशीनरी औजार कारखाना, अम्बरनाथ

†*७२०. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलरूप मशीनी औजार निर्माण कारखाने की ब्रिटिश मशीनी औज़ार विशेषज्ञ, श्री स्कैफै द्वारा की गई आलोचना का रोल्स रौयस के इन्जीनियरों द्वारा समर्थन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रोल्स रौयस के इन्जीनियरों ने किस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) और (ख). रोल्स रौयस दल द्वारा की गई आलोचना दो ही बातों तक सीमित थी, अर्थात् (१) प्रवीण श्रमिकों की अपर्याप्तता, जिसके फलस्वरूप मशीनी औजारों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता और (२) अम्बरनाथ के मूलरूप मशीनी औजार निर्माण कारखाने के शिल्प प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण की अवधि, जो दल को अत्यधिक प्रतीत हुई। परन्तु श्री स्कैफै द्वारा की गई आलोचनायें अनेक पहलुओं से सम्बन्धित थीं, अर्थात् उत्पादन का अपर्याप्त नियोजन, उच्चतर प्रौद्योगिकीय निदेशन के लिये कर्मचारियों की कमी, सार्वजनिक क्षेत्र में मशीनी औजारों के निर्माण की अनुपयुक्तता आदि, जबकि उन्होंने उस शिल्प प्रशिक्षण योजना को, जिसकी रोल्स रौयस दल ने आलोचना की है, 'अत्युत्तम' बताया था।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार का ध्यान वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने स्कैफै के प्रतिवेदन की सराहना की है और कहा है कि देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मशीनी औजार उद्योग का विकास बहुत धीमा है ?

†**श्री त्यागी** : जी, हां। हम ने वह वक्तव्य पढ़ा है।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि श्री स्कैफै का प्रतिवेदन गोपनीय रखा जाना था किन्तु गल्ती से वह प्रकाशित कर दिया गया था ? यदि हां, तो इसके समय से पहले ज्ञात हो जाने के लिए कौन उत्तरदायी था ?

†**श्री त्यागी** : मेरे विचार में इस मामले में समय से पहले ज्ञात होने की कोई बात नहीं थी, यह कोई अत्यन्त गोपनीय प्रतिवेदन नहीं था और यदि यह गोपनीय था, तो उस समय तक के लिए था जब तक कि सरकार इस पर विचार न कर ले। सरकार के निर्णय के बाद, मेरे विचार से इसमें कोई गोपनीयता नहीं थी।

†**श्री गिडवानी** : मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने उक्त वक्तव्य को पढ़ा था, इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री त्यागी** : हम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को बता रहे हैं कि बहुत से मामलों में हमारी मशीनों का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। शस्त्रों आदि के आद्यरूपों के निर्माण के लिए उन मशीनों का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया जा सकता था। उन अन्य मशीनों के बारे में जिन का इस समय असैनिक आवश्यकताओं के लिये आद्यरूप आदि बनाने के हेतु उपयोग किया जा रहा है, हम परामर्श करके यह प्रबन्ध करेंगे कि इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाये।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस विषय में दो वरिष्ठ मंत्रियों ने दो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिये थे। एक माननीय मंत्री न इस सदन में दिया था और दूसरा इस का प्रतिवाद करते हुए वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री ने दिया था। क्या मंत्रालय ने सहमति और मतभेद के विषयों की ओर ध्यान दिलाया था ?

†**श्री त्यागी** : मैं इन दोनों वक्तव्यों का समन्वय करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

†**डा० रामा राव** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री की सार्वजनिक क्षमायाचना की ओर दिलाया गया है, जो उन्होंने सहयोगी मंत्रालयों द्वारा—अनुमानतः प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा—श्री स्कैफै के विरुद्ध की गई आलोचना के सम्बन्ध में की थी ?

†**श्री त्यागी** : मैं उस वक्तव्य को उतना आलोचनात्मक नहीं समझता हूं जितना कि मेरे माननीय मित्र समझ रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

डा० रामा राव : उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की थी ।

अध्यक्ष महोदय : हम असंगत मामलों में जा रहे हैं ।

खनिज तेल

†*७२२. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में खनिज तेल मिलने की कोई सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में उपयुक्त मोटाई के अवसाद पाये जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार वहां गहन सर्वेक्षण कराने की प्रस्थापना करती है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें खनिज तेल वाले अवसाद पाये जाते हैं ।

(ख) ऐसे दो क्षेत्र हैं अर्थात् गोदावरी-कृष्णा घाटी और कावेरी घाटी । इन में से दूसरे को अधिक उपयुक्त समझा जाता है क्योंकि इस का क्षेत्र अधिक विस्तृत है और अवसादों की मोटाई भी अधिक है ।

(ग) इन क्षेत्रों को चालू योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु कुछ प्रारम्भिक भूतत्वीय और भौतिकीय खोज की जानी संभव है ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या विदेशी विशेषज्ञों को, विशेषकर रूसी विशेषज्ञों को, जो यहां हैं इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह जानकारी रूसी विशेषज्ञों के आने से पहले ही हमारे पास थी । इसके अतिरिक्त, रूसी विशेषज्ञ भी इन स्थानों का दौरा कर रहे हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार मुख्य उत्पाद पैट्रोलियम, जिसकी खोज का कार्य विदेशियों को सौंप दिया गया है, और खनिज तेल में, जो कि एक उपोत्पाद है, कोई विभेद कर सकती है ? क्या सरकार खनिज तेल का हमारे अपने विशेषज्ञों द्वारा पता लगाये जाने का प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी हां, सरकार सभी प्रकार से तेल को खोजने के लिये अपने ही कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या गोदावरी घाटी में खनिज तेल की खोज किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को आंध्र विश्वविद्यालय से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : गोदावरी घाटी में खनिज तेल की खोज करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन नहीं है। किन्तु हमें ज्ञात है कि आंध्र विश्वविद्यालय के भूतत्ववेत्ता ने भी प्रारम्भिक जानकारी के आधार पर, इन परतदार चट्टानों की पहिचान के आधार पर, काम किया था ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : माननीय मंत्री किस आधार पर यह कह सके हैं कि गोदावरी घाटी इस आवश्यक तेल से भरपूर नहीं है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इस का आधार भूमि की भूतत्वीय बनावट है ।

†**श्री आर० सी० नरसिंहन्** : कावेरी डेल्टा के बारे में माननीय मंत्री द्वारा इतनी आशा प्रकट किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, वह क्या कारण हैं जिन्होंने सरकार को इस मामले को शीघ्र कोई कार्यवाही करने से बाधित किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : इसके कारण केवल वित्तीय तंगी और टेक्निकल कर्मचारियों की कमी है।

एच० टी०–२ विमान

*७२३. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर द्वारा कितने एच० टी०–२ विमान बनाये गये; और

(ख) ऐसे कितने विमान बेचे गये और किन देशों को ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ३५ (पैंतीस)।

(ख) यह सब विमान आई० ए० एफ० और डी० जी० सी० ए० को बेचे गये हैं। किसी बाहरी देश को कोई विमान नहीं बेचा गया है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : आयात किये गये विमानों के मूल्य की तुलना में इन विमानों की उत्पादन लागत कितनी है ?

†**श्री त्यागी** : इन विमानों का विक्रय मूल्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है। उसे लागत के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यह लागत आयातित माल के मूल्य के प्रायः बराबर ही होती है।

†**श्री सी० डी० पांडे** : इस बात को देखते हुए कि एच० टी०-२ एक बहुत ही सरल मशीन है, क्या सरकार किन्हीं ऐसे महत्वपूर्ण यंत्रों का, जो देश की प्रतिरक्षा के लिये उपयोगी हों, निर्माण करने का विचार रखती है ?

†**श्री त्यागी** : यह भी विचाराधीन है।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : माननीय मंत्री ने कहा कि विदेश-निर्मित विमान के मूल्य की तुलना में इन विमानों की लागत ठीक ही बैठती है। क्या मैं जान सकता हूं कि यहां लागत क्या है ?

†**श्री त्यागी** : यहां लागत कोई एक लाख रुपये है। किन्तु मैं यह निश्चयपूर्वक नहीं बता सकता कि विक्रय मूल्य क्या होगा ?

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि इस सदन में यह कहा गया था कि एच० टी०-२ विमान को एशियाई देशों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि इन विमानों का निर्माण अब इतना क्यों नहीं किया जा रहा है कि उनका निर्यात भी किया जा सके ?

†**श्री त्यागी** : हाल ही में हमने इस विमान को विमानों की कतिपय उड़ानों में भाग लेने और प्रदर्शनों म भाग लेने के लिये पेनांग, रंगून, बैंकाक, कुआलालम्पुर, सिंगापुर आदि स्थानों को भेजा था। जिन लोगों ने उन प्रदर्शनों को देखा उनकी प्रतिक्रियायें अनुकूल ही रही हैं और हम आशा करते हैं कि हमें कुछ आर्डर प्राप्त होंगे।

सामाजिक और नैतिक सदाचार उपसमिति

*७२५. **डा० सत्यवादी** : क्या शिक्षा मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक और नैतिक सदाचार उपसमिति की किन-किन सिफारिशों को सरकार न स्वीकार कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उन को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का अभाव है जो सामाजिक और नैतिक सादाचार के क्षेत्र में उपयोगी हो सकते हों ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह प्रश्न पूछे गये प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

***श्रीमती इला पालचौधरी** : तथाकथित "छुड़ाई गई" महिलाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण देने और उन्हें स्वावलम्बी बनाने की प्रस्थापना है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह प्रश्न समयोचित नहीं है किन्तु देश के विभिन्न भागों में निकेतनों की स्थापना करने की प्रस्थापना है ।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या स्कूलों और कालिजों में सामाजिक शिक्षा दिये जाने के बारे में की गई सिफारिश को सरकार स्वीकार करने जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या को न केवल माननीय मंत्री को वरन् सदन को भी सम्बोधित करना चाहिये ।

†**डा० एम० एम० दास** : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

दिल्ली में यातायात सम्बन्धी नियम

†***७२६. श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री, २ दिसम्बर, १९५५, को पूछे गय तारांकित प्रश्न संख्या ३८५ पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५ में यातायात सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने सम्बन्धी के अपराध में कितने साइकिल चलाने वालों पर अभियोग चलाया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : ४२,५३२ ।

†**श्री डाभी** : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया ?

†**श्री दातार**: १९५५ में, उन ११५४ के अतिरिक्त, जिन्हें कि चेतावनी दी गई थी, ७,०५८ व्यक्तियों को दंड दिया गया ।

†**श्री डाभी** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि साइकिलों पर दो से लेकर चार व्यक्तियों का बैठना और बिना घंटी और बत्ती के साइकिल चलाना दिल्ली में अब भी जारी है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य का कथन बहुत कुछ सही है ।

†**श्री डाभी** : क्या यह सच नहीं है कि पुलिस ऐसे साइकिल सवारों की ओर से आंखें मून्द लेती है ?

†**श्री दातार** : ऐसी बात नहीं है । किन्तु कभी-कभी कार्यवाही करना अत्यधिक कठिन हो जाता है क्योंकि मौजूदा विधि पर्याप्त कठोर नहीं है और यही कारण है कि हम दिल्ली में बम्बई पुलिस अधिनियम के कुछ उपबन्ध जारी करने की प्रस्थापना करते हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कितने मामलों में अभियोजन असफल हुआ है और इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दातार** : ४२,५३२ मामलों में से १५,१५७ मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि नियम भंग करने वाले व्यक्तियों द्वारा गलत पते बताये गये थे ।

†**श्री मात्तन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि दिल्ली में जिस ढंग से यातायात सम्बन्धी नियम लागू किये जाते हैं वह समूचे भारत को देखे सबसे खराब तरीका है ?

†**श्री दातार** : मुझे इस बात में संदेह है; यद्यपि वह खराब अवश्य है । मैं इसे स्वीकार करता हूँ । किन्तु देश में बम्बई जैसे बड़े शहर भी हैं जहां दुर्घटनाओं का आपात दिल्ली और नई दिल्ली की अपेक्षा कहीं अधिक है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मंत्री महोदय ने यह बताया कि कानून के कारण हम कोई कार्यवाही ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, तो जो वर्तमान कानून है, उसको बदलने का क्या आप कोई ख्याल करेंगे ?

†**श्री दातार** : इसका उत्तर तो मैं अभी ही दे चुका हूं । हम अपराध को हस्तक्षेप्य बनाने की ओर वाहनों को अवरुद्ध करने का अधिकार ग्रहण करने की प्रस्थापना कर रहे हैं ।

अन्तर्राज्यिक पुलिस बेतार व्यवस्था

†*७२७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यिक पुलिस बेतार व्यवस्था सारे देश में फैला दी गई है; और

(ख) सारे देश में कुल कितने अन्तर्राज्यिक बेतार पुलिस केन्द्र हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) अन्तर्राज्यिक पुलिस बेतार व्यवस्था सभी राज्यों में जारी कर दी गई है ।

(ख) २६ ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या किन्हीं राज्यों में यह केन्द्र राज्य सराकार द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं ?

श्री दातार : हैदराबाद और इंदौर में दो केन्द्र ऐसे हैं जो अभी तक राज्य सरकारें ही चलाये जा रही हैं, परन्तु १९५६–५७ में, यह स्टेशन भी केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय कलैन्डर

*७२८. **श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ७ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों की राय जानने के पश्चात् एक राष्ट्रीय कलैन्डर अपनाने के बारे में निर्णय करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : कलैंडर सुधार समिति की रिपोट राज्य सरकारों के पास उन की टीका-टिप्पणी के लिये भेजी गई थी । उनमें से लगभग आधे राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं और बाकी सरकारों के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या उन राज्यों को कोई अनुस्मारक भेजे गये हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : मुझे खेद है कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है कि अनुस्मारक भेजे गये हैं या नहीं; परन्तु उत्तर प्राप्त हो रहे हैं ।

†**श्री राधा रमण** : जिन राज्यों से उत्तर मिले हैं वह उत्तर किस प्रकार के हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : सौराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने प्रस्तावों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है; बम्बई और पंजाब ने वैकल्पिक सुझाव दिये हैं। हैदराबाद की भांति कई राज्यों को प्रस्ताव के सम्बन्ध में सन्देह है ।

†**श्री राधा रमण** : जिन राज्यों ने उत्तर नहीं भेजे हैं क्या उनके लिये सरकार ने कोई समय सीमा निश्चित की है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : कोई समय सीमा नहीं है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या भारत सरकार स्वयं प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर अपने विचार भी प्रकट करने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हम अभी राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके पश्चात् हम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के द्वारा इस समूचे प्रश्न की जांच करेंगे और फिर भारत सरकार अपने सुझाव देगी ।

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या कैलेंडर सुधार समिति की सिफारिशें एक या दो वर्ष में कार्यान्वित की जायेंगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इस समय मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारी

†*७२९. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ में प्रतिरक्षा सेवाओं के कितने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण के लिये विदेशों को भेजा गया;

(ख) उनके कब तक वापस आने की संभावना है; और

(ग) अब तक उन पर कितना खर्च किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) १६६ ।

(ख) ८४ वापस आ गये हैं, ५९ व्यक्ति १९५६ में आ जायेंगे, १६ वर्ष १९५७ में, २ वर्ष १९५९ में और ५ वर्ष १९६१ में ।

(ग) २९ फरवरी, १९५६ तक उन पर लगभग १०·७५ लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था ।

†**श्री इब्राहीम** : इन व्यक्तियों को किन-किन देशों में प्रशिक्षण-सुविधायें दी गई हैं ?

†**श्री त्यागी** : इनको ये सुविधायें अधिकांशत: इंगलैण्ड में, कुछ अमरीका में और कुछ कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड में भी मिल रही हैं ।

†**श्री इब्राहीम** : इन व्यक्तियों को जिस विशेष प्रशिक्षा को प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजा जा रहा है, क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसके लिये भी कोई व्यवस्था की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री त्यागी** : प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अपने प्रशिक्षण-प्रतिष्ठानों को आत्म-निर्भर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ प्रशिक्षण-उपकरणों के लिये तो आर्डर दे दिया गया है। कुछ आ रहे हैं और कुछ के लिये अभी आदेश दिया जा रहा है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : हमारी प्रतिरक्षा सेवाओं के किस उपभाग में इस विदेशी प्रशिक्षण की व्यय सबसे अधिक आवश्यकता है, और सरकार किस प्रकार इस विदेशी प्रशिक्षण की आवश्यकता को दूर करने का प्रबन्ध करने जा रही है ?

†**श्री त्यागी** : तीनों सेवाओं में से, नौ सेना में ही विदेशी प्रशिक्षण की सबसे अधिक मांग है। इसका सबसे प्रथम कारण यह है कि विभाजन के समय भारत के तीनों प्रशिक्षण-प्रतिष्ठान पाकिस्तान के ही हिस्से में आये थे, और इसलिये भारत में प्रशिक्षण का बहुत थोड़ा ही प्रबन्ध रह गया था, इसका परिणाम यह हुआ कि हमें अपने नाविकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अधिकांशतः इंगलैंड ही भेजना पड़ा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम बड़ी तेजी से अपने नौ-प्रशिक्षण-प्रतिष्ठानों को आत्म-निर्भर बनाने का प्रबन्ध कर रहे हैं, जैसा कि इन आंकड़ों से ज्ञात होगा। हमने १९५१ में १६९, १९५२ में ११९, १९५३ में १५५, १९५४ में ७० और १९५५ में केवल २९ अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे थे।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या हाल ही में सोवियत रूस के साथ ऐसा कोई समझौता किया गया है कि हमारे विमान-बल के अधिकारी वहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे जायेंगे ?

†**श्री त्यागी** : जी, नहीं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि पश्चिमी देशों के प्रति-रक्षा प्रशिक्षण में दो वृत्तखण्ड हैं——एक तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है और दूसरा राष्ट्रमंडलीय वृत्त-खण्ड——और इन दोनों वृत्तखण्डों की सीमायें हमारे देश की ओर वाली पाकिस्तानी सीमा पर एक-दूसरे को काटती हैं; और क्या सरकार ने ऐसी स्थिति में यह ठीक समझा है कि हमारे अधिकारियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाये जिस से कि स्वयं हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था कभी हमारे ही विरुद्ध न हो जाये ?

†**श्री त्यागी** : मेरे माननीय मित्र इसे अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का शस्त्रास्थ सम्बन्धी ढांचा अधिकतर इंगलैण्ड के ही नमूने पर रहा है, और इसीलिये हम अपने व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उसी स्थान पर भेजते हैं जहां कि वे अपने व्यवहार में लाये जा रहे उपकरणों से अधिक परिचित हो सकें।

सीहोर में भूकम्प

†*७३१. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने सीहोर (भोपाल) में आने वाले भूकम्पों के कारणों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या उपपत्तियां हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इन भूकम्पों की उत्पत्ति का कारण स्थानीय ही था, और वह क्षत्र अभी तक की ज्ञात सक्रिय भूकम्पीय पट्टी में नहीं आता है। उन भूकम्पों की जांच करने वाले भू-तत्वज्ञ द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

†**श्री गिडवानी** : क्या अब वे भूकंप आने बन्द हो गये हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : कम से कम अब तो उसके कोई समाचार प्राप्त नहीं होते हैं।

†**श्री गिडवानी** : क्या वहां मकानों को भी कोई क्षति पहुंची थी, और यदि हां, तो क्या जिनको अधिक हानि हुई थी उन को कोई सहायता दी गई थी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मुझे सहायता के सम्बन्ध में मालूम नहीं है। इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकार से है। फिर भी, कई मकानों की कुछ क्षति होने का समाचार मिला है।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि सीहोर भोपाल के अत्यन्त सन्निकट है, अतः अब नय मध्य प्रदेश की राजधानी को भोपाल में बनाना उचित नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अभी जब श्री महावीर त्यागी जी कटनी गये थे, जो कि जबलपुर के सन्निकट है, तो उन्होंने वहां कहा था कि अब तो भोपाल का राजधानी बनना हुक्म के सबब से ही रुक सकता है। अतः क्या माननीय श्री त्यागी जी के इस वक्तव्य पर सरकार विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां यह कैसे उत्पन्न होता है ?

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : सीहोर और भोपाल के बीच कितनी दूरी है, और क्या स्थानीय भूकम्पों का कोई प्रभाव शहर पर भी पड़ा था ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : वे तो बिल्कुल ही स्थानीय भूकम्प थे, जिनका सम्बन्ध केवल सीहोर के नीचे की ही भूमि के पोले स्थानों से था।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या यह सही है कि सीहोर भोपाल से लगभग २६ मील दूर है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हो सकता है, परन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं है।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड

†*७३४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर जांच आयोग की यह सिफारिश कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सांख्यिकीय विभाग में रद्दोबदल और सुधार किया जाये और इस विषय में विस्तृत सिफारिशें करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये, स्वीकार की गई है और क्या विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) वह विषय अब भी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या आयकर के बकाया की वसूली के लिये सरकार द्वारा स्थापित कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री एम० सी० शाह** : वह प्रतिवेदन स्वीकार किया जा चुका है और हमने पहले ही आयकर विभाग के संगठन और तरीकों की जांच करने के लिये संयुक्त सचिव की हैसियत का एक पदाधिकारी नियुक्त किया है, और सरकार उस पदाधिकारी के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस समिति के मुख्य सुझाव क्या हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : वह विशेषज्ञ-समिति थी और आयकर आंकड़ों में सुधार करने का भी एक सुझाव था ।

†**श्री मात्तन** : सांख्यिकीय विभाग के सम्बन्ध में, आयोग की सिफारिश विचाराधीन है । क्या हमें मालूम हो सकता है कि उनका विचार कब तक समाप्त होगा ?

†**श्री एम० सी० शाह** : जैसा कि बताया गया है, विशेषज्ञों की कार्यकारिणी समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने है । उसके बाद हमने एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया है , वह आयकर विभाग के संगठन और तरीकों के अनेक पहलुओं का परीक्षण अभी कर रहा है और सरकार उसके प्रतिवेदन की प्रतिक्षा में है । वह प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद, कर जांच आयोग से संबद्ध पदाधिकारी के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में हम कर जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार करेंगे ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या आप निदेश करेंगे कि प्रश्न संख्या ७३२ का उत्तर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, माननीय मंत्री उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

हाली सिक्का

†*७३२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य में सम्पूर्ण हाली सिक्का वापस ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अब भी उस राज्य में लगभग कितने मूल्य का उक्त सिक्का चलन में है ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अनुमान है कि जनवरी १९५६ के अन्त तक ४·२९ करोड़ रुपये का हाली सिक्का चलन में था ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : हाली सिक्के को बदलने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : जिनके पास अभी भी हाली सिक्का चलार्थ है विशेषकर उनके लिये विनिमय की सामान्य सुविधाएं दी गई हैं । लगभग १४० कोष और उपकोष हैं और हैदराबाद राज्य बैंक की २५ शाखाएं हैं जहां विनिमय की ये सुविधाएं मिल सकती हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या हाली सिक्के को वापस ले लेने के लिये समय-सीमा बढ़ायी जायगी ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि कई बार समय-सीमा बढ़ायी जा चुकी है । यदि ऐसी कोई आवश्यकता हो तो हम उस विषय पर तब विचार करेंगे ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि प्रश्न संख्या ७१५ का जो श्री भक्त दर्शन के नाम में है उत्तर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, माननीय प्रतिरक्षा मंत्री उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : श्री भक्त दर्शन यहां नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु दूसरे माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसका उत्तर दिया जाये और मैं निदेश देता हूं कि उसका उत्तर दिया जाये ।

"डिफन्स सर्विसेज़ नोट्स"

*७१५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न अंग्रेज़ी समाचारपत्रों में "डिफेंस सर्विसेज़ नोट्स" शीर्षक के अन्तर्गत जो समाचार प्रकाशित होते हैं वे सशस्त्र बल सूचना कार्यालय द्वारा दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचारों को हिन्दी के प्रमुख समाचारपत्रों में भी प्रकाशित कराने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). समाचारपत्रों की विशेष प्रार्थना पर इस प्रकार की तथ्य सामग्री आर्म्ड फोर्सेज इनफॉरमेशन आफिस के द्वारा दी जाती है । यह सामग्री अंग्रेजी के समाचारपत्रों तक सीमित नहीं है । यह देशी भाषाओं के समाचारपत्रों को भी दी जाती है, जिनमें हिन्दी के समाचारपत्र शामिल हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : पबलिसिटी के वास्ते आप हिन्दुस्तानी अखबारों पर कितना पैसा खर्च करते हैं ?

श्री त्यागी : जो कोई सामग्री अखबारों में छापने के लिए दी जाती है उसको जितने भी हिन्दुस्तानी अखबार हैं वे सब ले सकते हैं । यह सामग्री जो तैयार की जाती है यह अखबारों की ख्वाहिश पर तैयार की जाती है । हर एक अखबार जिस मजमून पर चाहता है उस पर हम मुनासिब कार्यवाही करते हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार की गोआ सम्बन्धी प्रतिरक्षा प्रचार अन्दर और बाहर काफी तुरत और कार्यक्षम है, क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या वह प्रतिरक्षा सेवाओं के अनेक विभागों के सम्बन्ध में भी प्रतिरक्षा प्रचार के लिये अधिक धन खर्च करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सामग्री जो वह हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्रों को देते हैं वह इस लोक-सभा के सभा-सदों को भी दिया करेंगे?

प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू) : वे अखबार पढ़ लें । उनको ऐसा करने से कौन रोकता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि जिन हिन्दी के अखबारों को यह सामग्री दी जाती है उनके क्या नाम हैं ?

श्री त्यागी : हिन्दी के उन अखबारों की तादाद बहुत बड़ी है । कोई ६५ नाम हैं । उनकी फेहरिस्त मेरे पास है ।

†**सारदार ए० एस० सहगल** : मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या ७२१ उठाया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका उत्तर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पाली त्रिपिटकाएं

†*७२१ **श्री वोडयार** : क्या **शिक्षा** मंत्री ७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५२५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २५००वीं बुद्ध जयन्ती के अवसर पर पाली त्रिपिटकाओं को देवनागरी में प्रकाशित करने पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी; और

(ख) इस कार्य के भारवाहक सम्पादक-मंडल के सदस्य कौन-कौन हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) ४६,४०० रुपये ।

(ख) नालन्दा पाली इंस्टीच्युट के भिक्षु जगदीश काश्यप संपादक हैं और डा० पी० एल० वैद्य, संचालक, मिथिला इंस्टीच्यूट, दरभंगा, उनके साथ काम कर रहे हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : इसमें भारत सरकार तथा स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने कुल कितना पैसा खर्च करने की तजवीज रखी है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यदि माननीय सदस्य का आशय खर्च की जाने वाली कुल धन राशि से है तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि मोटे तौर पर वह लगभग १,७५,००,०००, रुपये होगी । इसमें से १,२५,००,००० रुपये केन्द्रीय सरकार खर्च करेगी और लगभग ५०,००,००० रुपये राज्य सरकारें खर्च करेंगी ।

डा० एस० एन० सिंह : इन तीन पिटारियों में कितने ग्रंथ हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : तीन खण्डों में त्रिपिटकाएं होंगी । प्रत्येक पुस्तक में लगभग ४०० पृष्ठ होंगे और सम्पूर्ण त्रिपिटकाएं देवनागरी में ४० खंडों में प्रकाशित की जायेंगी ।

†**डा० एस० एन० सिंह** : क्या सुत्त पिटिका भी प्रकाशित की जा रही है ?

†**डा० एम० एम० दास** : उस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : यह बताया गया था कि राज्य सरकारें कुछ धनराशि खर्च करेंगी । क्या वह उत्तर प्रदेश सरकार है या अन्य राज्य सरकारें भी हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरे विचार से न केवल उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि अन्य सरकारें भी खर्च करेंगी ।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या ७२४ का उत्तर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका उत्तर दिया जाये ।

विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत-विद्या विभाग

†*७२४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत-विद्या विभाग खोलने के लिये कोई पुस्तकें और नगद भेंट की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या विस्तार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) मलाया विश्वविद्यालय, सिंगापुर को कुछ संस्कृत पुस्तकें भेंट की गई हैं और भारत-विद्या विभाग खोलने के लिये १६ हजार रुपये का सांकेतिक अनुदान मंजूर किया गया है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या अन्य देशों में भी भारतीय अध्ययन के अन्य विभागों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां तो क्या उन्हें कोई सूचना प्राप्त हुई है?

†**डा० एम० एम० दास** : हमें वैसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई तालिका है कि किन-किन देशों में भारतीय भाषायें इस समय पढ़ाई जा रही हैं और क्या इस सम्बन्ध में अन्य देशों को भी सरकार प्रोत्साहन देने के लिए कुछ करने का विचार कर रही है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरे पास इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है परन्तु जहां तक अन्य देशों में हिन्दी के अध्यापन का सम्बन्ध है, उसकी योजना है जो कार्यान्वित की जा रही है और उस प्रयोजन के लिये कुछ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कैन्टीन सामान विभाग

*७३३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १५ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १८१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन सामान विभाग के कर्मचारियों के वेतन-क्रम सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष लाने के प्रश्न पर तब से कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संशोधित वेतन-क्रम कब से लागू किये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). जी हां । नियंत्रण-बोर्ड ने फैसला किया है कि कैन्टीन भंडार विभाग (भारत) के कर्मचारियों का वेतन-मान वही होगा जो उसी प्रकार का काम करने वाले प्रतिरक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारियों को मिलता है । बदले हुए वेतन-मान गत १ अक्तूबर, १९५५ से जारी किए जा चुके हैं ।

कोलम्बो योजना

†४०९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९५४–५५ में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को क्या प्रविधिक सहायता दी है; और

(ख) उस प्रविधिक सहायता से कुल कितने एशियाई देशों को लाभ हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) ७ भारतीय विशेषज्ञों की सेवायें और इन देशों के २३३ नामनिर्देशित व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधायें ।

(ख) ८ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रादेशिक सेना

†४१०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में कितने सरकारी कर्मचारी प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए हैं; और

(ख) उनके लिए पंजाब में कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : (क) १,१८६ ।

(ख) प्रादेशिक सेना के कोई विशेष प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं । सम्पूर्ण प्रशिक्षण यूनिटों में ही दिया जाता है ।

सिकन्दराबाद छावनी

†४११. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिकन्दराबाद छावनी में फौजों और असैनिक व्यक्तियों के लिए जल-सभरण बहुत अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) कमी के क्या कारण हैं और वह कब पूरी हो जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). यह सच है कि सिकन्दराबाद छावनी में जल-संभरण के सम्बन्ध में स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । छावनी के लिये पानी राज्य सरकार के हैड वर्क्स से इकट्ठा लिया जाता है, परन्तु चूंकि वितरण का आयोजन १९४३ में किया गया था इसलिये वह प्रणाली जनसंख्या में बाद में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है । चूंकि ऐसा समझा जाता है कि राज्य के लोक-निर्माण विभाग द्वारा अवेक्षित सुधारों के पूर्ण होने में ५ से ७ तक वर्ष लग सकते हैं, इसलिये सरकार बड़ी तत्परता से कम समय में छावनी के लिए पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार कर रही है । इसमें कुछ समय लग सकता है परन्तु कार्यान्वित होने के पश्चात् उससे छावनी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने की आशा है ।

संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता बोर्ड

†४१२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र टेक्नीकल सहायता बोर्ड द्वारा प्रेरित अन्य देशों के कितने अध्ययन दल १९५५ से अब तक भारत आए हैं;

(ख) उन्होंने किन विषयों का अध्ययन किया; और

(ग) १९५६ में कितने दलों के आने की आशा है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) ६ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) (१) सांख्यिकी
(२) सामाजिक शिक्षा
(३) सामुदायिक विकास

(ग) अभी ज्ञात नहीं है ।

आयकर

†४१३. **श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में व्यापार करने वाले भारतीयों से १९५५ में कुल कितना आयकर वसूल किया गया; और

(ख) उसी अवधि में भारतीयों ने अफ्रीका के विभिन्न देशों में कितनी पूंजी लगाई ?

†**वित्त मन्त्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है और न उस समय तक संकलित की जा सकती है जब तक कि समस्त भारत के निर्धारण अभिलेखों की छानबीन न की जाये ।

(ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है । "सर्वे ऑफ़ इण्डियाज़ फॉरेन लॉयेबिलटीज़ एण्ड एसेट्स" में, जिसमें १९५३ के अन्त की नवीनतम उपलब्ध सूचना दी गई है, देशवार ब्यौरा केवल १२ मुख्य देशों के सम्बन्ध में दिया गया था और शेष देशों की आस्तियों को "अन्य देश" के अन्तर्गत रख दिया गया था ।

बिहार में भूतत्वीय अनुसन्धान

†४१४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में १९५५ में किए गए भूतत्वीय अनुसन्धानों की विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ख) उस पर क्या व्यय किया गया ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें उपलब्ध जानकारी दी गई है, संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२**]

महंगाई भत्ता

४१५. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान महंगाई भत्ते की दर क्या है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : एक विवरण, जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३**]

भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी

†४१६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ को भाग 'क', 'ख' और 'ग' राज्यों और केन्द्र में काम करने वाले भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए कितने भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारियों की मंजूरी दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

क्रम संख्या	राज्य सरकार	राज्य में काम करने वाले पदाधिकारियों की संख्या	सम्बन्धित राज्य सरकार के 'प्रतिनियुक्ति' पर केन्द्र में काम करने वाले पदाधिकारियों की संख्या*	राज्य द्वारा चालित संगठनों / निगमों/ विदेशी निकायों आदि में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	कुल प्राधिकृत संख्या
	भाग 'क' राज्य				
१	आन्ध्र	४९	६	१	९०
२	आसाम	३४	४	१	४१
३	बिहार	७७	१२	२	११३
४	बम्बई और सौराष्ट्र	१०५	१६	६	१५१
५	मध्य प्रदेश	५७	१५	५	१०२
६	मद्रास	७२	२३	१	१३१
७	उड़ीसा	६३	१०	२	७७
८	पंजाब	३७	९	२	६१
९	उत्तर प्रदेश	१३०	४०	५	२०२
१०	पश्चिमी बंगाल	८७	१४	२	१३६
	भाग 'ख' राज्य				
११	हैदराबाद	५८	७	—	११०
१२	मध्य भारत	३६	—	—	६६
१३	मैसूर	३९	२	१	५६
१४	पेप्सू	१७	२	—	२८
१५	राजस्थान	६२	४	—	१०६
१६	त्रावणकोर-कोचीन	१६	३	—	२८
	भाग 'ग' राज्य				
१७	विन्ध्य प्रदेश	२३	२	—	४३
१८	अजमेर	३	—	—	— **
१९	भोपाल	२	—	—	— **
२०	कुर्ग	—	—	—	— **
२१	कच्छ	१	—	—	— **
२२	दिल्ली	५	—	—	— **
२३	मणिपुर	१	—	—	— **
२४	त्रिपुरा	—	—	—	— **

**इन राज्यों में भारतीय प्रशासन सवा संवर्ग नहीं है।

*भारतीय विदेश सेवा के लिये अनुमोदित पदाधिकारियों को अलग करके।

†मूल अंग्रेजी में।

कोलम्बो योजना

†४१७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९५६-५७ में भारत द्वारा विदेशों को कितनी धनराशि की सहायता दी जाने की आशा है; और

(ख) ऐसे कौन से देश हैं और दी जाने वाली सहायता किस प्रकार की होगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा अन्य देशों को आर्थिक और प्रविधिक सहायता के लिए १९५६-५७ के बजट में मांग संख्या "३८-विविध विभाग और वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य व्यय" में क्रमशः १४४·८२ लाख रुपये और २६ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(ख) चालू अथवा प्रारम्भ की जाने वाली विकास परियोजनाओं के लिये आर्थिक सहायता नेपाल को दी जायेगी । विशेषज्ञों और प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में प्रविधिक सहायता आवश्यकतानुसार दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में कोलम्बो योजना के सदस्य देशों अर्थात् निम्नलिखित को दी जायेगी :

बर्मा, कम्बोडिया, लंका, इण्डोनेशिया, लाओस, मलाया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स, वियतनाम, सिंगापुर, उत्तरी बोर्नियो और सरावक ।

सैनिक डेरी फॉर्म

†४१८. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक डेरी फॉर्मों में पशुओं के जो बछड़े होते हैं उनको पाला नहीं जाता वरन् उनका अन्य प्रकार से निपटारा कर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो कैसे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख). सैनिक डेरी फॉर्मों में पैदा हुए बछड़ों में से वे, जो पालने के लिए निर्धारित प्रतिमान के होते हैं, इस प्रयोजन के लिए फॉर्मों में रख लिये जाते हैं और शेष, जब वे तीस दिन के हो जाते हैं, राज्य सरकार के फॉर्मों, अर्ध शासकीय अथवा धार्मिक संस्थाओं और उनके पालने के इच्छुक जन साधारण को बिना मूल्य के दे दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १५ मार्च १९५६]

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... ६६७–८६

तारांकित
प्रश्न संख्या

७११ सम्पदा शुल्क ६६७–६८
७१२ विकलांगों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंत्रणा परिषद् ६६८–६९
७१३ दक्षिण भारतीय भाषाओं का अध्ययन ... ६६९–७०
७१४ अफ़गान वायु सेना के कर्मचारियों का प्रशिक्षण ६७०–७१
७१६ केन्द्रीय शिक्षा संस्था ६७१–७२
७१७ सेना में हिन्दी ६७२–७३
७१८ प्रदर्शनार्थ लाये गये विदेशी सामान पर आयात शुल्क ६७३
७१९ अफ़ीम विभाग के कर्मचारी ६७४
७२० आद्यरूप मशीनी औज़ार कारखाना, अम्बरनाथ ... ६७४–७६
७२२ खनिज तेल ६७६–७७
७२३ एच० टी०–२ विमान ६७७
७२५ सामाजिक और नैतिक सदाचार उपसमिति ६७७–७८
७२६ दिल्ली में यातायात सम्बन्धी नियम ६७८–७९
७२७ अन्तर्राज्यिक पुलिस बेतार व्यवस्था ... ६७९
७२८ राष्ट्रीय कैलेन्डर ... ६७९–८०
७२९ प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारी ६८०–८१
७३१ सीहोर में भूकम्प ६८१–८२
७३४ केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ६८२–८३
७३२ हाली सिक्का ... ६८३–८४
७१५ "डिफेंस सर्विसेज़ नोट्स" ६८४
७२१ पाली त्रिपिटकाएं ६८५
७२४ विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत-विद्या विभाग ... ६८५–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ... ६८६–९०

७३३ कैन्टीन सामान विभाग ६८६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४०९ कोलम्बो योजना ६८६
४१० प्रादेशिक सेना ६८७
४११ सिकन्दराबाद छावनी ६८७
४१२ संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता बोर्ड ... ६८७–८८
४१३ आयकर ६८८
४१४ बिहार में भूतत्वीय अनुसंधान ६८८
४१५ महंगाई भत्ता ६८८
४१६ भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी ६८८–८९
४१७ कोलम्बो योजना ... ६९०
५१८ सैनिक डेरीफार्म ... ६९०

M20LSD—190—19-2-58—G1PF.

P.L.S. 30. I. 20. 56
190

भारत सरकार मुद्रणालय, फ़रीदाबाद में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (चौथा संस्करण) के नियम ३९२ तथा ३९५ के अन्तर्गत प्रकाशित ।

१९५८

गुरुवार
15 मार्च 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड २, १९५६

(५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खण्ड २--५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

पृष्ठ

अंक १६, सोमवार, ५ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६८१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ६८१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें--रेलवे १९५५-५६ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, रेलवे, १९५०-५१ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५१-५२ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५२-५३ ६८२
रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा ६८२-७२१

दैनिक संक्षेपिका ७२२

अंक १७, मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में प्रक्रिया का प्रश्न ७२३-३२
समिति के लिये निर्वाचन--भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ७३२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
ब्रिटिश बैंक दर में परिवर्तन ७३२-३३
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७३३-७६

दैनिक संक्षेपिका ७७७

अंक १८, बुधवार, ७ मार्च, १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न--
सत्र-काल में सदस्य के बन्दीकरण का वारंट ७७९
सभा का कार्य ... ७८४
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७८५-८१८
अनुदानों की मांगें--रेलवे ८१८-३८
मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड ८१९-३८
मांग संख्या २--विविध व्यय ८१९-३९
मांग संख्या ३--चालू लाइनें आदि के लिये भुगतान ८१९-३८
मांग संख्या १४--चालू लाइनों पर काम--(राजस्व)--श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८१९-३८
मांग संख्या १५--नये रेल-पथों का निर्माण--पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ८१९-३८

दैनिक संक्षेपिका ... ८३९

पृष्ठ

अंक १६, गुरूवार, ८ मार्च, १६५६

अध्यक्ष का निर्वाचन ... ८४१–४७
तारांकित प्रश्नों के उत्तर की शुद्धि ८४७–४८
सभा का कार्य ... ८४८
अनुदानों की मांगें––रेलवे ८४८–७४
मांग संख्या १––रेलवे बोर्ड ८४८–७४
मांग संख्या २––विविध व्यय ... ८४८–७४
मांग संख्या ३––चालू लाइनें, आदि के लिये भुगतान ... ८४८–७४
मांग संख्या १४––चालू लाइनों पर काम ––(राजस्व)–– श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८४८–७४
मांग संख्या १५––नये रेल-पथों का निर्माण–– पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ... ८४८–७४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय––प्रशासन ८७४–६३
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय––मरम्मत तथा संधारण ८७४–६३
दैनिक संक्षेपिका ८६४

अंक २०, शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ८६५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ८६५–६२४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय-प्रशासन ८६५–६१०
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय–मरम्मत तथा संधारण ८६५–६१०
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–संचालक कर्मचारी ६११–२४
मांग संख्या ७––साधारण कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ६११–२४
मांग संख्या ८––साधारण कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन ६११–२४
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–विविध व्यय ६११–२४
मांग संख्या १०––साधारण कार्यवहन व्यय–श्रम कल्याण ६११–२४
राष्ट्रीय विकास (जनता द्वारा भाग लिया जाना) विधेयक ६२४
राष्ट्रीय पर्व और त्यौहार पर सवेतन छुट्टी विधेयक ६२४
श्री काशी-विश्वनाथ मन्दिर विधेयक विचार करने का प्रस्ताव ... ६२४–३५
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ७१-क आदि का हटाया जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६३५–४३
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ५६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६४३–४५
दैनिक संक्षपिका ६४६

पृष्ठ

अंक २१, सोमवार, १२ मार्च, १९५६

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ९४७
लेखानुदानों की मांगें ९४७–५१
आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ९५१–५५
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ९५५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ९५५–७३
मांग संख्या ६––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन कर्मचारी ९५५–६८
मांग संख्या ७––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ९५५–६८
मांग संख्या ८––सामान्य कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन व्यय ९५५–६८
मांग संख्या ९––सामान्य कार्यवहन व्यय––विविध व्यय ... ९५५–६८
मांग संख्या १०––सामान्य कार्यवहन व्यय––श्रम कल्याण ९५५–६८
मांग संख्या ११––अवक्षयण रक्षित निधि के लिये विनियोग ९६८–७२
मांग संख्या १२––साधारण राजस्व में देय लाभांश ९६८–७२
मांग संख्या १३––चालू लाइनों पर काम––(राजस्व)––श्रम कल्याण... ९६८–७२
मांग संख्या १६––चालू लाइनों पर काम विस्तार ९६८–७३
मांग संख्या १७––चालू लाइनों पर काम प्रतिस्थापन ९६८–७३
मांग संख्या १८––चालू लाइनों पर काम––विकास निधि ... ९६८–७३
मांग संख्या १९––विशाखापटनम् पत्तन पर पूंजी व्यय ९६८–७३
मांग संख्या २०––विकास निधि के लिये विनियोग ९६८–७३
विनियोग (रेलवे) विधेयक ९७३
१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) और १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ९७३–९२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ९९२
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक ... ९९२–९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक ९९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक ९९३
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक––
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ... ९९३–९५
पीलिया जांच-समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा ९९५–१००१
दैनिक संक्षेपिका १००२–०३

अंक २२, मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १००५
राज्य-सभा से संदेश १००५
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––
मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५१ के अमान्यीकरण से उत्पन्न हुई स्थिति १००६
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ... १००६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) विधेयक ... १००६
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक १००७–०८
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १००८–५१
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा १०५१–६१
दैनिक संक्षेपिका १०६२–६३

अंक २३, बुधवार, १४ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०६५
राज्य-सभा से संदेश १०६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छयालीसवां प्रतिवेदन ... १०६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना––
पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का त्रिपुरा में पुनर्वास १०६६–६७
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ... १०६७
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १०६७–१११
दैनिक संक्षेपिका ... १११२

अंक २४, गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव––
जनसंघ के कार्यकर्त्ता को जम्मू जाने से मना करना १११३–१४
राज्य-सभा से संदेश १११४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) १११५
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक का वापस लिया जाना ... १११५
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १११६–६३
दैनिक संक्षेपिका ... ११६४

अंक २५, शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ११६५
राज्य-सभा से संदेश ११६५–६६, ११९८
प्राक्कलन समिति––तेईसवां प्रतिवेदन ... ११६६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति––
तेरहवां प्रतिवेदन ११६६
याचिका समिति––
आठवां प्रतिवेदन ११६६
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ११६७–९७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छियालीसवां प्रतिवेदन ११९८
मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ११९८–१२०५, १२०६–१३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के बारे में औचित्य प्रश्न १२०६
दैनिक संक्षेपिका ... १२१४–१५

अंक २६, सोमवार, १९ मार्च, १९५६ पृष्ठ

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना १२१७–१८
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... १२१८
राज्य-सभा से सन्देश १२१८
प्राक्कलन समिति—
बाईसवां प्रतिवेदन ... १२१८
अनुपस्थिति की अनुमति १२१९
जीवन-बीमा निगम विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव १२१९–७०
दैनिक संक्षेपिका ... १२७१–७२

अंक २७, मंगलवार, २० मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़ १२७३
उपाध्यक्ष का निर्वाचन ... १२७४–७६
विदेशी मामलों के सम्बन्ध में वक्तव्य १२७६–८२
सभा-पटल पर रखा गया पत्र १२८२
जीवन-बीमा निगम विधेयक १२८२
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव १२८२–१३१०
आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना १३११–३१
दैनिक संक्षेपिका ... १३३२

अंक २८, बुधवार, २१ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १३३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३३३
अनुदानों की मांगें— ... १३३४–९७
मांग संख्या ११—प्रतिरक्षा मंत्रालय ... १३३४–९७
मांग संख्या १२—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-सेना ... १३३४–९७
मांग संख्या १३—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-नौ-सेना १३३४–९७
मांग संख्या १४—प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी—वायु बल १३३४–९७
मांग संख्या १५—प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय १३३४–९७
मांग संख्या १६—प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १३३४–९७
मांग संख्या ११७—प्रतिरक्षा पर पूंजी व्यय ... १३३४–९७
दैनिक संक्षेपिका ... १३९८

अंक २९, गुरुवार, २२ मार्च, १९५६

प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में घोषणा १३९९
सभा का कार्य १३९९–१४००
अनुदानों की मांगें १४००–६२
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय १४००–६२
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) १४००–६२

	पृष्ठ
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान	१४००–६२
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा ...	१४००–६२
मांग संख्या ९—उड्डयन	१४००–६२
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११४—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) ...	१४००–६२
मांग संख्या ११५—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११६—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१४००–६२
सभापति-तालिका के लिये नामनिर्देशन ...	१४६२
दैनिक संक्षेपिका ...	१४६३

अंक ३०, शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर-कोचीन में मंत्रिमंडल की रचना	१४६५–६६
अनुदानों की मांगें ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९५—परिवहन मंत्रालय ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९६—पत्तन तथा पोतमार्ग-प्रदर्शन	१४६६–९९
मांग संख्या ९७—प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाशपोत	१४६६–९९
मांग संख्या ९८—केन्द्रीय मार्ग निधि ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९९—संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) ...	१४६६–९९
मांग संख्या १००—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४०—पत्तनों पर पूंजी व्यय	१४६६–९९
मांग संख्या १४१—सड़कों पर पूंजी व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४२—परिवहन मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय	१४६६–९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५००
सभा का कार्य ...	१५००
गोद लेने की प्रथा की समाप्ति विधेयक ...	१५००
बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन)	१५०१
समान पारिश्रमिक विधेयक ...	१५०१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक	१५०१
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक— (धारा २, आदि का संशोधन)	१५०१
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन ...	१५०२
कारखाना (संशोधन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०३
विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ...	१५०५–१५
विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०५
दैनिक संक्षेपिका	१५१६

M102LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-२३ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

भारत सरकार द्वारा जनसंघ के नेताओं को जम्मू में नगरपालिका निर्वाचन के सम्बन्ध में काम करने के हेतु जाने की अनुमति देने से इन्कार

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : संविधान के अनुच्छेद १ के अधीन जम्मू और काश्मीर भारत के क्षेत्र के अधीन हैं। अनुच्छेद १९ के अधीन हमें जो मूल अधिकार दिये गये हैं उनके अनुसार हमें जम्मू और काश्मीर जाने का अधिकार है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जनसंघ दल के श्री केदार नाथ साहनी को वहां जाने की अनुज्ञा क्यों नहीं दी गई।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : मुझे अभी एक अल्प सूचना प्रश्न मिला है जिसमें यही बात उठाई गई है। अब यह निर्णय आप कर सकते हैं इसी प्रश्न सम्बन्धी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय या अल्प सूचना प्रश्न पर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा की जाय। यह तो हुई एक बात।

दूसरे जम्मू और काश्मीर में प्रवेश के सम्बन्ध में प्रश्न कई बार इस सभा में उठाया गया है। जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में स्थिति कुछ उलझी हुई है। १९५५ में जम्मू और काश्मीर सरकार ने जम्मू और काश्मीर प्रवेश (अनुज्ञा पत्र) नियम परिचालित किये थे। किसी ने इन नियमों की मान्यता के सम्बन्ध में शंका नहीं की और इन नियमों के अधीन जम्मू और काश्मीर सरकार बाहर के लोगों को जम्मू काश्मीर में प्रवेश की अनुमति नहीं देना चाहती और व्यक्त कारणों से विशेषत: उन लोगों को प्रवेश अनुमति नहीं देना चाहती जो साम्प्रदायिक संस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं। उन्होंने प्रतिरक्षा मंत्रालय को ये अधिकार प्रत्यायोजित कर दिये हैं कि उल्लिखित व्यक्तियों को प्रवेश का अनुज्ञा पत्र न दिया जाय।

स्ताव में इस स्पष्ट बात को उठाया गया है कि यह व्यक्ति जम्मू में निर्वाचन कार्य की व्यवस्था और संचालन के लिये जाना चाहते थे। परन्तु श्री साहनी ने हमें ६ मार्च को लिखा था, वरन् प्रार्थना-पत्र भेज था और उसमें लिखा था कि वे वहां जनसंघ कार्य के लिये जाना चाहते थे। जनसंघ के कार्य

†मूल अंग्रेजी में

सर्वविदित हैं इसलिये उक्त कार्यों के लिये अनुज्ञा नहीं दी गई और बात समाप्त हो गई। हम जम्मू और काश्मीर द्वारा व्यक्त की गई इच्छा का ही सर्वथा अनुसरण कर रहे हैं।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि अप्रैल के प्रारम्भ में उस क्षेत्र में निर्वाचन हो रहा है और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल होने के नाते जनसंघ को उस निर्वाचन में भाग लेने का वैध अधिकार है।

†**डा० काटजू** : प्रार्थना पत्र में नगरपालिका के निर्वाचन कार्य का कोई उल्लेख नहीं था। मुझे कोई जानकारी नहीं कि निर्वाचन हो रहे हैं या नहीं। मैं इस सम्बन्ध में पता लगाऊंगा।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : निर्वाचन कार्य हो या न हो क्या वहां राजनैतिक कार्य की अनुमति है या नहीं ?

†**डा० काटजू** : जहां तक सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है वहां पूरी स्वतन्त्रता है। कहीं से भी कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। परन्तु जम्मू और काश्मीर की स्थिति इतनी साधारण नहीं है जितनी मेरे मित्र कह रहे हैं। वहां की स्थिति अपवादपूर्ण है और जम्मू और काश्मीर सरकार यह निर्णय करने के लिये स्वतन्त्र है कि वे किसे प्रवेश की अनुमति दें और किसे नहीं।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : यह निर्णय प्रतिरक्षा मंत्रालय ने किया है। क्या मंत्री महोदय यह कहते हैं कि यदि प्रार्थनापत्र में निर्वाचन कार्य का उल्लेख हो तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : व्यक्तिगत आधार पर सदा ऐसा किया जाता है। यह निर्वाचन अथवा आन्दोलन का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के मामले में उसके उद्देश्य को देखा जाता है और इसी आधार पर प्रार्थनापत्रों पर निर्णय दिया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव के बारे में सभा को बताया गया है कि सदस्य ने अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दे दी है। मैं समझता हूं कि अल्प सूचना प्रश्न को माननीय मंत्री स्वीकार कर लेंगे। इस मामले के सम्बन्ध में नियम बहुत पहले बन गये थे और उनकी मान्यता और औचित्य पर आक्षेप नहीं किया गया। अतः उस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता। अतः स्थगन प्रस्ताव के लिये चर्चा नहीं हो सकती। व्यक्तिगत मामलों पर सभा में चर्चा नहीं करनी चाहिये।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा १६ दिसम्बर, १९५५ को पारित भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५ को राज्य-सभा ने अपनी ९ मार्च, १९५६ की बैठक में निम्नलिखित संशोधनों सहित स्वीकार किया है, और संशोधनों पर सहमति देने के लिये लोक-सभा से प्रार्थना की है :

अधिनियमन सूत्र

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १ में "Sixth Year" ["छठे वर्ष"] शब्दों के स्थान पर "Seventh Year" ["सातवां वर्ष"] शब्द रखे जायें।

खण्ड १

(२) कि पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1955" ["१९५५"] के स्थान पर "1956" ["१९५६"] रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक

†**सचिव** : मैं भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५ को, जो राज्य-सभा ने संशोधन सहित वापस भेजा है, सभा-पटल पर रखता हूं ।

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि निर्वाचित ग्राम प्राधिकारियों और तत्सम्बन्धी विषयों के लिये मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन, १९४७ में संशोधन करने वाले विधेयक को, जो राज्य-सभा द्वारा २१ सितम्बर, १९५४ को पारित किया गया था और २३ सितम्बर, १९५४ को सभा-पटल पर रखा गया था, वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।"

यह विधेयक वापस लिया जा रहा है और शीघ्र ही एक और विचार पुरःस्थापित किया जायेगा । कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन करने थे और इस कारण विधेयक वापस लिया जा रहा है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मेरे विचार में नियम १४७ के अन्तर्गत इस विधेयक को इस प्रकार वापिस नहीं लिया जा सकता ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : मेरी यह प्रार्थना है कि जब कभी कोई विधेयक वापस लेना हो तो उसके लिए यह उपबंध होना चाहिये—चाहे प्रथा रूप में—कि उन कारणों का विवरण कि को क्यों वापस लिया जा रहा है, परिचालित किया जाये । केवल यह कह देना कि उसके स्थान पर एक और विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है पर्याप्त नहीं ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : संयुक्त प्रवर समितियां और विधेयक के एक सभा से दूसरी सभा में जाने सम्बन्धी प्रक्रिया में विधेयक को वापस लेने के समय कठिनाई होती है । इन पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये नियमों का संशोधन नहीं हुआ । यह विधेयक दूसरी सभा में पुरःस्थापित हुआ और वहीं पारित हुआ । अतः जब तक नियम में संशोधन नहीं होता यह किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आता फिर भी इसकी अनुमति देनी चाहिये ।

†**श्री दातार** : मैं स्थिति को स्पष्ट करता हूं । यह विधेयक राज्य-सभा में पुरःस्थापित किया गया और उसी सभा ने इसे पारित किया । इस प्रस्ताव में जैसा स्पष्ट है, विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् इस सभा पर बन्धन हो गया है अतएव उस सभा से प्रार्थना की गई है कि वह इसे वापस लेने की अनुमति दे । अतः कतिपय विशेष परिस्थितियों के कारण यह प्रस्ताव रखा गया है । जहां तक मेरे मित्र श्री एस० एस० मोरे के आक्षेप का सम्बन्ध है मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि इसे दो या तीन दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय और मैं इन कारणों का एक छोटा विवरण प्रस्तुत करूंगा कि सरकार इस विधेयक को वापस लेकर दूसरा विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विषय स्थगित रहेगा और माननीय मंत्री बतायेंगे कि विवरण किस तिथि को तैयार रहेगा । वे विवरण में व्यावहारिक कारण बतायेंगे ताकि सदस्य उस विषय की तैयारी कर सकें ।

सभा अब सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा आरम्भ करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : यह निर्वाचन वर्षीय आय-व्ययक है। यद्यपि प्रत्यक्षतः ऐसा नहीं दिखाई देता परन्तु इसका भार जन साधारण पर पड़ेगा। इसे तभी राष्ट्रीय प्रगति कहा जा सकता है जब बेरोजगारी अथवा छंटनी का भय न हो और लाखों लोग भूखे न मर रहे हों।

औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है परन्तु क्या उत्पादकों का जीवन-स्तर उठ सका है ?

उत्पादन के जापानी ढंग और प्रविधिक ढंगों के कारण कृषि उत्पादन में ४२ लाख टन की वृद्धि हुई है परन्तु अभी तक प्रति व्यक्ति उपभोग के लिये १६·३ औंस भोजन मिल सकता है। इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिये।

कृषि श्रमिकों को गत दो वर्षों में भाव गिरने के कारण लगभग १,००० करोड़ रुपये की हानि हुई है। सरकार को भावों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण करना चाहिये।

१९४८ में कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम पारित किया गया था जो सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया और कुछ राज्यों में भाव गिरने के कारण मजूरी घटा दी गई है। उत्पादन वृद्धि से इन लोगों को लाभ नहीं हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि किसानों के लिये कुछ नहीं किया गया। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि नहीं दी गई और ग्रामीण प्रशासन की शिथिलता के कारण भूमि सुधार विधान का उद्देश्य अपेक्षित रूप में पूरा नहीं हो सका। कुछ राज्यों में बहुत से किसानों ने स्वेच्छापूर्वक पट्टेदारी छोड़ दी है। यह वस्तुतः स्वेच्छापूर्वक नहीं हुआ। इसकी जांच करके पट्टेदारी लौटाने की कार्यवाही करनी चाहिये।

सरकार ने स्वीकार किया है कि १९५४ और १९५५ में कुल की ५७ प्रतिशत संख्या को पट्टेदारी से बेदखल किया गया है। योजना आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भूमि सुधार विधान द्वारा अभिप्रेत सहायता नहीं दी जा सकी और कि बेदखली बंद होनी चाहिये और पिछले दो या तीन वर्षों में बेदखल हुए किसानों को भूमि लौटा देनी चाहिये। सरकार स्वयं आंध्र, केराला, आसाम और महाराष्ट्र में बेदखली कर रही है। मैंने योजना मंत्रालय को ऐसे उदाहरण लिखे हैं जिनमें 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिये दी गई भूमि भी वापस ले ली गई है। जब तक सरकार यह न कह दे कि ऐसी बेदखलियां नहीं की जायेंगी परिस्थितियां नहीं बदल सकतीं। इस प्रश्न पर सरकार के सद्भाव पर आक्षेप किया जा सकता है। ६७ प्रतिशत कृष्य भूमि से बेदखली की जा चुकी है।

अधिकतम भूमि के प्रश्न को लीजिये। हैदराबाद राज्य का विचार है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुंबम जिला में भूमि की अधिकतम सीमा लागू की जाये परन्तु साथ ही अवस्यक को भी भूमि बांटना स्वीकार कर लिया गया है। इससे तो एक एकड़ भूमि भी नहीं मिल सकेगी।

इस देश में कुल कृषि योग्य बंजर भूमि ५ करोड़ और ८२ लाख एकड़ है और मरुभूमि ६ करोड़ और ८१ लाख एकड़ है। यदि इस सारी भूमि पर कृषि की जाये और प्रति एकड़ २ रुपया भू-राजस्व भी लिया जाय तो लगभग २५ करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। राष्ट्रीय आय और कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को इस भूमि में कृषि करवानी चाहिये। सरकार ने ये भूमियां नहीं दी हैं और नही कृषकों को देने का विधान बनाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण उधार सर्वेक्षण ने बताया है कि गत दस वर्षों में कृषि सम्बन्धी उधार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जिसका यह अभिप्राय है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि से कृषि श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ।

आर्थिक मंत्रणाकार ने बताया है कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि से फैक्टरियों में रोजगार के सम्बन्ध में कुछ सुधार हुआ है परन्तु मध्यवर्ग में बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में प्रत्येक १०० व्यक्तियों में ४७ लोग बेरोजगार हैं। योजना आयोग के अध्ययन दल ने बताया है कि ५।। लाख लोग मैट्रिक से अधिक पढ़े हुये हैं। सरकार को मध्यवर्ग की इस समस्या को शीघ्रतिशीघ्र सुलझाना चाहिये। बेरोजगार के साथ-साथ ही छंटनी का भी प्रश्न है। १९५४ में नियंत्रण हटाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों के ६,५००० व्यक्तियों की छंटनी की थी। पता नहीं उनमें से कितनों को पुनः नियुक्त किया गया है। गैर-सरकारी उद्योग के ५०,००० लोगों को भी काम से हटाया गया था।

प्रतिरक्षा स्थापनाओं में सामान्यरूप से और सेना, नौ बल और विमान बल के आय-व्ययक में वृद्धि हुई है और समझ में नहीं आता कि क्यों १०,००० प्रतिरक्षा श्रमिकों की छंटनी की जा रही है।

दामोदर घाटी परियोजना के १८,००० लोगों की भी छंटनी हो रही है और अन्य छोटे उद्योगों के बन्द होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। यदि प्रतिरक्षा उद्योग के फालतू व्यक्तियों को असैनिक सामान बनाने में लगा दिया जाये तो उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं रहेगी। जहां खाद्य और दामोदर घाटी योजना के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन चालू किये जाने वाले उद्योगों में लगा दिया जाना चाहिये।

आज यदि देखा जाय तो श्रम की उत्पादन-क्षमता और लाभ में जितनी वृद्धि हुई है, उतनी श्रमिकों की मजदूरी में नहीं हुई है। कोयला-खानों के उत्पादन और लाभ आदि के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उसके मजदूरों की वास्तविक मजूरी में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में ४३ प्रतिशत वृद्धि होने पर मजदूरों की वास्तविक आय में केवल १४ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

एक महत्वपूर्ण बात मुझे यह भी कहनी है कि बागान अधिनियम और न्यूनतम मजूरी अधिनियम जैसे अधिनियम कार्यान्वित न किये जाने से मजदूरों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। अतः जब तक इन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक उत्पादन में वृद्धि होने से कोई लाभ नहीं होता। बहुत दिन हुए तभी हमने मांग की थी कि प्रत्येक उद्योग में एक मजूरी बोर्ड बनाया जाये और उस बीच जब तक कि वह जांच करे मजूरी में २५ प्रतिशत वृद्धि कर दी जाये किन्तु वह भी अभी तक नहीं किया गया है।

मलवार के रबड़ के बागानों और नीलगिरि में भी अभी तक न्यूनतम मजूरी अधिनियम और बागान अधिनियम लागू नहीं किये गये हैं।

मध्यम श्रेणी के लोगों का मूल वेतन ५० रुपये से लेकर १०० रुपये प्रति मास (भत्तों को छोड़कर) है। अब वे लोग इस बात के लिये आन्दोलन चला रहे हैं कि द्वितीय वेतन आयोग की नियक्ति की जाये जो शीघ्र ही इस प्रश्न पर विचार करे।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि सरकार द्वारा कहे जाने पर भी भारत का औद्योगिक वित्त निगम सहायता बड़े सार्थों की ही करता है। छोटे-छोटे उद्योगों के विकास के लिये केवल पूंजी की ही आवश्यकता नहीं है वरन् कार्यवहन पूंजी की आवश्यकता होगी। वास्तव में वित्त निगम का व्यवहार इस सम्बन्ध में पक्षपातपूर्ण रहता है और यही कारण है कि बहुत से छोटे उद्योगों के विकास के लिये गुंजाइश नहीं रह गई है।

अब मैं उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। नारियल के तेल पर उत्पादन शुल्क लगाने के विराध में मेरे पास विभिन्न वर्गों के लोगों के तार आये हैं और वास्तव में बात भी ठीक है कि यह तेल ऐसा है जिसे साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति भी किसी न किसी

[श्री ए० के० गोपालन]

रूप में प्रयोग करता है। अतः इसका देश की आर्थिक अवस्था पर काफी प्रभाव पड़ता है। यदि कमी ही पूरी करनी हो तो विमको दियासलाई तथा अन्य बड़े-बड़े एकाधिपत्यों पर शुल्क लगाना चाहिये था। नारियल, मूंगफली और कड़वा तेल आदि ऐसे तेल हैं जिन पर शुल्क नहीं लगाना चाहिये। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह मेरी इस बात पर उचित ध्यान दें। पंजीयन शुल्क बढ़ा देने का भी प्रतिरोध किया गया है। इससे भी जन-साधारण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः लोक हित की दृष्टि से इसे भी हटा देना चाहिये।

राज्य-सरकारें भी तो जन-साधारण पर कर लगाने से नहीं चूंकतीं। मद्रास और पश्चिमी बंगाल की सरकारों के इस वर्ष के आय-व्ययक से यह बात स्पष्ट हो जाती है। अप्रत्यक्ष कर क्रा भार प्रत्यक्ष कर से अधिक पड़ता है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के करों का मिल कर जनता पर भार अधिक हो जाता है।

वास्तव में चाहिये तो यह कि पहले सारे उपलब्ध साधनों को कार्य में लाया जाये और अमीरों पर अधिक कर लगाकर गरीबों का भार हल्का किया जाये। मेरा तो सुझाव यह है कि मजदूरों की मजूरी २५ प्रतिशत बढ़ा दी जानी चाहिये और वेतन आयोग को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये। छंटनी एकदम रोक दी जानी चाहिये। कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिया जाना चाहिये और भूमि जोतने वाले को भूमि मिलनी चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यही नारा होना चाहिये। यदि इस प्रकार कार्य किया गया तो आय-व्ययक का राष्ट्रीय विकास करने का उद्देश्य सफल हो सकेगा।

†**श्री श्रीमन्नारायण** (वर्धा) : वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण में भारत सरकार की आर्थिक नीति की सामान्य पृष्ठ भूमि बताई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा का भी उल्लेख किया। पिछले पांच वर्षों में जो कुछ हमने किया है उस पर हम गर्व कर सकते हैं जिसमें से खाद्य के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता, लाखों गांवों में राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं और सामुदायिक परियोजनाओं का जाल बिछाना आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सबसे अधिक महत्वपूर्ण दो बातें हैं एक तो बेकारी दूर करना और दूसरी अधिकाधिक आर्थिक समानता प्राप्त करना।

अब हम पहले पहली चीज को लेते हैं। वित्त मंत्री कुछ मास पूर्व कह चुके हैं कि वह इस द्वितीय योजना में १२० करोड़ लोगों को काम देंगे किन्तु बाद में उन्होंने इस संख्या में कटौती कर दी। खैर जो कुछ भी हो आगामी योजना में १०० करोड़ लोग और जीविका की तलाश करने के लिये तैयार हो जायेंगे जिसका तात्पर्य यह होगा फिर भी हमारी दशा ज्यों की त्यों रहेगी। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस लक्ष्य से ही सन्तुष्ट न हो जायें बल्कि उन्हें आय के और अधिक उपाय तथा अधिक लोगों को काम दिलाने के साधन ढूंढते रहना चाहिये। अम्बर चर्खा, चावल कूटने, तेल पेरने तथा चमड़े आदि के व्यवसाय से काफी लोगों को काम मिल सकता है। इन कामों की ओर हमें पुराने दृष्टिकोण से नहीं वरन् आर्थिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये। यदि वास्तव में इस दिशा में ठीक प्रकार से कार्य किया जाय तो १५० करोड़ लोगों को काम मिल सकता है।

यदि हम अपनी अल्प बचतों के द्वारा देश की सहायता करना चाहते हैं तो करारोपण जांच आयोग की सिफारिश के अनुसार आय में असमानता को काफी कम किया जा सकता है।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं एक निश्चित सुझाव यह देना चाहूंगा कि वह वेतन के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक वेतन आयोग नियुक्त करे। मेरा यह भी सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये । समाजवादी ढांचे का श्रीगणेश मेरी समझ से तो सरकार से ही होना चाहिये । केवल ऐसा करके ही हम लोगों से यह आशा कर सकेंगे कि वे अपना कार्य करें ।

आर्थिक असमानता को दूर करने में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किंचित् मात्र भी ऐसी धारणा बने कि ग्रामीणों की अपेक्षा नगर-वासियों को अधिक सुविधायें दी जा रही हैं। भूमि सुधार करने की दृष्टि से भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है । दूसरी ओर भूदान आन्दोलन भी चल रहा है ।

हमने बीमे का राष्ट्रीयकरण किया है । आगे चल कर आशा है इस क्षेत्र में और भी प्रगति होगी । किन्तु इस बात का प्रयत्न करना अनिवार्य है कि जिससे नगर और गांव के लोगों में शीघ्र ही असमानता दूर हो सके । वास्तव में यह ठीक है जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें केवल आंकड़ों से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये । हम चाहते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना में हमारी राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि हो । मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह करों का समायोजन इस प्रकार करें और आर्थिक नीति इस प्रकार बनायें जिससे निम्न आय वालों को अधिक लाभ हो और उनकी आय में वृद्धि हो सके ।

शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उसे कोई पूर्ववर्तिता नहीं दी जा रही है, जो गलत है । द्वितीय योजना में शिक्षा के लिये केवल ६·७ प्रतिशत राशि नियत की गई है । मैं यह नहीं कहता कि देश की सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति को ही बदल दिया जाये वरन् अच्छे ढंग की शिक्षा के लिये और लोगों के राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा बनाने के लिये यह परमावश्यक है कि शिक्षा पर अधिक राशि व्यय की जाये ।

देश के आय-व्ययक का संसद् में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही प्रकट हो जाना एक बड़ी गम्भीर बात है । वास्तव में केवल अध्यादेश अथवा नियमों और अनियमों के द्वारा आप इस चीज को नहीं रोक सकते । हमें तो लोगों का नैतिक जीवन सुधारना है । अतः हमें शिक्षा में सुधार करना इसलिये और भी आवश्यक है जिससे भावी पीढ़ी हमारी प्राचीन परम्परा को कायम रख सके ।

हम अध्यात्मवाद और धर्म आदि की बढ़-चढ़ कर बातें करते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि भौतिक क्षेत्र में भी हम बहुत गिर गये हैं । अतः इस आर्थिक योजना पर हमें पहले से पुनः विचार करना चाहिये जिससे हम जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे आने वाली पीढ़ी के सम्मुख अपना आदर्श रख सकें ।

जहां तक संसाधनों का सम्बन्ध है वित्त मंत्री ने अल्प बचतों पर ठीक ही जोर दिया है । वास्तव में बात भी ठीक है कि जब तक हमारे देश के लोग इसमें भाग नहीं लेते और विशेषकर कुछ अमीर लोग, तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती । हमें लोगों को यह बताना होगा कि उनके सहयोग से अल्प बचतों का देश के विकास में उपयोग किया जा सकता है । अतः एक ऐसी पद्धति बनाई जानी चाहिये जिससे जन साधारण के उपयोग के लिये गांवों की परियोजना आदि पर अल्प बचतों के रूप में व्यय करने के लिये कुछ राशि नियत कर दी जाये । जब लोग यह जान लेंगे कि इस राशि का उयोग उन्हीं के हित में किया जा रहा है तो लोग अधिक चाव से राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आदि खरीदेंगे । इस कारण स्थानीय विकास परियोजनाओं को अल्प बचतों के द्वारा चलाया जा सकेगा ।

वित्त मंत्री ने मितोपभोग पर भी ठीक ही जोर दिया है । सारी गणना कर लेने पर भी लगभग ४०० करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था नहीं हो सकी है । उन्होंने अपने आय-व्ययक भाषण में बताया कि उपभोग में कमी की जानी चाहिये और जब तक विनियोजन और बचत की दर ७ प्रतिशत से बढ़कर १२ प्रतिशत नहीं हो जाती तब तक इस राशि की व्यवस्था नहीं हो सकेगी । वास्तव में इसकी शुरुआत नई दिल्ली से होनी चाहिये और हो । संसद् सदस्यों का इतना अभिनन्दन आदि नहीं होना

[श्री श्रीमन्नारायण]

चाहिए । विदेशियों का उचित सम्मान होना चाहिए किन्तु आये दिन ये जो इतने स्वागत सारी दिल्ली में हुआ करते हैं, ये नहीं होने चाहिये । सम्मेलनों में भी कमी की जानी चाहिए ।

मद्यनिषेध के प्रश्न को ले लीजिये । मद्यनिषेध जांच समिति के सभापति के रूप में मैं जहां कहीं भी गया सभी लोग यही कहने लगे कि जब तक आप दिल्ली में मद्यनिषेध नहीं करते तब तक अन्य किसी राज्य में किस प्रकार आशा कर सकते हैं । अतः इस सबका श्रीगणेश नई दिल्ली से ही होना चाहिए ।

प्रशासन के बारे में भी हमें जनता को बताना चाहिये कि वह कुशल है और आय-व्ययक के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व पता लगने आदि जैसी चीजें रोकने के लिये और अधिक कार्यवाही करनी चाहिये । इन सब चीजों के विषय में वित्त मंत्री को चाहिये कि जनता में विश्वास उत्पन्न करें ।

हमें हर्ष है कि सरकार ने बीमा राष्ट्रीयकरण के लिये कार्यवाही की है किन्तु इतना ही नहीं वरन् आधिक्य बचतों से गांवो में बीमा के लिये सुविधायें देने की व्यवस्था की जाये क्योंकि हमारे यहां अन्य देशों की तुलना में यह व्यवसाय बहुत पीछे है ।

मैं एक गलतफहमी भी दूर कर देना चाहूंगा कि इस अध्यादेश के बारे में हम लोगों को पहले से कुछ भी जानकारी नहीं थी । हां, हम उसके लिये वैसा वातावरण अवश्य तैयार कर रहे थे जब कि सरकार ने इस कार्य को शीघ्र ही आकर अपने हाथों में ले लिया ।

वास्तव में जनता तब तक अधिक कर देने के लिये तैयार नहीं होगी जब तक कि हम उसे इस बात का विश्वास नहीं करा देते कि कर-अपवंचन को समाप्त कर दिया है । उन्हें यह भी मनवाना पड़ेगा कि अमीरों से बड़ी सख्ती से कर वसूल किये जा रहे हैं । तभी निम्न वर्ग के लोगों से कर वसूल करना उचित होगा और वे प्रसन्नता से कर देंगे भी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

वित्त मंत्री की इस बात से मैं सहमत नहीं कि वह केवल आंकड़ों के आधार पर ही चलते हैं और कोई बात नहीं मानते । जन-शक्ति क्या है ? यह तो दार्शनिक बात ही है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है । वास्तव में लोगों को समझना यह चाहिये कि कार्य वे कर रहे हैं और सरकार उनकी सहायता कर रही है । ऐसा सोचना तो ठीक है किन्तु इसके विपरीत धारणा रखने से देश में जन-शक्ति का सही अर्थ नहीं लगाया जा रहा है । इस कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना होगा । उदाहरण के लिये पंचायतों, बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को शक्ति देनी चाहिये । भले ही प्रारम्भ में इनसे कुछ गलतियां हो जायें किन्तु अन्ततोगत्वा देश की उन्नति तभी सम्भव है ।

मैं वित्त मंत्री की इस बात से वास्तव में सन्तुष्ट हूं कि उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ाना ही, हमारा उद्देश्य नहीं वरन् हमें तो निम्नवर्ग के लोगों की आय में वृद्धि करके भावी पीढ़ी के लिये उन्नति का मार्ग विस्तृत करना है ।

वास्तव में इस योजना में गांधी जी के सिद्धांत को दृष्टि में रहना चाहिये । वह सिद्धांत यह है कि निम्नतम व्यक्ति को यह समझना चाहिये कि सरकार उसकी ओर सबसे अधिक ध्यान दे रही है । दिल्ली तथा अन्य शहरों की गन्दी बस्तियों का दृश्य देखिये । मैं जानना चाहूंगा कि इनको दूर करने के लिये सरकार ने द्वितीय योजना में क्या विशेष उपाय किये हैं । केवल कुछ लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर देने से ही यह समस्या हल नहीं हो जाती । भंगियों के लिये हम क्या कर रहे हैं ? वास्तव में यदि देखा जाय तो सामुदायिक परियोजनाओं के द्वारा भी हम उन्हीं व्यक्तियों की सहायता कर रहे हैं जिनके पास कुछ भूमि या छोटा-मोटा मकान है किन्तु उन व्यक्तियों के लिये हमने योजना में क्या व्यवस्था की है जिनके पास कुछ भी नहीं है ? अन्तिम योजना में इस बात का स्पष्टीकरण भी होना चाहिये था कि ऐसे

लोगों की दशा सुधारने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ? अब वह समय आ गया है जबकि हमें उन्हें बताना होगा कि उनका आज क्या स्थान है और आगे वे क्या होंगे। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस पर विस्तारपूर्वक बतायेंगे। अब मैं यही कहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने सफलता प्राप्त की है और इसी के बल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिये। हमें देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जो हमारे लिये सन्तोषजनक होने के साथ ही अन्य देशों के लिये आदर्श का काम करें। पंचशील का सिद्धांत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रशंसित हुआ है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में इस गांधी-भूमि को ऐसा रूप दिया जाये जो दूसरों के लिये आदर्श हो। हमें नवीन कार्य करना चाहिये; जीवन के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यांकन का नया मापदण्ड निर्धारित करना चाहिए।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : वाद-विवाद के दौरान में शिक्षा मंत्रालय के कार्य के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये गये हैं। इन आलोचनाओं का उत्तर देने में मैं सभा का कुछ समय लूंगा।

पहली बात यह कही गई थी कि शिक्षा से रोजगार की समस्या हल नहीं हुई है तथा परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का प्रभाव हो गया है। बेकारी की समस्या वृहद् समस्या है। सारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी समस्या के हल के लिये प्रयत्नशील है। कोरी शिक्षा से ही बेकारी का हल नहीं हो सकता है। यह सच है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्तियों का निर्माण है जो उत्पादक कार्य कर के समाज के प्रति उत्तरदायित्व का वहन करें। केवल शिक्षा यह काम नहीं कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षित बेरोजगारों के लिये काम ढूंढने में किसी सीमा तक प्रयत्न किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ८०,००० ग्राम्य अध्यापक और ८,००० सामाजिक शिक्षा कार्यकर्ताओं को नियोजित करने का विचार था। राज्य सरकारों से प्राप्त समाचारों से यह प्रकट है कि ७८,००० अध्यापक वस्तुतः नियुक्त कर दिये गये हैं और शेष २,००० अध्यापकों को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व नियुक्त करने की आशा है। जैसा मैंने कहा शिक्षित बेरोजगारी की दिशा में यह अत्यन्त सीमित कार्य है। जहां तक मंत्रालय का सम्बन्ध है वह लक्ष्य की पूर्ति में सफल हुआ है। हमने मार्च, १९५५ के अंत तक १,००० सामाजिक शिक्षा कार्यकर्ता भी नियोजित किये हैं और मुझे आशा है कि मार्च, १९५६ के अंत तक और भी बहुत से व्यक्ति नियोजित कर लिये जायेंगे। अभी मुझे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं।

विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की अनियंत्रित भीड़ शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है।

शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं किन्तु यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है। ज्यों ही शिक्षित व्यक्तियों को काम देते हैं विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में और विद्यार्थी आ जाते हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता। अतः यह एक स्थायी-सी समस्या है जिसे सरकार को हल करना है।

विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की योजनारहित भीड़ का हमें सामना करना है। इन प्रश्न पर विचार करने के लिये कुछ समय पहले सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की थी। समिति का कार्य लोक सेवाओं की भरती के लिये योग्यताओं का परीक्षण करना था। समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है कि लोक सेवाओं की भरती के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री किस सीमा तक तथा किन स्तरों पर आवश्यक है। यह समिति परीक्षा के उन तरीकों की भी जांच कर रही है जिनके आधार पर विश्वविद्यालय की डिग्री के अभाव में उम्मीदवारों के सापेक्ष गुणों का यथार्थ मूल्यांकन कर सके। आशा है कि यह समिति ३१ मार्च तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और सरकार इस प्रतिवेदन पर पूर्ण विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गाडगिल** (पूना—मध्य) : क्या यह अन्तिम प्रतिवेदन है अथवा किसी भावी घटना का सन्देशवाहक है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी। मैं समझता हूं कि शिक्षा और सामाजिक नियोजन के इन मामलों में हम किसी प्रकार के अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। ज्यों ही समस्यायें आयेंगी उन्हें हल किया जायेगा ।

†**श्रीमती अम्मूस्वामीनाथन** (डिंडीगल): क्या सरकार युवक वर्ग के लिये किसी ऐसी शिक्षा पद्धति पर विचार कर रही है जिससे कि वे सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये उपयुक्त सिद्ध हो सकें। आज समस्या तो यह है कि बी० ए० और एम० ए० पास कर लेने पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता है ।

†**डा० के० एल श्रीमाली** : इस बात की मैं बाद में चर्चा करूंगा ।

एक अन्य बात जो आधुनिक शिक्षा पद्धति के बारे में कही गई है वह है शिक्षा का वर्तमान आवश्यकताओं के अनुपयुक्त होना। यह भी बताया गया है कि शिक्षा की सम्पूर्ण पद्धति का पुनर्गठन होना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में इस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिये कि वह सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके ।

†**श्री एम० पी० मिश्र** (मुंगेर—उत्तर-पश्चिम) : दो-तिहाई आर्ट्स कालेज बन्द कर दीजिये ।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : पिछले कुछ वर्षों में सरकार का मुख्य कार्य राष्ट्रीय शिक्षा की योजना तैयार करना है। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि इस समय तक हम शिक्षा की राष्ट्रीय योजना की सामान्य रूपरेखा बनाने में सफल हुये हैं। दूसरा कार्य इस योजना की क्रियान्विति है। सर्वाधिकारवादी समाज में यह कार्य एक रात्रि में किया जा सकता है। उस अवस्था में सम्पूर्ण सामाजिक ढांचा तथा समूची शिक्षा पद्धति को बदलने के लिये लोगों को आदेश दिया जा सकता था। जर्मनी में ऐसा किया गया है; सोवियत रूस में ऐसा किया गया है किन्तु जनतंत्रवादी समाज में यह कठिन है ।

शिक्षा के मामले में हमें राज्य सरकारों को ही नहीं प्रत्युत जनता को भी साथ में ले कर चलना है। उदाहरण के लिये, प्राथमिक शिक्षा की बात लीजिये। भारत सरकार और शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड ने विभिन्न समितियों और बैठकों में यह निर्णय किया है कि बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय प्रारूप का प्रतीक होगी। किन्तु केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार के निर्णय मात्र से अधिक सफलता नहीं मिलेगी ।

सदन को मालूम है शिक्षा राज्य का विषय है तथा लोगों द्वारा इस पद्धति को अपनाने के लिये राज्य सरकारों से अत्यन्त मनुहार और निश्चय की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि हम नवीन प्रणाली की उपयोगिता और अच्छाई का विश्वास दिलाने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध करें। केन्द्रीय सरकार के सामने यही समस्या है। राज्य सरकारें बहुधा इस समस्या के प्रति उदासीन हैं। प्रायः वे प्रचलित पद्धति में परिवर्तन करने के लिये तैयार नहीं होती हैं। हम राज्य सरकारों को निरकुंश रूप में यह आदेश नहीं दे सकते कि वे राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रणाली को अंगीकृत करें।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा—मध्य) : शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री सदस्य हैं। और जब बोर्ड ने कोई निर्णय कर लिया है तो राज्यों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा उसे न मानने का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : वस्तुतः केन्द्रीय सरकार के सामने यह समस्या है। शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड में सभी शिक्षा मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है। बोर्ड द्वारा निर्णय कर लेने पर भी प्रायः राज्य

†मूल अंग्रेजी में

सरकारें इस कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं कर पाती हैं। इसके अनेक कारण हैं। मैं राज्य सरकारों की निन्दा नहीं कर रहा हूं। परिस्थितिवश कुछ स्वाभाविक कठिनाइयां हैं। उदासीनता और वित्तीय कारण भी इसके लिये आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : अव्यावहारिक निर्णय किये जाते हैं।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : उदाहरण के लिये सामान्य स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रश्न लीजिये। इसके लिये बहुसंख्यक योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : मंत्री महोदय राज्य-सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं जबकि यहां उनकी ओर से उत्तर देने के लिये कोई नहीं है।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सभा के समक्ष केवल उन कठिनाइयों को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनका शिक्षा की सम्पूर्ण राष्ट्रीय प्रणाली के पुनर्निर्माण के सिलसिले में सरकार को सामना करना पड़ता है। जब तक शिक्षा राज्य का विषय है और जब तक केन्द्रीय सरकार को अधिक शक्तियां नहीं मिलती हैं और संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाता, राज्य-सरकारों को आदेश नहीं दिया जा सकता। शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को मनुहार एवं युक्ति से काम लेना पड़ेगा।

राज्य-सरकारों के अतिरिक्त हमें जनता को भी इस बात का विश्वास दिलाना है कि नवीन प्रणाली उपयोगी और लाभप्रद है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में शिक्षा मंत्रालय ने राज्य-सरकारों की सहायता से अनेक मूल योजनायें प्रारम्भ कीं। हमारा उद्देश्य था कि शिक्षा सम्बन्धी विकास गहन रूप धारण कर सके। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि इन कठिनाइयों के होते हुये भी हमने कुछ मूल योजनाओं की स्थापना की है जहां बुनियादी शिक्षा में प्रयोग किये जा रहे हैं। अध्यापकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी वर्तमान संस्थाओं को हम बुनियादी शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थाओं में परिवर्तित कर रहे हैं। राज्य-सरकारों की सहायता से हम नवीन बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें आरम्भ कर रहे हैं। विभिन्न प्राथमिक पाठशालाओं में शिल्पकारी की शिक्षा आरम्भ की गई है। शिल्प-अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य के निर्माण का प्रयत्न किया गया है। यह सच है कि समस्या की विशालता को देखते हुये यह प्रयत्न अत्यन्त साधारण हैं, किन्तु उचित समय पर इनके परिणाम दृष्टिगोचर होंगे।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने १९५३ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और तभी से हम इसकी सिफारिशें क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जुलाई में नया सत्र आरम्भ होने पर सम्पूर्ण देश में बहु सूत्री पाठशालाओं के जाल बिछ जाने की आशा है। राज्य-सरकारों के सहयोग शिक्षा में सुधार करने का यह एक और उदाहरण है। माननीय सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा में जिन त्रुटियों की ओर संकेत किया वह पाठ्यक्रम का अत्यन्त बौद्धिक होना, उनमें विविधता का अभाव एवं विद्यार्थियों द्वारा बौद्धिक पाठ्यक्रमों को अधिक अपनाना है। माध्यमिक शिक्षा की इन त्रुटियों को दूर करने के लिये माध्मिक शिक्षा आयोग ने बहु सूत्री स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की थी। हमने सारे देश में ४२५ स्कूलों के परिवर्तन की मंजूरी दे दी है। यद्यपि समस्या को देखते हुये यह संख्या छोटी है किन्तु योजना की प्रगति के साथ-साथ देश में इन स्कूलों का जाल फैल जायगा। इन बहुसूत्री स्कूलों की स्थापना के पश्चात् विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय में भरती होने की प्रवृति कम हो जायेगी। आशा है कि बहुसूत्री स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के विकेन्द्रित क्षेत्रों में काम मिल जायेगा तथा वह विश्वविद्यालयों की ओर नहीं दौड़ेंगे। यह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार है। हम इसके लाभ की अनुभूति वर्तमान में नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके परिणाम

†मूल अंग्रेजी में

[डा० के० एल० श्रीमाली]

अत्यन्त दूरगामी हैं । यदि बहुसूत्री स्कूल सफल हुये—और यदि उनका सफल संचालन किया गया तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी—तो शिक्षित बेरोजगारी बड़ी सीमा तक दूर हो जायेगी । यद्यपि हमें बेरोजगारी की समस्या की ओर व्यापक एवं उन्नत दृष्टि से विचार करना पड़ेगा । कोरी शिक्षा से समस्या हल नहीं हो सकती है किन्तु इन बहुसूत्री स्कूलों में हम ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर काम ढूंढ सकेंगे ।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में हम अध्यापन में सुधार, स्कूल के पुस्तकालयों की उन्नति तथा मिडिल स्कूलों में शिल्पकारी आरम्भ कर रहे हैं । अन्य विभिन्न प्रकार की योजनायें हैं जिनके द्वारा हमें आशा है कि सैकेण्डरी स्कूलों में सुधार होगा । मैं देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का बचाव नहीं करता, मैं तो सभा को केवल यह सूचित कर रहा हूं कि शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिये शिक्षा मंत्रालय क्या कुछ कह रहा है, जो अत्यन्त कठिन कार्य है और अत्यन्त महत्वपूर्ण भी ।

विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में, हमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक पुरःस्थापित करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा । यदि माननीय सदस्य विधेयक के पूर्ण इतिहास को स्मरण करें तो उन्हें मालूम होगा कि स्वयं आयोग की स्थापना के प्रति विभिन्न लोगों ने बड़ा विरोध किया था । विश्वविद्यालय अनुभव करते थे, कि उनकी स्वतन्त्रता और स्वायत्तशासिता का अतिक्रमण किया जा रहा था, राज्य-सरकारें अनुभव करती थीं कि वह उनका क्षेत्र है और केन्द्रीय सरकार को बीच में नहीं पड़ना चाहिये । किन्तु अनुनय और समझौते के फलस्वरूप, अब हम विधेयक को पारित करवाने में सफल हो गये हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो पहले से काम कर रहा था, उसकी अब पुनर्रचना की जायेगी । मुझे विश्वास है कि वह अब विश्वविद्यालय शिक्षा की पुर्नव्यवस्था पर विचार करेगा । आयोग को निधियां दी जा रही हैं और मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के साथ, अपनी स्थिति को सुधारने में सफल हो सकेंगे । कालेजों को लाभ पहुंचाने के बारे में यह बात है कि धीरे-धीरे उन को भी लाभ पहुंचेगा ।

[**पण्डित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुये]

हम समस्त शिक्षा सम्बन्धी समस्या को एक ही समय हल नहीं कर सकते । यदि योजना आयोग समस्त पंचवर्षीय योजना कालावधि के लिये हमें १,००० करोड़ रुपये देने की हमारी मूल प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता, तो हम देश की शिक्षा सम्बन्धी समस्या को हल कर सकते थे । किन्तु हमारे संसाधन सीमित हैं, हमें उपलब्ध साधनों के अनुसार कार्य करना है । जो सीमित साधन हमारे पास हैं, उनके द्वारा हम ये सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री एम० डी० जोशी** (रत्नगिरि—दक्षिण) : क्या ग्रामीण क्षेत्रों के कालेजों को कुछ विशेष सहायता दी जा रही है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** शिक्षा मंत्रालय इस समस्या को हल करने में लगा हुआ है । अभी हाल ही में हमने ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिये एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं । वास्तव में एक राष्ट्रीय परिषद् बनाई जा रही है । आशा है अप्रैल के पहले सप्ताह में इसकी बैठक होगी । यह समिति ग्रामीण-क्षेत्रों की उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं को कुछ वित्तीय सहायता देगी ।

†**डा० लंकासुन्दरम्** (विशाखापटनम्) : गांवों में एक अध्यापकों के स्कूलों का कार्य कैसा है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** जैसा कि मैंने कहा शिक्षा सम्बन्धी बहुत सी समस्यायें हैं । केन्द्रीय सरकार के लिये सब समस्याओं का एकदम निबटारा करना संभव नहीं है । मैं यहाँ इस बात का

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि देश भर में किये जाने वाल प्रयत्नों का समन्वय करने का किस प्रकार प्रयत्न किया जा रहा है ।

इसकी बड़ी आलोचना की गई है कि हिन्दी के प्रचार और विस्तार के बारे में अधिक प्रगति नहीं की गई है । किये गये प्रयत्न अपर्याप्त दिखाई देते हैं । इसके बारे में, मंत्रालय ने विज्ञान, शिल्प विज्ञान, और प्रशासन सम्बन्धी शब्दावली तैयार की है, जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करे, और यह काम जारी है । मुझे आशा है कि १९६० तक, हम इस काम का अधिक अंश पूरा कर सकेंगे । विभिन्न हिन्दी संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के शब्दकोश अर्थात् हिन्दी से हिन्दी शब्द को, संक्षिप्त आक्सफोर्ड शब्दकोश के नमूने पर आदर्श अंग्रेजी—हिन्दी शब्दकोश, हिन्दी-उर्दू, उर्दू-हिन्दी और बहुभाषायी शब्दकोश तैयार करने के लिये आर्थिक सहायता दी गई है । शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न विषयों में अच्छे हिन्दी साहित्य के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये हिन्दी को उत्तम पुस्तकों के लेखकों को प्रति-वर्ष पारितोषिक भी दिये जा रहे हैं । अन्य मंत्रालयों के समान शिक्षा मंत्रालय भी अपना प्रतिवेदन हिन्दी में प्रकाशित कर रहा है । यदि यह प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है, तो मैं समझता हूं कि यह उपलब्ध हो जायगा । अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, को अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार करने के लिये अनुदान दिये गये हैं । दिल्ली में हिन्दी न जानने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिये हिन्दी स्कूल आरम्भ किये गये हैं ।

शिक्षा मंत्रालय ने यह कार्य किया है । इस मामले में भी, हमें राज्य-सरकारों का सहयोग लेकर काम करना होगा । हिन्दी के प्रचार का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है किन्तु यह काम बड़ा नर्म हैं और हमें राज्य-सरकारों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना होगा ।

कुछ समय पूर्व शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय किया था कि जहां तक हिन्दी प्रचार का सम्बन्ध है, सब काम स्वयं राज्य-सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिये । योजनायें मंगवाई गई थीं और कार्यक्रम आयो-जित किये गये थे । किन्तु बात यह है कि राज्य-सरकारों को जो धन दिया गया था, वे उस धन का उपयोग नहीं कर सकीं । हम आशा करते हैं कि १९६० तक, हम अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी को भी प्रशासन कार्य के प्रयोग में ला सकेंगे ताकि हम ५ वर्ष तक प्रशासन की भाषा के रूप में हिन्दी के विकास को देख सकें । सभा को हिन्दी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम पहले ही विदित है और हम उस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

छात्रवृत्तियों के बारे में यह बात उठाई गई थी कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी को कुछ सहायता प्राप्त हो सके । इसके बारे में, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि छात्रवृत्तियों का उपबन्ध ३ लाख रुपये प्रतिवर्ष से १५० लाख रुपये अर्थात् ५० गुना हो गया है और यह सभा इसे पर्याप्त समझेगी । हम सब को प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने छात्रवृत्तियों की जो योजना आरम्भ की थी वह बड़ी सफल रही है । १९५५–५६ में १३० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था जो मंत्रालय में आने वाले प्रार्थना-पत्रों की भारी संख्या होने के लिये बढ़ाकर १५० लाख रुपये कर दिया गया था । दूसरे निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने से सम्बन्धित योजना विचाराधीन है और हम छात्रवृत्तियों का विस्तार बढ़ाना चाहते हैं ।

†**श्रीमती इल पालचौधरी** (नवद्वीप) : जो शरणार्थी या अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध नहीं रखते, उनके लिये कौन सा धन बचेगा ।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : उसकी दूसरी योजना है । इस समय मैं अनुसूचित जातियों, और आदिम जातियों तथा दूसरे पिछड़े वर्गों को दिये जाने वाली छात्रवृत्तियों का उल्लेख कर रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० के० एल० श्रीमाली]

१९५५–५६ में १३० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था जिसे बढ़ा कर १५० लाख रुपये कर दिया गया था, क्योंकि १९५६-५७ में छात्रवृत्तियों के लिये बहुत अधिक प्रार्थना पत्र आये थे और हमने १९५५–५६ के व्यय के आधार पर इसे बढ़ाकर १५० लाख रुपये कर दिया था मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि प्रार्थनापत्रों की संख्या बढ़ जायगी, तो हम वर्ष के अन्दर इस काम के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के विस्तार करने का विचार है । १९५६–५७ में ६,७०० अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई थी । वर्ष में कुल मिला कर ३७,००० छात्रवृत्तियों के उपबन्ध का और बाद वाले वर्ष १९५७–५८ के लिये ११,८०० अधिक छात्रवृत्तियां, कुल मिलाकर ४२,८०० का उपबन्ध करने का विचार है । इस बढ़ती हुई दर से १९६०-६१ में छात्रवृत्तियों की संख्या ५२,००० होगी । मैं यह भी कहूंगा कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक योग्य विद्यार्थी को छात्रवृत्तियां दी गई हैं । मुझे नहीं मालूम कि किसी भी योग्य विद्यार्थी को छात्रवृत्ति न मिली हो । निस्सन्देह, पिछड़े वर्गों के प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देना सम्भव नहीं था, क्योंकि छात्रवृत्तियों के लिये बहुत अधिक प्रार्थना पत्र आये थे । किन्तु हमने उन सब विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की थी और दूसरे पिछड़े वर्गों के कुछ अन्य चुने हुए विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं । मैं प्रतिशत के आंकड़े इस समय बताने में असमर्थ हूं ।

हिल स्टेशनों पर सम्मेलन रखने की बात कही गई है । यह कहा गया है कि इस पर बहुत अधिक व्यय होता है, इसलिये इसे रोकना चाहिये । इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चालू वर्ष में उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन, सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम बनाने के बारे में श्रीनगर में हुआ था । क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी वहीं बैठक हो रही थी, इसलिये इस मंत्रालय ने उप-कुलपतियों की उपस्थिति का लाभ उठाया और श्रीनगर में उप-कुलपतियों का सम्मेलन बुलाया । मैं यह भी कहूंगा कि श्रीनगर में यह सम्मेलन रखना, काश्मीर घाटी की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने की भारत सरकार की नीति के अनुसार था ।

हिल स्टेशनों पर हैड मास्टरों और अध्यापकों की कई गोष्ठियां रखी गई हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा को इन हैड मास्टरों और अध्यापकों को हिल स्शटेनों के मनोरंजन का कुछ थोड़ा अवसर देने में कोई आपत्ति नहीं है । जैसा कि मैंने कहा, हैड मास्टरों और अध्यापकों की इस गोष्ठी का बड़ा उद्देश्य उन्हें अध्ययन और चर्चा करने का अवसर देना और साथ ही कुछ मनोरंजन का भी अवसर देना था । यदि ये गोष्ठियां प्राकृतिक और सुन्दर स्थानों पर की जायें, तो मनोरंजन का भी कुछ अवसर मिलता है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो धन खर्च किया है उसका उचित उपयोग हुआ है । हम सदा यह कहते हैं कि इन अध्यापकों का स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिये । यह एक तरीका है जिसके द्वारा हैड मास्टरों और अध्यापकों को मनोरंजन का अवसर दिया जा सकता है ।

यह बात कही गई थी कि हमें केवल उन राशियों के लिये बजट में उपबन्ध करना चाहिए जितनी खर्च करने की हमारी क्षमता है और शिक्षा मंत्रालय के बजट की यह स्थिति है कि बहुत से धन का उपयोग नहीं किया गया है । यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय को कुछ राशियां वापिस देनी पड़ती हैं । किन्तु मुख्य कारण यह था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ धन का उपयोग नहीं किया था । इसमें भी हमें शासनतंत्र और अपनाये गये मार्ग का विचार करना पड़ता है । सरकार ने कुछ धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हस्तान्तरित किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये धन का आवंटन करता है । कई बार विश्वविद्यालय इन राशियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते, वे अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप में तैयार नहीं कर सकते, इसलिये उन्हें कुछ धन वापिस देना पड़ता है ।

राज्य सरकारों द्वारा वापिस किये गये धन के बारे में, मैं मानता हूं कि योजना में कुछ त्रुटि रह गई थी। केन्द्रीय योजनाओं और शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं के बीच उचित समन्वय नहीं था। इस कारण, जब शिक्षा मंत्रालय की योजनायें, राज्य-सरकारों को भेजी गई थीं, तो इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिये उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। शिक्षा मंत्रालय ने जो भी अनुदान दिये थे, वे इस आधार पर थे, कि वे भी अपनी ओर से राशियां लगायें और क्योंकि राज्य-सरकारों के पास उतना धन नहीं था, इसलिये वे इन अनुदानों का उपयोग करने में असमर्थ रहीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कठिनाई को दूर कर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों के बीच अधिक समन्वय होगा।

एक माननीय सदस्य ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव के त्यागपत्र का प्रश्न उठाया है। सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को त्यागपत्र देकर संसद् का निर्वाचन लड़ने का अधिकार है। श्री कबीर ने अपनी इच्छा से त्यागपत्र दिया है, उसे किसी ने भी त्यागपत्र देकर संसद् का निर्वाचन लड़ने के लिये नहीं कहा। यह नागरिकों की स्वतन्त्रता का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि श्री कबीर को अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग करने का अधिकार है।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** (एलुरु) : श्री रामचन्द्र रेड्डी ने बताया है कि श्री कबीर को आश्वासन दिया गया है कि संसद् सदस्य बनने पर उन्हें मंत्री बनाया जायगा। ऐसी आश्वासन देना बुरी बात है।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : संसद् का कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मैंने संक्षेप में सभा के सामने कुछ काम रखने का प्रयत्न किया है, जो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। यह कठिन काम है। शिक्षा राज्य-विषय है, और हमारे पास केन्द्र में किये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त शक्ति नहीं है, इसके बावजूद भी, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति की गई है। भारतीय शिक्षा में कुछ हलचल हुई है। यदि कोई देश में घूमकर देखे तो पता चलेगा कि शिक्षा सम्बन्धी पुनर्व्यवस्था के बारे में प्रत्येक व्यक्ति चिंतातुर है। यदि सभा के सदस्य देश की कुछ संस्थाओं को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि उनमें नवीन भावना आ गई है। यह भी शिक्षा सम्बन्धी पुनर्व्यवस्था की आशा का चिन्ह है।

यह कठिन कार्य है। जैसा कि मैंने कहा कि सर्वाधिकारवादी समाज के लिये एकदम शिक्षा प्रणाली को बदल देना सरल होता है, किन्तु लोकतन्त्र की पद्धति में धीरे-धीरे चलना पड़ता है। हम शिक्षा के मामले में, लोगों पर और राज्य-सरकारों पर अपनी इच्छा नहीं लाद सकते। लोगों को समझाना होगा और उन्हें इसके लिये मनवाना पड़ेगा।

†**श्री गाडगिल** : संविधान में प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मुझे गलत समझा जा रहा है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा के ढांचे का उल्लेख कर रहा था।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : संविधान को गलत समझा जा रहा है।

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये हमने कहा है और निधि के उपलब्ध होने पर सरकार वाद-विवाद में दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये यथासंभव प्रयत्न करेगी। विशेष बात यह है कि यह मामला उतना आसान नहीं है जितना कि यह देखने में लगता है। शिक्षा के मामले में हमें जनता की इच्छा की पूर्ति करनी है और जब तक कि शिक्षा की नयी पद्धति के बारे में जनता स्वयं तैयार नहीं हो जाती और स्वतः उसे स्वीकार नहीं कर लेती तब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शिक्षा के सभी स्तरों के जैसे बुनियादी, माध्यमिक शिक्षा

†मूल अंग्रेजी में

[डा० के० एल० श्रीमाली]

और विश्वविद्यालय के स्तर के बारे में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया है और हम विभिन्न समितियों तथा आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को धीरे-धीरे कार्यान्वित कर रहे हैं। हमें यह कार्य राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और सामान्यतः जनता के सहयोग से करना है। चाहे शिक्षा की प्रगति धीमी ही भले हो किन्तु जनता की इच्छा की पूर्ति करना अच्छा है। सभा को मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस मामले की महत्ता के बारे में जो आज हमारे सामने है, शिक्षा मंत्रालय पूर्णतः सजग है। सभा को मैं यह आश्वासन देता हूं कि वाद-विवाद के दौरान में जो विभिन्न सुझाव दिये गये हैं उनको क्रियान्वित करने के लिये हम पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे।

शिक्षा सम्बन्धी आलोचना का हमेशा स्वागत होगा। वास्तव में शिक्षा के मामले में अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। शिक्षा में रीतियां बदलती हैं, विचार और आदर्श बदलते हैं और यदि लोक-तन्त्रीय सिद्धांतों को हमें बनाये रखना है तो पुनर्निर्माण का कार्य हमारे समाज में निरंतर जारी रहना चाहिए।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मेरे मित्र श्री श्रीमन्नारायण ने बजट का भेद खुल जाने की ओर निर्देश किया था। मुझे इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री से पूरी सहानुभूति हैं। मुझे उनकी ईमानदारी पर बिल्कुल संदेह नहीं है और मैं समझता हूं कि यह सरकारी बातों को गुप्त रखने का सरकारी कर्मचारियों की क्षमता का मामला है, जिसके सम्बन्ध में सरकार को सभा की हिदायतों के अनुसार चलना चाहिये।

वित्त मंत्री का बजट विवरण जिसमें करारोपण प्रस्ताव भी सम्मलित है, उतनी सावधानी से तैयार नहीं किया गया है, जितना कि सावधानी से किया जाना चाहिए था। मैं एक उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूं। यदि कपड़ा सम्बन्धी करारोपण प्रस्ताव वर्ग गज के आधार पर न होकर करघों की संख्या के आधार पर होता, तो सरकार को प्रशासकीय व्यय में कई लाख रुपये की बचत हो सकती थी और कपड़ा मिलों को भी अतिरिक्त कर्मचारी न रखने पड़ते।

लाभांशों को सीमित करने के सम्बन्ध में भी करारोपण प्रस्ताव बहुत अनियमित ढंग से बनाये गये हैं। वित्त मंत्री के करारोपण प्रस्तावों में साम्य नहीं है, अर्थात् वित्त मंत्री ने उन्हें सदन के सामने रखने से पहले उनकी ऊंच-नीच पर उचित रूप से विचार नहीं किया।

अब मैं बजट के ऐसे पहलू की चर्चा करता हूं, जिसकी हमारे गणराज्य के पहले चार वर्षों में लगातार उपेक्षा की गई है। पिछले वर्ष और उससे पहले वर्ष भी मैंने यह बताया था कि बजट में किस तरह आंकड़ों का हेर-फेर किया जाता है। बजट भाषण के साथ एक हजार पृष्ठ का जो ज्ञापन परिचालित किया गया है, उसमें दिये गये आंकड़ों को कोई सदस्य भी नहीं समझ सकता। पिछले दो वर्षों में मैंने बजट के आंकड़ों की जो आलोचना की थी, उसकी मैं पुनरावृत्ति करता हूं। बजट तैयार करने की प्रणाली में तुरन्त सुधार किया जाना चाहिये। राजकोषीय वर्ष को बदलना आवश्यक है। राजस्व का भुगतान प्रति वर्ष गर्मियों के शुरू में नहीं, जाड़ों के शुरू में किया जाता है, राजस्व और व्यय के विश्वसनीय प्राक्कलन तैयार करने के लिये न केवल राजकोषीय वर्ष के बदलने की, बल्कि बजट तैयार करने के सारे तरीके को बदलने की आवश्यकता है।

बजट ज्ञापन में श्री देशमुख ने बताया है कि १९५६–५७ में अनुमानित पूंजी व्यय ३१६·७ करोड़ रुपये है और राज्यों को दूसरी योजना के लिये दिये जाने वाले ऋणों की राशि ३८६ करोड़ रुपये है। किन्तु उस राशि के कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं जो कि १९५६-५७ में राज्यों को अनुदानों के रूप में दी जायेगी। आंकड़ों से भरे हुये सैकड़ों पृष्ठ पढ़ने के बाद भी पूंजी व्यय के सकल योग के आंकड़े बजट ज्ञापन में किसी एक स्थान पर नहीं पाये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक वित्तीय पंचाट के अन्तर्गत राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों का सम्बन्ध है, यह बताया गया है कि इनकी राशि ७२·७१ करोड़ रुपये है। ज्ञापन में यह भी लिखा है कि केवल ४३·३५ करोड़ और २.३२ करोड़ रुपये राजस्व से लिये गये हैं। जहां तक संघ-उत्पादन शुल्क सम्बन्धी १७·०४ करोड़ रुपये की राशि का सम्बन्ध है, इसे राजस्व से नहीं लिया गया है। किन्तु उसी ज्ञापन में पृष्ठ १० पर, १७·०४ करोड़ की यह मांग व्यय के हिसाब से संघ उत्पादन शुल्क की मांग के अन्तर्गत दिखाई गई है। मेरे लिये यह समझना कठिन है कि वित्तीय पंचाट के अन्तर्गत, राज्यों को संघ उत्पादन शुल्क देने के सम्बन्ध में एक अन्य प्रणाली क्यों अपनाई गई है। मेरा अभिप्राय यह है कि करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है किन्तु व्यय पर कोई नियन्त्रण नहीं है और सदन को प्रस्तुत किये जाने वाले लेखों से सर्वतोमुखी रूप नहीं दिया गया है। अनुदानों के सम्बन्ध में मैं इस तरह के कई उदाहरण दे सकता हूं, जिन्हें देख कर कोई सदस्य किसी युक्तियुक्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। मैं जिस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं वह यह है कि चूंकि भविष्य में करोड़ों रुपये अनुदानों के रूप में दिये जायेंगे, इसलिये राजस्व के क्षेत्र में व्यय के शीर्षों से यह स्पष्ट प्रकट होना चाहिये कि उन सब अनुदानों की, जो व्यय के इन शीर्षों में उल्लिखित संविहित अनुदानों से पृथक् हैं, राशि क्या है।

पूंजी सौदों के बारे में, मैं एक उदाहरण दूंगा। बजट ज्ञापन के पृष्ठ ७३ पर आप देखेंगे कि विकास अनुदानों के लिये १२·३९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। किन्तु यह राशि पृष्ठ २२५ पर दी गई २६·६७ करोड़ रुपये से बहुत कम है। यह १४·२८ करोड़ रुपये कम है। किसी भी स्थान पर इस बात को स्पष्ट करने के लिये कोई विवरण नहीं दिया गया है। राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। आप देखेंगे कि पृष्ठ २२४–२२५ पर इनके लिये २६४·४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। किन्तु सब आंकड़ों को देखने के बाद मालूम होता है कि कुल योग ५९२·२२ करोड़ रुपये होता है। एक और बात केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों में धन के विनियोग के सम्बन्ध में है। इस विषय में भी आंकड़ों से कुछ पता नहीं चलता।

ज्ञापन के पृष्ठ ७३ पर 'औद्योगिक विकास' शीर्ष के अन्तर्गत ७९·६० रुपये की राशि दी गई है। मेरे विचार में १९५१–५२ से लेकर आज तक राज्य द्वारा लगाई गई कुल राशि इतनी कम नहीं हो सकती। पहली पंचवर्षीय योजना के पहले वर्षों के आंकड़े मुझे नहीं मिल सके। मैं समझता हूं कि संसद् को किसी एक स्थान पर यह बताया जाना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र में करदाताओं का कुल कितना रुपया लगाया गया है और किस तरह। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री बजट ज्ञापन तैयार करने में ऐसे परिवर्तन करेंगे कि उसे पढ़ कर सदन को एक ही बार में सरकारी कार्यवाहियों—अनुदान, कुल विनियोग, आय आदि—का पूरा चित्र मिल सके।

एक और कठिनाई अर्थोपायों की स्थिति के बारे में है। प्राप्तियों की मद में रेलवे निधियों के अधीन, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व में कितना लाभांश दिया जायेगा। इसे केवल राजस्व की मद समझा गया है और पृष्ठ ४ पर इस 'रेलवे द्वारा शुद्ध अंशदान' में सम्मिलित किया गया है। पृष्ठ १४ पर यह देखा जायेगा कि १९५६–५७ के लिये अनुमानित अंशदान ३९·६६ करोड़ रुपये है, किन्तु वास्तविक शुद्ध अंशदान ६.५७ करोड़ रुपये दिखाया गया है। मैं यह नहीं कहता कि वित्त मंत्री या उनके सहयोगियों ने इस सदन से जानकरी को छिपाने की कोशिश की है, किन्तु यह तरीका गलत है। सदन को अर्थोपायों के बारे में ठीक-ठीक स्थिति बताई जानी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिये गये ऋणों की मद के अधीन यह देखा जायेगा कि ८·८० करोड़ रुपये की राशि, जो पृष्ठ ८६ पर दिखाई गई विशेष विकास निधि और अन्य निधियों में से दी गई है, सम्मिलित नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है और आंकड़े इस तरह से क्यों प्रस्तुत किये जाते हैं कि उनकी तुलना ही न हो सके। इन आंकड़ों से भ्रांति ही पैदा होती है। सदन यह मांग करता है कि बजट उपयुक्त तरीके से तैयार किया जाये और इस काम में वह सरकार की सहायता करने के लिये

[डा० लंका सुन्दरम्]

तैयार है। बजट के आंकड़े स्पष्ट और संगत होने चाहिये। इस सम्बन्ध में, मैं वित्त मंत्री को यह सुझाव दूंगा कि एक छोटी सी जांच समिति नियुक्त की जाय, जो कि बजट को ऐसा रूप दे जिससे कि राजस्व और व्यय की ठीक-ठीक स्थिति प्रकट हो और वित्तमंत्री ठीक निष्कर्षों पर पहुंच सकें।

†**श्री तुलसी दास** (मेहसाना पश्चिम) : श्री देशमुख के लिये यह बड़े गर्व की बात है कि यह उनका पांचवां बजट है। इन पांच वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है और श्री देशमुख ने वित्तीय नीति को बदल उसे सामाजिक व आर्थिक ढांचे के अनुकूल बनाने में काफी दक्षता दिखाई है। न केवल द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन की हानि को ही पूरा कर लिया गया है, बल्कि कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता भी प्राप्त की जा रही है। इस कार्य में अधिक योग निस्सन्देह सरकार ने दिया है। किन्तु केवल सरकारी कार्यवाही ही काफी नहीं है। गैर-सरकारी उद्यमों को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है। हमारी वित्तीय नीति ऐसी होनी चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र को आवश्यक धन और संसाधन मिल सकें।

इस बजट को देखकर हम कह सकते हैं कि वित्त मंत्री ने सरकार के लिये तो आवश्यकता से अधिक रुपये की व्यवस्था कर दी है किन्तु यह नहीं कह सकते कि गैर-सरकारी क्षेत्र को उपयुक्त मात्रा में वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे। इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों पर मुझे विशेष रूप से आपत्ति है। आय सम्बन्धी करारोपण प्रस्तावों से गैर-सरकारी उपक्रमों की प्रगति कम हो जायेगी। राष्ट्रीय प्रगति के लिये सरकारी एवं गैर-सरकारी उद्यम को दृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

बजट को स्थूल रूप में बनाये जाने के सम्बन्ध में जो आलोचना हुई है, वित्त मंत्री उसका उत्तर दे चुके हैं। बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों में प्रतिवर्ष ४५ करोड़ रुपये का अन्तर होता है। किन्तु, वित्त मंत्री अधिक राजस्व प्राप्त करके समन्वय कर लेते हैं और यह समन्वय सदा वित्त मंत्रालय के अनुकूल ही होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि वह ठीक-ठीक प्राक्कलन नहीं दे सके हैं।

प्राक्कलनों में जो घाटा दिखाया गया है, उसके लिये वित्त मंत्री ने, करारोपण के कुछ प्रस्ताव किये हैं और अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि यह करारोपण योजना को क्रियान्वित करने के लिये नहीं हैं, बल्कि बजट को संतुलित करने के लिये है। यदि ऐसा है तो पिछले पांच वर्षों में २२५ करोड़ रुपये के अनुमानों से अतिरिक्त प्राप्त कर लेने के बाद, क्या वह ३० करोड़ रुपये के नये करों को लगाने से बच नहीं सकते थे। मेरे विचार में प्रतिवर्ष घाटे का बहाना करके, करों की, विशेषतया आयकर और सीमा शुल्कों की दरें बढ़ाने की चेष्टा की जाती है। यह याद रखा जाना चाहिये कि पहली योजना की अवधि में करों की दरें मुख्यतया विकास के लिये बढ़ाई गई थीं, किन्तु जब सरकारी विकास व्यय १० प्रतिशत कम हुआ है, तो आर्थिक प्रगति के नाम पर करदाताओं पर क्यों भार डाला गया है ?

उद्योग, व्यापार, आवास और अन्य क्षेत्रों में धन के विनियोग के विषय में दूसरी पंचवर्षीय योजना से लोगों पर भारी उत्तरदायित्व पड़ता है। आशा की जाती है कि औद्योगिक क्षेत्र में ६२० करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे। किन्तु जिस तरह वित्तीय नीतियां निर्धारित की गई हैं, उद्योग को आवश्यक धन उपलब्ध नहीं हो सकेगा और उद्योग के व्यापारी क्षेत्र से सरकार और सरकारी संस्थाओं का अधिकाधिक सहारा लेना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसी बैंकिंग या वित्तीय संस्थायें नहीं हैं जो उद्योगपतियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। मेरा अभिप्राय यह है कि नये करों को समता के आधार पर उचित ठहराया जाता है। कहा जाता है कि देश में असमतायें कम से कम होनी चाहियें। यह सब ठीक है किन्तु मानवी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुये, आर्थिक प्रगति के लिये सब से अधिक प्रेरणा इस बात से मिलती है कि भिन्न-भिन्न लोगों की आय में अन्तर बना रहे। ये अन्तर सब देशों म है, रूस में भी यह अन्तर पाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

किन्तु हमारी नीति ऐसी है कि हम इस प्रेरणा को समाप्त कर रहे हैं। आय में अन्तर बनाये रखने से ही लोगों को अधिक काम और उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि समता के उत्साह में हम इस प्रेरणा को समाप्त करके अपनी अर्थ व्यवस्था को संकुचित न कर दें। सामाजिक न्याय के अनुसार उन लोगों को, जिनका काम समाज के लिये अधिक हितकर है, आय और उत्पादन का अधिक अंश मिलना चाहिये।

†**श्री एस० एस० मोरे** : इसका निर्णय कौन करेगा ?

†**श्री तुलसीदास** : इसका निर्णय करना जनता का काम है। अच्छी तरह काम करने वाले श्रमिक और खराब काम करने वाले श्रमिक को बराबर मजूरी देने में कोई सामाजिक न्याय नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि यह सामाजिक अन्याय है।

मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। सरकार ने सदैव हम से कहा है कि किसी सिद्धांतवादी नीति को अपनाने में उनकी कोई अभिरूचि नहीं है वरन् वह राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहती है। मेरे विचार से वित्त मंत्री ने भी इन्हीं विचारों को दोहराया है, परन्तु सरकार द्वारा समय समय पर किये गये कार्य इस बात को असत्य सिद्ध करते हैं। यदि सरकार यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रति निष्ठ होती तो उन लोगों के प्रति, जो वास्तव में राष्ट्रीय संपदा में अंशदान करते हैं, इतनी लापरवाह नहीं होती। उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र के अच्छे कार्यों के बावजूद सरकारी क्षेत्र का, सरकार का, सम्मान स्पष्ट रूप में राजकीय स्वामित्व और संचालन के हित में रहा है। इस समय सरकार की मनोवृत्ति राष्ट्रीयकरण, एकाधिकारपूर्ण राष्ट्रीयकरण, द्वारा अधिक से अधिक शक्ति अपने हाथ में ले लेने की है। कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न होने देने के नाम पर राजकीय एकाधिकार के द्वारा सम्पूर्ण शासन अपने हाथ में लिया जा रहा है। जीवन बीमे के राष्ट्रीयकरण की ही बात को लीजिये। प्रत्येक व्यक्ति सहकारी समितियों की बात करता है और चाहता है कि सहकारी समितियां होनी चाहियें परन्तु जीवन बीमा व्यवसाय में सहकारी तत्वों तक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। वह तो एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं।

आप भी देखेंगे कि अधिकांश राष्ट्रीयकृत उद्योगों में सदा एकाधिकार की ही स्थिति होती है। एक ओर तो सरकार शिक्षा, चिकित्सा सहायता, और सफाई आदि के सम्बन्ध में अपने वास्तविक और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों के प्रति लापरवाही दिखाती है, दूसरी ओर वह राष्ट्रीयकरण करती है। जिन क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों के लिये यह सम्भव है कि वह उन उद्योगों को अधिक अच्छी तरह चला सके, वहां सरकार उन उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। सरकार इन एकाधिकारों द्वारा देश में अपार शक्ति प्राप्त करना चाहती है और उसने यह शक्ति प्राप्त कर भी ली है।

इसके उपरान्त मैं निगमों में लगायी गयी सरकारी पूंजी की उत्तरदायिता के प्रश्न पर आता हूं। ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब इस सभा ने, जनता के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में, इस बात पर आग्रह किया है कि सरकार द्वारा जो विभिन्न निगम चलाये जाते हैं उनकी कुछ सीमा तक उत्तरदायिता होनी चाहिये। परन्तु यहीं सरकार मुंह चुराती है। इस सभा में यह मांग की गयी है कि इन निगमों के कार्य की जांच करने के लिये कुछ समितियाँ नियुक्त की जानी चाहियें, परन्तु नहीं, सरकार इससे मुंह चुराती है। अब तक क्या नीति रही है ? राज्य क्षेत्र में, अर्थात् सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक गोपनीयता है। मुझे भय है कि मनोवृत्ति नौकरशाही की होती जा रही है। यह सच है कि राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि इन अधिकारों द्वारा वह अधिक शक्ति सम्पन्न हो सकते हैं। परन्तु एक समय ऐसा आ जायेगा जब इस नौकरशाही के हाथों में खिलौना बन जायेंगे। मैंने पहले भी कहा है, और इस समय भी कह रहा हूं कि यदि हम इस देश में लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं तो हमको विकेन्द्रीयकरण

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसीदास]

करना चाहिये। हमको जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिये और सरकार के साथ सहयोग करने तथा उसका पृष्ठपोषण करने के लिये जनता को उत्साहित किया जाना चाहिये। इस कार्य को करने के स्थान पर यदि सरकार को कोई गड़बड़ी दिखायी देती है तो वह यही कहने लगती है कि इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये। तमाम शक्तियां और अधिकार रखते हुए भी वह स्थिति को सुधार नहीं सकती। राष्ट्रीयकरण ही स्थिति में सुधार करने का एकमात्र ढंग है! सार्वजनिक क्षेत्र में कोई पाप नहीं होता। सारी बराई खतम हो जाती है।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, राज्य क्षेत्र में—मैं उसको सार्वजनिक क्षेत्र नहीं कहूंगा—सम्पूर्ण शक्ति का केन्द्रीयकरण करने का अर्थ मेरे विचार से, एक सत्ता की स्थापना के मार्ग पर चलना है। इसलिये, जब तक आप राज्य क्षेत्र के विरुद्ध कुछ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति न प्रदान करेंगे, स्थिति खराब ही होगी। परन्तु यदि आप सम्पूर्ण अधिकार अपने ही हाथों में रखना चाहें, तो इसका अन्त एक कल्याणकारी राज्य में नहीं वरन् अधिकाधिक पुलिस राज्य में होगा। आप इसी दिशा में बढ़ रहे हैं।

मैं प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में कुछ अधिक न कह कर केवल एक दो बातों के सम्बन्ध में कहूंगा।

मैं निगम कर, लाभांश और बोनस शेयरों पर कर का उल्लेख कर रहा हूं। मैं यह बात समझ सकता हूं कि आप यह नहीं चाहते हैं कि निगम द्वारा अधिक लाभांश वितरित किया जाये। परन्तु लाभांशों पर इस प्रकार कर लगाने का अर्थ अकुशलता को आश्रय देना होगा, क्योंकि अकुशल व्यक्तियों को यह कर नहीं देना पड़ेगा। यह अत्यन्त ही अन्यायपूर्ण कर प्रस्थापित किया गया है।

अब मैं बोनस शेयरों पर कर लगाने की बात पर आता हूं। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ सभा में अपने उत्तर में कहा है कि बोनस अंशों पर करारोपण इस व्यवस्था का अविच्छिन्न अंग है। परन्तु मैं कहूंगा कि सम्पूण अविच्छिन्न भाग ही पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। कराधान जांच आयोग ने स्पष्ट ही इनमें से किसी भी कर क लगाये जाने की सिफारिश नहीं की है। ऐसी स्थिति में जनता पर अतिरिक्त कर लगाने की क्या आवश्यकता है? यदि थोड़ा बहुत घाटा हो भी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष कुछ घाटे के साथ भी शुरू किया जा सकता है। इससे विशेष कुछ अन्तर नहीं पड़ेगा।

यदि वित्त मंत्री को राजस्व की ही आवश्यकता है तो ऐसे भी स्रोत हैं जहां से जनता पर कम से कम भार डालकर, उसको प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु यहां फिर सिद्धांतों का प्रश्न उठ खड़ा होता है। आप कहेंगे कि हम नमक पर कर नहीं लगा सकते हैं। यदि आप नमक पर कर लगा दें, तो आप को १० करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हो जायेगा और सम्पूर्ण जनता पर अधिक भार भी नहीं पड़ेगा।

मुझे केवल यही आशा है कि सरकार की एकाधिकार की नीति पर रोक लगायी जायेगी। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार को यह समझना चाहिये कि इस प्रकार के कार्य कितने संकटपूर्ण ह और इनको अपनाने के बाद देश में लोकतंत्र को कायम रखना कितना कठिन है।

†**श्री गाडगील** : इस वर्ष का आय-व्ययक एक महत्त्वपूर्ण आय-व्ययक है। इस आय-व्ययक में मेरी अभिरुचि इसलिये है क्योंकि यह पहला अवसर है जबकि आय-व्ययक का उसमें की गयी विभिन्न प्रस्थापनाओं में निहित सिद्धांतों के साथ निश्चित सम्बन्ध है। देश के, अपने सर्वोच्च अधिकरण—अर्थात् इस माननीय सदन के द्वारा सर्व सम्मति से समाजवादी राज्य को अपना आदर्श मान लिये जाने के बाद से अब केवल यही बात शेष रह गयी है कि हम इसको अच्छे से अच्छे ढंग से किस प्रकार प्राप्त कर सकते

†मूल अंग्रेजी में

हैं। यदि मैं समाजवाद के अर्थ को ठीक तरह से समझता हूं तो उसमें तीन गुण होते हैं : राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समता। इस समय हमारा सम्बन्ध आर्थिक समता के पहलू से है, और यदि संपत्ति और आय का अन्तर इतना अधिक बना रहा जिससे कि आर्थिक आधिक्य, बहुतों के लिये हानिकर ढंग से थोड़े से लोगों के ही हाथ में बना रहा तो उसको समाजवाद नहीं कहेंगे। यदि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद हम इस देश में बेकारी और अज्ञान को दूर करने के लिये शीघ्र कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, तो स्वतन्त्रता प्राप्त करने का कोई लाभ ही नहीं है। इसलिये हम यदि सीधी क्रांति से बचना चाहते हैं तो हमको इन आदर्शों को संविधान को क्रांतिकारी ढंग से प्रयोग करके प्राप्त करना है। इस दृष्टि से यह आय-व्ययक अधिक दूर तक नहीं जाता है। यदि हम आय और सम्पत्ति की असमानता और अन्तर को दूर करना चाहते हैं तो यह कार्य दो प्रकार से करना होगा। एक ढंग तो यह है कि जिन लोगों के पास है उन पर अधिक कर लगाया जाये और हमको व्यय करने की एक ऐसी नीति निकालनी होगी जिससे कि हम सामाजिक सेवायें सस्ती दर पर लोगों को उपलब्ध कर सके जिससे कि जो निम्न स्तर पर हैं वह ऊपर उठ सकें और जो लोग उच्च स्तर पर हैं वह नीचे आ सकें और समता की स्थापना की जा सके। इसके लिये हम को यह देखना होगा कि अब तक कितना कार्य किया जा चुका है और अब क्या कार्य करना होगा। यदि हम यह निर्णय करना चाहते हैं कि यह आय-व्ययक अच्छा है या बुरा, तो इसके लिये कुछ ऐसी कसौटियां हैं जिनके आधार पर हमको यह निर्णय करना है कि न केवल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, वरन् यह भी देखना है कि वितरण की व्यवस्था ने किस ढंग से कार्य किया है। आर्थिक प्रगति में तीसरा स्थान उपभोग का है—क्या यह इस प्रकार का है जिसमें अमीर और ग़रीब के बीच उचित अन्तर है। इस दृष्टि से परीक्षा करने पर मुझको यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है और उससे भी अधिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या जनता के दारिद्रय में कुछ कमी आई है। यदि हम अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से प्रश्न की परीक्षा करें तो देखेंगे कि विनोबा जी ने कहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने धनिकों को अधिक धनी और निर्धनों को अधिक निर्धन बना दिया है। मैं नहीं जानता हूं कि मध्यम वर्ग का क्या हुआ क्योंकि वह न वहां था न यहां है।

†**श्री ए० एम० थामस** : (एरणाकुलम्) : निम्न मध्यम वर्ग ही तो सर्वाधिक त्रस्त है।

†**श्री गाडगील** : अब हमें यह देखना है कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यही कहानी दोहरायी जायेगी अथवा हम अपने पिछले पांच वर्षों के अनुभवों का कुछ उपयोग करेंगे। इसलिये ज़ोर केवल आर्थिक क्षेत्र के उत्पादन पक्ष पर ही नहीं वरन् वितरण पक्ष पर भी दिया जाना चाहिये।

यदि लोगों को विकास करने के लिये अवसर नहीं प्राप्त होता है, यदि काम करने की इच्छा रहते हुये भी सरकार उनके लिये नौकरियों का उपबन्ध नहीं करती है, तो निश्चय ही बेरोज़गारी कोई व्यक्तिगत पाप नहीं है, देश के आर्थिक संगठन में अवश्य ही कोई गड़बड़ी है और हमें उसका पता लगाना होगा। प्रथम योजना की कार्यान्विति के पांच वर्ष बाद हम से कहा जाता है कि बेकारी बढ़ी है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संभावनायें भी विशेष उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। कल के पत्रों में मैंने देखा कि श्रम मंत्री ने बम्बई में कहा है कि यदि इस समस्या को हल करने का भार केवल राज्यों पर ही छोड़ दिया गया तो वह उसको ठीक ढंग से हल नहीं कर पायेंगे।

बेरोज़गारी को दूर करने के लिये हमारे पास एक बड़ी योजना होनी चाहिये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को और नहीं तो कम से कम अधिकांश लोगों को नौकरी दी जा सके और इस प्रयोजन के लिये उसमें करों, ऋणों तथा अन्य बातों का उपबन्ध किया गया हो। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष से आय-व्ययक में जो परिवर्त्तन किया गया था अर्थात् प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की गई थी—उसको कायम रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गाडगील]

मुख्य बात यह है कि जब हम समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में बढ़ गये हैं उस समय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों का महत्त्व काफ़ी कम हो जाता है। मुझको इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण यह है कि यदि हम अपने आदर्श के प्रति निष्ठावान हैं तो हमें उसके उत्तर-दायित्व को भी सम्भालने के लिये तैयार रहना चाहिए। इसीलिये मैं बराबर यही कहता रहा हूं कि पूंजी-उत्पादन का उत्तरदायित्व केवल थोड़े से व्यक्तियों पर ही नहीं है वरन् वह सम्पूर्ण समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति पर है। समाजवाद उत्पादन के मुख्य साधनों पर समाज के स्वामित्व के अतिरिक्त और क्या है ? मुझे केवल बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण से संतोष नहीं है। यह हो सकता है कि निकट भविष्य में बैंकों तथा अन्य संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना निर्वाचन-सम्बन्धी दांवपेच के अनुकूल न हो, परन्तु पहला कदम उठा लिया गया है और अब कोई भी इस मार्ग को बदल नहीं सकता है। कल नहीं तो परसों, सार्वजनिक क्षेत्र और भी अधिक बढ़ता जायेगा, और निजी क्षेत्र का जितना शीघ्र अन्त हो उतना ही अच्छा है।

उनकी वृद्धि के इतिहास को ही देखिये। हमारी अर्थ-व्यवस्था सुनियोजित प्रकार की है इसलिये निजी क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम नई फैक्टरियों के खोले जाने की अनुमति नहीं देते जो पुरानी फैक्टरियों के साथ होड़ कर सकें। इसका परिणाम यह है कि जो फैक्टरियां पहले से ही हैं उनको अधिक लाभ हो रहा है और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अर्थ-व्यवस्था भी ऐसी हो गई कि जो धनी थे वह और भी धनी हो गये और निर्धन अधिक निर्धन हो गये। थोड़े से संगठित श्रमिकों को छोड़कर शेष श्रमिकों का जीवन स्तर भी नहीं सुधरा है।

इसलिये, हम को यह देखना है कि क्या हम इस स्थिति को और सहन करेंगे ? यदि आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बारीकी से छानबीन करें तो देखेंगे कि उपभोक्ता उद्योगों को निजी उपक्रमण के लिये ही छोड़ दिया गया है क्योंकि उसका लाभ शीघ्र प्राप्त होता है। यदि इनको बीस वर्ष की छूट और दे दी गई तो मैं नहीं समझता कि यदि इस प्रकार की नीति का अनुसरण किया गया तो समाजवाद की स्थापना किस प्रकार की जा सकती है।

इसलिये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निजी क्षेत्र को इतना कम कर देना चाहिये कि वह अधिक छोटे क्षेत्र में केवल सामान्य योजना-नीति के अन्तर्गत ही कार्य कर सके, इससे अधिक कुछ नहीं।

मुझे यह बताया गया है कि करारोपण प्रस्थापनाओं का पूंजी निर्माण पर भी प्रभाव पड़ेगा। मेरा अपना निवेदन यह है कि पूंजी निर्माण का उत्तरदायित्व समस्त समुदाय पर है। पूंजी निर्माण पूंजी के सम्भरण से भिन्न वस्तु है। पूंजी निर्माण एक प्रक्रिया है। इसलिये एक अविकसित अथवा अर्द्ध-विकसित देश में हम को निजी-उपक्रम से काफ़ी सतर्क रहना होगा इस सम्बन्ध में उचित कार्य-वाही की जानी चाहिये। यदि आप यह चाहते हैं कि वास्तव में लोकतंत्रात्मक समाजवाद कार्य करे तो आपको अपनी राजनीति व्यवस्था को अधिक व्यापक-बनाना होगा और आप जो आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं वह इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे वह जनता का शत-प्रतिशत सहयोग प्राप्त कर सके।

क्या मैं सहयोग कर सकता हूं ? जब मैं यह देखता हूं कि एक क्षेत्र को अधिक आय प्राप्त करने के लिये छोड़ दिया गया है तो क्या मैं उसके साथ सहयोग कर सकता हूं ? जब तक त्याग में समता न हो तब तक क्या मैं इसे जनता की योजना कह सकता हूं ? कल्याणकारी प्रकार के आधुनिक राज्य के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ का कहना है कि सरकार का व्यय कुल आय का १५ प्रतिशत होता है। और यदि आप लोकतन्त्रात्मक प्रकार से समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको

इसमें २० प्रतिशत और जोड़ना पड़ेगा और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेषज्ञ के अनुसार समूची व्यवस्था को उचित और कुशल ढंग से चलाने में ३५ प्रतिशत लग जाते हैं।

हमारे यहाँ कितना प्रतिशत व्यय होता है? १९५० में हमारी सरकार का व्यय कुल राष्ट्रीय आय का आठ प्रतिशत होता था। आज यह लगभग नौ प्रतिशत है। इससे यह प्रकट होता है कि यदि हम लोकतन्त्रात्मक समाजवाद को चलाना चाहते हैं तो हम को कितनी प्रगति करनी होगी।

किसी अविकसित देश में पूंजी निर्माण की अच्छी संभावना होती है। मौजूदा परिस्थितियों में एक संभावना तो यह है कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में आवश्यकता से अधिक धन है और वह उसे किसी सामाजिक या रचनात्मक या किसी ऐसे तरीके से खर्च नहीं करते हैं जिससे कि राष्ट्र की प्रगति हो सके। इसलिये यह आवश्यक है कि यह आधिक्य लाभकारी कार्यों में लगाये जाने के लिये सरकार द्वारा ले लिया जाये।

चूंकि अविकसित देश प्रविधिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं इसलिये एक और सम्भावना है। यदि हम पुराने विचारों का त्याग करके प्रविधिक शिथिलता को दूर करें तो उससे उत्पादन बड़ेगा और पूंजी भी बढ़ेगी।

हमारे पास जन शक्ति काफी अधिक है और इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारी जनसंख्या को किसी न किसी प्रकार से चाहे श्रमदान के द्वारा या अन्य किसी अन्य प्रकार से काम में लगाया जा सकता है और इसका अर्थ है पूंजी की वृद्धि। लोगों को बेकार रहने देने से उनकी प्रतिभा का ह्रास होता है और बेकारी के मनोवैज्ञानिक परिणाम किसी से छुपे नहीं हैं।

वित्त प्रबन्ध के लिये जहां तक वास्तविक उपायों का सम्बन्ध है हमारे यहां गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र पर ज्यों ही आप पूंजी प्रदाय का दायित्व सौंपते हैं त्यों ही आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि एक ऐसे सामाज का होना आवश्यक है जिसमें धन का असमान वितरण हो। जब तक आप उन्हें औरों की अपेक्षा अधिक नहीं देते हैं तब तक किसी प्रकार की कोई बचत नहीं हो सकती है। श्रमजीवी और मध्यमवर्ग के प्रति यह दोहरा अन्याय है। एक यह ऐसी बात है जिसे मैं मान नहीं सकता हूं। इसलिये अब सरकारी क्षेत्र ही रह जाता है।

करारोपण का जहां तक सम्बन्ध है क्या वास्तव में हम करों का इतना अधिक भार वहन कर रहे हैं? यदि हम योजना की सफलता चाहते हैं तो उसके लिये कोई स्वार्थ त्याग बहुत अधिक नहीं है। यदि मौजूदा पीढ़ी त्याग की नीति को अपनाती है तो अगली पीढ़ी के सभी वस्तुयें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी। यदि मुझसे या केवल कुछ ही व्यक्तियों से किसी विशिष्ट नीति का पालन करने को कहा जाता है तो इससे काम नहीं चलेगा। इसलिये मेरा मत है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को यथाशक्य शीघ्रता से समाप्त कर देना चाहिये। लाभांश निर्गमों पर कर लगाने से क्या और किस सीमा तक पूंजी निर्माण पर प्रभाव पड़ता है इस के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि इस का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और यदि पड़ता भी है तो निजी उपक्रमों को सरकारी पूंजी देकर उन्हें अपने प्रस्तावों के लिये वित्त प्रबन्ध करने को कहा जाये और इसके लिये अनुमति दी जाये। आयकर सम्बन्धी कुछ मामलों में कानूनी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव है। कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति है। मेरा ख्याल है कि राजनीतिक और आर्थिक अपराधों के लिये समय का कोई बन्धन नहीं हो सकता है। करों अपवंचन इस देश में एक कला और विज्ञान है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है आयकर जांच आयोग के अध्यक्ष ने मुझे बतलाया है कि करों अपवंचन करने के लिये इंग्लैण्ड से विशेषज्ञ यहां लाये गये थे। इन सब बातों का सारांश यही है कि इस प्रकार के अपराध की जांच के लिये समय का कोई बन्धन नहीं होना चाहिये और जांच अवश्य की जानी चाहिये। मैं पुराण के

[श्री गाडगील]

एक श्लोक का उदाहरण देकर अपने भाषण को समाप्त करता हूं। जब भगवान श्रीकृष्ण से यह पूछा गया कि कौनसी बातें उनके सर्वोच्च आदर की पात्र हैं तो उन्होंने कहा कि :

दुर्भिक्षे अन्नदातारं सुभिक्षे हरण्यदं
चतुरोहं नमस्यामिरणे धीरे ऋणे शुचं

अर्थात् मैं चार व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं : एक तो वह जो दुर्भिक्ष के समय अन्नदान करे, दूसरा वह जो समृद्धि के समय सोना दे, तीसरा वह जो रण में साहस रखे, और चौथा वह जो ऋण चुकाने में प्रमाणिक हो। जिन्होंने अपराध किये हैं वे बच नहीं सकेंगे। यदि मौजूदा सरकार किसी कारण-वश ऐसा नहीं कर सकती है तो या तो सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी या सरकर ही बदल जायेगी। कांग्रेस के महामंत्री कहते हैं कि देशवासियों का चरित्र सुधरना चाहिये, इस प्रकार उन्होंने मेरी इस प्रस्थापना का विरोध नहीं किया है। मुझे हर्ष है कि किसी प्रकार की समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिये मैं आय-व्ययक का स्वागत करता हूं, किन्तु उसमें जिन बातों का आश्वासन दिया गया है उसके कारण स्वागत करता हूं न कि उसमें जो बातें निहित हैं उनके कारण। मुझे प्रसन्नता है कि श्री सी० डी० देशमुख यद्यपि पूंजीपति उन्हें चाहते नहीं हैं तथापि जनसाधारण में लोकप्रिय हैं और मुझे विश्वास है कि आनेवाले वर्षों में वह जनसाधारण की भलाई करते रहेंगे।

†**पंडित फोतेदार** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं माननीय वित्त मंत्री का अभिनन्दन करता हूँ क्योंकि उन्होंने एक संतुलित आय-व्ययक प्रस्तुत किया है ···

†**श्री एन० एम० लिंगम** (कोयम्बटूर) : आय-व्ययक संतुलित नहीं है।

†**पंडित फोतेदार** : आपकी दृष्टि से भले ही न हो किन्तु मेरी दृष्टि से तो वह संतुलित ही है। यह आय-व्ययक जिसकी राष्ट्रीय आय-व्ययक की सहकारिता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कल्पना की गई है, एक ऐसे समाज के निर्माण और विकास को लक्ष्य को मानता है जिसमें किसी बात का अभाव नहीं रहेगा बेकारी नहीं रहेगी, रोग और अज्ञान से जनता मुक्त रहेगी और धन का असमान वितरण नहीं रहेगा। विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों की आलोचनाओं को तो मैं समझ सकता हूं, किन्तु मेरा ख्याल है कि देश के विकास के लिये सरकार की गतिविधियों की सामूहिक रूप से निंदा करना न्यायोचित नहीं है। प्राकृतिक दुर्घटनाओं और मनुष्य की विध्वंसात्मक कार्यवाहियों के बावजूद प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं उन पर किसी भी व्यक्ति को गर्व हो सकता है क्योंकि इतनी थोड़ी सी अवधि में इतनी प्रगति संसार के किसी अन्य देश द्वारा नहीं की गई है। मैं जानता हूं और इस सदन में उपस्थित सभी व्यक्ति मुझ से इस बात पर सहमत होंगे कि भारत पहला ही उदाहरण है जिसने अपने लाखों निर्धन देशवासियों के होते हुए स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सात-आठ वर्षों की अवधि में ही संसार के रंगमंच पर एक ऐसी शक्ति के रूप में पदार्पण किया है जिसे उसकी आतंरिक सफलताओं और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के सम्बन्ध में संतुलित दृष्टिकोण रखने के कारण माना जाता है। इतिहास में यह बात अद्वितीय है।

मैं जानता हूं कि हममें कुछ खामियां हैं और संसार के महान राष्ट्रों की पंक्ति में स्थान-प्राप्त करने के लिये हमें कठिन कार्य करना है। मैं केवल तीन बातों पर बल देता हूं। पहली बात तो यह है कि वित्त मंत्री यह देखें कि करारोपण इस प्रकार न किया जाये जिससे कि निर्धन या असमर्थ व्यक्तियों को कठिनाई हो, जैसा कि मोटे कपड़े और सुगन्धित तेलों पर कर लगा कर किया गया है। हमें यह देखना है कि सर्वत्र व्याप्त बेकारी को कम किया जाये और आवास की स्थिति को सुधारा

†मूल अंग्रेजी में

जाये। देश के कई भागों में सरकारी और प्रतिरक्षा कर्मचारियों को आवास की अत्यन्त कठिनाई है और उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उच्च पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये। हमारा कार्यक्रम गतिशील आंदोलन का है और हमें यह नहीं समझना चाहिये कि हमने सभी कुछ पा लिया है इस सुविधाजनक आश्वासन से हम शिथिल नहीं हो सकते हैं।

अब मैं काश्मीर के प्रश्न का निर्देश करता हूं जिसकी ओर संसार के सभी देशों की आंखें लगी हुई हैं मैं संसद के समक्ष इस महत्वपूर्ण प्रश्न का एक विशिष्ट पहलू रखता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उस पर विचार करेंगे।

मेरे मतानुसार अब हम उस अवस्था में पहुँच गये हैं जहां भारतीयों की इस महान संसद् और सरकार को एक अंतिम और निश्चयात्मक निर्णय अत्यधिक निष्पक्ष, औपचारिक और नियमित तरीके से करना है और यह निर्णय काश्मीरियों द्वारा अनेकों बार किये गये उस निर्णय के, कि काश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है, अनुरूप होना चाहिये। काश्मीर के भारत में प्रवेश की पुष्टि काश्मीर की संविधान सभा में अंतिम रूप से की जा चुकी है। आखिर यह निर्णय किसके द्वारा किया जाना है। हर कोई यही कहता है कि काश्मीरी जनता स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करेगी किन्तु अब दक्षिण-पूर्वी-एशियाई-सुरक्षा-संगठन (सीटो) बगदाद संधि और राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन और अन्य स्थानों में काश्मीर के प्रश्न पर अनधिकार रूप से चर्चा की जा रही है। पाकिस्तान द्वारा अपने आपको गणतन्त्र घोषित करना और सूडान द्वारा, जिसने प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण आयोग के तत्वावधान में जनमत संग्रह किये जाने के विचार को मान्यता दी थी, बाद में विचार परिवर्तन करना और स्वतन्त्रता अधिनियम पारित करके अपने आपको स्वतन्त्र और गणतन्त्र देश घोषित करना यदि संवैधानिक है तो काश्मीर की संविधान सभा का निर्णय भी संवैधानिक है और तब हमारे निर्णय के साथ 'सीटो' बगदाद संधि की शक्तियों और अन्य देशों द्वारा खिलवाड़ क्यों किया जाये।

मैं इस महान संसद् और भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नहीं करती है और अविलम्ब कोई अन्तिम निर्णय नहीं करती हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि उनके पूर्वजों ने और इस महान् संसद् में आज बैठनेवाले महान् भारतीय राजनीतिज्ञों ने राजनीतिक आत्महत्या की थी। यह मेरी चेतावनी है और यदि अब इस बात का फैसला नहीं किया गया तो और भी जटिल समस्यायें उत्पन्न होंगी। आज ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण एशिया चारों ओर से घिरा हुआ है। काश्मीर, कोरिया, हिन्दचीन, और इज़राईल में युद्धविराम रेखायें मौजूद हैं और इन रेखाओं का अधीक्षण राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा रहा है। आखिरकार इस प्रकार की दुविधा और भ्रमपूर्ण स्थिति में हम कब तक रहेंगे ? कौन कहता है कि काश्मीर हमारा नहीं है ?

यद्यपि 'सीटो' मंत्रि परिषद् ने काश्मीर के प्रश्न पर चर्चा नहीं की तथापि जिस तरीके से उसमें इस प्रश्न का निर्देश किया गया है और घोषणाओं में जिस प्रकार काश्मीर का निर्देश किया है। उससे यह पता चलता है कि हवा का रुख क्या है और यह भी ज्ञात होता है कि सुरक्षा परिषद् की यह स्थायी शक्तियां काश्मीर प्रश्न में अपने आपको किस प्रकार आलिप्त करती जा रही हैं और 'सीटो' बगदाद संधि, और पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य समझौते के फलस्वरूप उन्होंने अपना रूप और चरित्र किस प्रकार बदला है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सुरक्षा परिषद् और 'सीटो' में कोई अन्तर नहीं है। काश्मीर के प्रति निर्देश 'सीटो' के आदर्शों तथा उद्देश्यों का भंग है और राजनीतिक व्यवहार की अन्तर्राष्ट्रीय संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। काश्मीरियों ने भारत में विलीन होने का निर्णय १९४७ में किया था और उसके बाद अनेक बार यह निर्णय किया गया है। विगत दिसम्बर मास में जब मार्शल बुल्गानिन और श्री ख्रुश्चेव ने काश्मीर का दौरा किया था तब उन्होंने यही कहा था

[पंडित फोतेदार]

कि काश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है और स्वयं काश्मीरियों ने भी यही निर्णय किया है। क्या इन दोनों महानुभावों को किसी प्रकार सिखाया-पढ़ाया गया था ? मैं श्री आइज़नहावर, श्री ईडन और श्री सेलवियन लॉयड को काश्मीर आने का निमंत्रण देता हूं ताकि वह आकर स्वयं देख लें कि काश्मीर में स्थिति क्या है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह न केवल रूसी नेताओं के उक्त कथन का समर्थन ही करेंगे वरन कुछ ऐसी बातें भी कहेंगे जो पाकिस्तान को नापसन्द हों।

पाक विदेश मंत्री श्री चौधरी हक़ ने 'सीटो' परिषद् में इस बात का निर्देश किया था कि वह काश्मीरियों के लिये आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते थे। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वह वैसा ही अधिकार चाहते हैं जो उन्होंने काश्मीर की निरपराध जनता को जंगली व्यवहार के ज़रिये १९४७ में दिया था जबकि बीभत्सता का वहां नग्न तांडव हुआ था, महिलाओं की इज्जत लूटी गई थी और निरपराध व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया था ? पाकिस्तान और साम्राज्यवादी शक्तियां इस बात को जान लें कि काश्मीर की जनता में राजनीतिक निष्ठा और दृढ़ संकल्प है।

काश्मीर की जनता वही है जिसने १९४७ में, जब कि हमारे महान नेताओं को भी परिस्थिति-वश देश के विभाजन की स्वीकृति देनी पड़ी थी, राष्ट्रीय परिषद् के नेतृत्व में दुश्मन का सामना बड़ी बहादुरी से किया था। अब यदि हमारे द्वारा किये गये निर्णय को मान्यता न दी गई और हम पर कोई अन्य निर्णय लादा गया तो काश्मीर की जनता जीवनपर्यंत उसका विरोध करती रहेगी। इसके अलावा मैं आप को यह भी बता दूं कि काश्मीरियों ने जो व्यवस्था की है यदि उसमें किसी प्रकार का कोई हस्ताक्षेप किया गया तो उसके भयंकर परिणामों से न केवल भारत और पाकिस्तान वरन् एशिया और यहां तक कि समूचे संसार की शांति के लिये खतरा उत्पन्न हो जायेगा। सभी पत्रों में दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रतिरक्षा संगठन के बारे में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, यहां तक कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मज़दूर दल द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है, किन्तु हम हैं कि इस मौन षडयंत्र को तोड़ना नहीं चाहते हैं।

काश्मीर की संविधान सभा द्वारा निर्णय किये जाने के बाद काश्मीर की जनता ने अपने आपको रचनात्मक प्रगति की ओर ले जाने का निर्णय किया है। भारत सरकार, संसद् और भारत द्वारा की जनता से हमें जो अमूल्य सहायता और मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ है उसके लिये हम उनके अभारी हैं। और मैं आप को आश्वासन देता हूं कि काश्मीर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये प्रयत्न-रत्त है। श्री कामत ने जो कहा है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ क्योंकि उनका काश्मीर के बारे में जो दृष्टिकोण है वह भिन्न है और उससे हमें कोई सहायता नहीं मिलती है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। संसार की औपनिवेशिक शक्तियां इस गलतफहमी में हैं। कि संसार के सभी मुसलमान द्विराष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और धर्मान्ध होते हैं और चूंकि काश्मीर में मुसलमानों का बहुमत है इसलिये यदि जनमत संग्रह किया गया तो मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में मतदान करेंगे। उनके इस भ्रम को दूर करने के लिये मैं सदन को १९३९ के बाद से आज तक घटी कुछ घटनाएं बतलाता हूं। १९३९ में काश्मीर के मुसलमानों ने काश्मीर की मुस्लिम परिषद् को राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कान्फ्रेंस) में बदल दिया था और यह निर्णय कांग्रेस के प्रभाव और प्रेरणा के अन्तर्गत आने पर ही किया गया था।

१९४२ में भारत में जिस समय "भारत छोड़ो" आंदोलन प्रारम्भ हुआ तो उक्त परिषद् ने सामूहिक प्रदर्शन, सार्वजनिक सभाओं और अन्य प्रकार के आंदोलन के द्वारा उक्त आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि १९४४ में स्वर्गीय श्री जिन्ना जोकि मुसलमानों को मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिये सदा उकसाया करते थे, काश्मीर आये थे। हमने उनका परम्परानुसार स्वागत किया और उसके बाद उन्होंने एक विराट सार्वजनिक सभा

में भाषण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय परिषद् हिन्दू कांग्रेस के प्रभावांतर्गत कार्य कर रही है और वह मुसलमानों की भलाई नहीं कर सकती है और उन्हें मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे आ जाना चाहिये। उस पर उक्त सभा में एक दम खलबली मच गई और श्री जिन्ना पर पत्थर आदि फेंके गये यहां तक कि उनकी सुरक्षा के लिये पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

१९४७ के अगस्त मास में जब भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो काश्मीर की जनता ने खुशियां मनाई थीं यद्यपि उस समय काश्मीर के भारत में विलय की कोई चर्चा नहीं थी। उसी वर्ष जंगली जातियों ने पाकिस्तान की राह पाकर काश्मीर पर आक्रमण किया था। वह लोग श्रीनगर के द्वार तक पहुँच गये। श्रीनगर के अन्दर मुसलमान और बाहर थे मुस्लिम आक्रमणकारी। आंतरिक प्रशासन समाप्त हो चुका था और सभी तरफ अंधकार दिखाई देता था। उस समय समस्त काश्मीरियों ने परिषद् के झंडे के नीचे एकत्रित होकर संगठित रूप से आक्रमणकारियों का सामना किया। इसके बाद हमारे निमन्त्रण पर भारतीय सेना ने हमारी सहायता और रक्षा की थी।

अब मैं १९५४ को लेता हूँ। पाकिस्तान काश्मीर के बारे में कभी कोई निर्णय नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान की जनता का ध्यान उसकी आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों से हटाये रखने के लिये पाकिस्तान काश्मीर प्रश्न का आश्रय लेता रहा है। इसी प्रसंग में पाकिस्तान ने काश्मीर के प्रश्न का उपयोग किया है और जिहाद का नारा लगाया है। सुरक्षा परिषद् में यह पाया गया कि पाकिस्तान ही आक्रमक था और राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षक श्री डिक्सन ने यही घोषित किया था। किन्तु अंतराष्ट्रीय शक्तियों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज में पाकिस्तान को एक मुहरे के समान चलाया और इससे भारत और काश्मीर की हानि हुई है। उन्होंने काश्मीर की जनता की भावनाओं की सदा उपेक्षा की है। हम साढ़े छै साल तक प्रतीक्षा करते रहे हैं किन्तु कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है।

भारत सरकार को जो अपने वचन पूर्ति के लिये कुछ भी उठा नहीं रखती है, सदाशयों को मैं समझ सकता हूँ किन्तु भारत सरकार ने जो वचन दिये थे वह किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में दिये थे और अब समूचा आधार बदल चुका है। इसलिये मैं इस महान सदन से भारत के लाखों व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संसद् से और सरकारी प्रतिनिधियों से अपील करता हूँ कि वे अब काश्मीर के बारे में कोई अंतिम निश्चयात्मक निर्णय करें।

श्री एच० एल० अग्रवाल (जिला जालौन व जिला इटावा-पश्चिम व जिला झांसी-उत्तर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत देर के बाद आज बोलने जा रहा हूँ।

मैं वित्त मंत्री जी को भी जो बजट उन्होंने पेश किया है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम उस जगह पर हैं जब कि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूरा करने जा रहे हैं और दूसरी योजना को हम शुरू करने वालें हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने काफी कामयाबी हासिल की है। इसे दोनों ने माना है और चारों तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो हमारे टारजेट्स (लक्ष्य) थे उनको हमने पूरा किया है, चाहे वे खेती के मामले में हों चाहे इन्डस्ट्री (उद्योग) के मामले में हों। हमारा खेती का प्रोडक्शन (उत्पादन) इतना बढ़ा कि जो हमारी अन्न की कमी थी वह अच्छी तरह से पूरी हो गई। हमारे यहां सन् १९५३ में खेती की इतनी पैदावार हुई कि हम को कंट्रोल्स (नियंत्रणों) को कायम रखने की जरूरत नहीं रही। इसलिये हमने नियंत्रणों को हटाया। इसके बाद सन् १९५४ में थोड़ी गड़बड़ हुई, कई जगह बाढ़ें आईं लेकिन फिर भी हमारी पैदावार में कमी नहीं हुई। इसी तरह से हम को खेती से जो रामैटीरियल (कच्चे माल) की, जैसे जूट की और रुई की, जरूरत थी

[श्री एच० एल० अग्रवाल]

वह भी पूरी हुई। हमारे औद्योगिक उत्पादन में भी काफी तरक्की हुई, चाहे वह कपड़े का उत्पादन हो या और किसी चीज़ का। आज हमने बिजली की पावर (शक्ति) भी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। हमारी कोयले की पैदावार भी काफी बढ़ी है। इस तरह से अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी काफ़ी प्रगति हुई है और हमने काफ़ी कामयाबी हासिल की है।

इस कामयाबी के साथ हमारे सामने एक कठिनाई भी आई। जिस समय खेती की पैदावार की कीमतें गिरने लगीं तो गांव वालों के सामने एक बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई और उनको यह अनुभव होने लगा कि जो कुछ उनकी थोड़ी बहुत प्रगति चीजों के दाम बढ़ने से हुई है वह सन् १९५४ में दाम गिरने से खत्म हो जायेगी। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे मदद की और ऐसे तरीक़े अपनाये कि हमारी वह कठिनाई हल हो गई। लेकिन मैं आपके मार्फत एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह यह कि देहातों में लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। इस वजह से जो पैदावार होती है उसको उन्हें फौरन बेचना पड़ता है और वे उसको रोक नहीं सकते और इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने उचित लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिये जब तक कि किसानों की इतनी ताक़त न हो जाय कि वे अपनी पैदावार को रोक सकें, चाहे ऐसा उनकी गरीबी को दूर करके किया जाये या सरकार ऐसा करने में उनको किसी और तरीक़े से मदद करे, तब तक वे अपनी पैदावार से पूरा फायदा नहीं उठा सकते। सब से पहली बात यह है कि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिये। मुझे मालूम है कि सरकार की तरफ से वेअर हाउसेज़ (गोदाम) और मल्टी परपज़ेज़ सोसाइटीज़ (बहु प्रयोजनीय समितियां) कायम करने की बात कही जाती है। क़र्ज़ की बात भी कही जाती है। क़र्ज़ के बारे में वास्तविकता यह है कि आज भी देहात में दो रुपये सैकड़े सूद पर लोग रुपया उधार लेते हैं। इसकी वजह यह है कि सहकारी समितियां इतना कम रुपया उधार देती हैं कि उससे लोगों का काम नहीं चलता और उनकी जरूरत बाक़ी रह जाती है इस ज़रूरत को पूरा करने के लिये उनको क़र्ज़ देने वालों के पास जाना पड़ता है जो बहुत व्याज ले कर क़र्ज़ देते हैं। जब तक सरकार इस कमी की ओर ध्यान नहीं देगी और जब तक इस कमी को पूरी तरह से दूर नहीं कर देगी तब तक व्याज की दर कम नहीं हो सकती। जब तक व्याज की दर कम नहीं होती और किसानों के पास लगाने को रुपया नहीं होता तब तक उनकी हालत अच्छी होना मुश्किल है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि देहातों में बहुत ज्यादा बेकारी है। शहरों में भी बेकारी है। सवाल यह है कि हमारी यह हालत क्यों है। हमारे यहां प्राकृतिक संसाधन इतने हैं कि शायद ही संसार में और किसी मुल्क में होंगे। मुझे पता चला है कि हमारे यहां कच्चा लोहा इतना ज्यादा है कि जितना रूस और अमेरिका दोनों में मिलाकर नहीं है और गुणों में भी हमारा कच्चा लोहा अच्छा है। फिर भी हम इस्पात और लोहे के लिये दूसरों पर निर्भर हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे प्राकृतिक संसाधन कम नहीं हैं। हमारे यहां इतनी नदियां हैं कि उनसे हम बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। हमारी खेती की जमीन भी बहुत उपजाऊ है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहां करोड़ों आदमी बेकार हैं। एक तरफ़ हमारे देश की जमीन में ख़ज़ाने भरे पड़े हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां इतने आदमी बेरोज़गार हैं और उस दौलत को काम में नहीं ला पाते। यह एक बहुत बड़ी कसर है। मैं तो कहूँगा कि सरकार के लिये यह कोई गौरव की बात नहीं है कि हमारे यहां इतनी दौलत रहते हुए भी हमारे यहां गरीबी बाक़ी रहे। मैं समझता हूँ कि यह गरीबी इस प्रकार से आसानी से मिट सकती है। ऐसा करने के लिये ज़रूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा वातावरण बनायें ताकि सब लोग इस काम में सहयोग दें। यह ऐसा काम नहीं है जो कि कुछ थोड़े से लोगों के सहयोग से पूरा हो सके। जब तक जनसाधारण के मन में

मदद करने की भावना नहीं पैदा होती और जब तक सब लोग इस काम में एक होकर नहीं जुट जाते तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकता। मैं आपके मार्फत सरकार को यह बता देना चाहता हूँ कि इस समय वह जो तरीक़े काम में ला रही है उनमें नुक्स है। अगर ऐसा न होता तो इन आठ सालों में हम इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गये होते। यह सही बात है कि हमने इन सालों में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन यह भी सही बात है कि अगर हमारी सरकार के कर्मचारी और तरीक़े ठीक होते तो इससे ज्यादा कामयाबी हो सकती थी। मसलन, यह कहा जाता है कि हमारे यहां पूंजी की बहुत कमी है और बिना पूंजी के हम प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर सकते हैं और न पूंजी के बिना लोगों को जुटा कर फ़ायदा उठा सकते हैं। यह बात सही है कि आजकल के जमाने में बिना पूंजी के कोई काम नहीं चल सकता। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जो तरीक़े हम काम में लाते हैं वे अच्छे नहीं हैं। मैं आपको जिलों का कुछ तजुर्बा सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को यह बतलायें कि सेविंग्स बैंक में रुपया जमा करने से, बांड खरीदने से उनका ही फायदा होगा तो मैं समझता हूँ कि लोग काफ़ी रुपया दे सकते हैं। आप थोड़े से बड़े आदमियों से रुपया लेकर इतनी पूंजी जमा नहीं कर सकते जितनी कि जनसाधारण से थोड़ा थोड़ा रुपया लेकर जमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के लिये इस बात की ज़रूरत है कि पहले उनको यह तो मालूम हो कि यह रुपया उनके फ़ायदे के लिये लगेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जिलों में क्या होता है। वहां सरकारी अफसरों द्वारा यह रुपया जमा किया जाता है? वह यह करते हैं कि अगर किसी की बन्दूक का लाइसेंस लेना है तो उससे सौ दो सौ रुपया का बांड खरीदने को कहा जाता है और जब वह ऐसा करता है तो उसको लाइसेंस दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि लोगों के दिल में यह बात नहीं बैठती कि यह रुपया उनके फ़ायदे के लिये लगाया जायेगा। लोग दबाव में आ कर रुपया दे जाते हैं। लोगों का जैसा ध्यान इधर जाना चाहिये वैसा नहीं जाता। जैसा कि कल पाटिल साहब ने कहा था, मैं तो चाहता हूँ कि इस विषय में सरकार की ओर से कोई आन्दोलन चलाया जाये और लोगों को बतलाया जाये कि ऐसा करने से उनका फ़ायदा होगा। अगर ऐसा किया जाये तो मुझे विश्वास है कि लोग जेवरों में रुपया न लगा कर सरकार के सुपुर्द कर देंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की कोशिश की जाये कि लोगों के दिल में यह बात जाये कि यह काम उनके फ़ायदे के लिये है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि श्रमदान की भी एक तरह की पूंजी है। इसे कानून बना कर ज़बरदस्ती लेना चाहिये। मैं कहता हूँ कि हमारा हमेशा से यह तरीका रहा है कि कानून बना कर ज़बरदस्ती करके कोई चीज़ नहीं कराना चाहते। हम तो लोगों को समझा बुझा कर, उनका फ़ायदा बतला कर उनसे काम करवाना चाहते हैं। श्रमदान और बेगार में केवल इतना ही अन्तर है कि श्रमदान वह काम है जो कि स्वेच्छा से किया जाता है और बेगार वह काम है जो कि ज़बरदस्ती से लिया जाता है। जो काम ज़बरदस्ती से लिया जाता है उसमें वह प्रभाव नहीं रहता जो कि स्वेच्छा से किये हुए काम में होता है। हम को बेगार से उतना फ़ायदा नहीं हो सकता जितना कि स्वैच्छिक काम से हो सकता है। इसलिये मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई कानून बनाया जाये जिसमें ज़बरदस्ती लोगों से काम लिया जाये। लोगों को उनका फ़ायदा बतला कर आप उनसे श्रमदान ले सकते हैं। ऐसा होगा तभी यह बात आगे बढ़ेगी।

डेवलपमेंट (विकास) के बारे में और अपने विभिन्न पलांस (योजनाओं) के बारे में हम जो प्रचार करते हैं, वह बहुत ही कम और अपर्याप्त होता है। अगर ठीक तरह से प्रचार किया जाये तो मुझे पूरी आशा है कि देश के करोड़ों नर नारी उनको चलाने के लिये चल पड़ेंगे। मेरी समझ में श्रमदान और स्वेच्छा से बहुत से काम सफलता-पूर्वक सम्पन्न हो सकते हैं लेकिन अगर आप इसके लिये एक कानून बना करके टैक्स के रूप में जनता से वह काम करवाना चाहते हैं तो उसमें

[श्री एच० एल० अग्रवाल]

सरकार की बड़ी बदनामी होगी और सरकार की तरफ़ से लोगों का विश्वास हट जायगा। यह हमेशा देखने में आया है और अनुभव बताता है कि जो काम ज़बर्दस्ती कराया जाता है वह कभी सफल नहीं होता। मैं यह मानता हूँ कि रूस आदि देशों में रेजिमेंटेशन करके इस तरह से काम कराया गया और वहां किसी हद तक उसमें वे कामयाब (सफल) भी हुए लेकिन मेरा यह विश्वास है कि भले ही थोड़े दिनों तक इस तरह से काम हो जाये लेकिन अन्त तक, अन्ततोगत्वा वह चीज़ नहीं रहने की है और उससे हमारा काफ़ी नुक्सान होगा।

अब थोड़ा सा मैं आपके जरिये बजट के नये कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार से कहना चाहता हूँ। नया टैक्स लगाने से पहले सब से पहली ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को यह देखना चाहिये कि कहीं कोई वेस्ट (अपव्यय) तो नहीं हो रहा है, किसी क्षेत्र में ज्यादा और अंधाधुंध खर्चा तो नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा अपना पक्का ख्याल है कि सरकार के ज़रिये से जितने काम होते हैं, उनमें प्राइवेट (निजी) तौर से काम कराने की अपेक्षा कहीं ज्यादा खर्च होता है। चाहे आप सड़कों के बनाने में देख लें, या मकानों के बनाने में देखें, सरकार द्वारा चलाये जाने वाले इन कामों में अंधाधुंध खर्चा हो रहा है और जनता के धन का अपव्यय हो रहा है और मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस दिशा में काफ़ी ध्यान देना चाहिये और इस अपव्यय और अंधाधुंध अपव्यय को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहियें। इस सम्बन्ध में जो एक सुझाव इस सदन के कई एक माननीय सदस्यों ने दिया था कि इसके लिये पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिये जो कि इस बात की निरन्तर जांच करती रहे कि सरकारी कार्य के किसी क्षेत्र में अपव्यय और फिजूलख़र्ची तो नहीं हो रही है, मेरा विश्वास है कि अगर इस तरह की कोई एक पार्लियामेंटरी कमेटी बन गई तो सब लोग समझ जायेंगे कि अगर कहीं उनके काम में कोई गड़बड़ी पायी जायगी या कोई नुक्स पाया जायगा तो वे बचेंगे नहीं और उसके लिये उन्हें समुचित दंड दिया जायगा तो वे ठीक तरह से काम करेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर अपव्यय रोकने के बाद भी ठीक से काम नहीं चलता तब सरकार को अतिरिक्त नये कर लगाने का हक़ पैदा होता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सूती कपड़े पर यह जो दो-पैसे प्रति वर्ग गज़ की उत्पादन शुल्क में वृद्धि की गई है, इसका असर और बोझ देश के गरीब आदमियों पर पड़ेगा और गरीब आदमियों को ही इस कर वृद्धि का भार ज्यादा अखरेगा। यह ठीक है कि सुपरफाइन कपड़े पर ड्यूटी ढाई आना प्रति वर्ग गज़ तक हो जायगी लेकिन यह वर्ग गज़ पर होने की वजह से यदि गौर से देखा जाये तो वह टैक्स दोनों किस्म के कपड़ों पर करीब-करीब बराबर पड़ जायगा। कोर्स (मोटा) और मीडियम (मध्यम) क्लाथ (कपड़ा) बहुत कम कीमत का होता है जब कि सुपरफाइन क्लाथ ज्यादा कीमत का होता है इसलिये रुपये के परसेंटेज (प्रतिशतता) के हिसाब से देखा जाय तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसलिये वित्त मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम कोर्स और मीडियम किस्म के कपड़ों पर यह ड्यूटी कुछ कम होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ और वह यह है कि कोर्स धोतियों और साड़ियों को जो इस उत्पादन शुल्क से मुक्त किया गया है तो आख़िर कोर्स धोती और साड़ी के मानी क्या हैं? मुझे एक मिल मालिक ने बतलाया कि कोर्स धोतियां और साड़ियां मिलों में बहुत कम बनती हैं, बहुत ही थोड़ा परसेंटेज उनका मिलों में बनता है क्योंकि १४ कांउट से ऊपर की मीडियम में आ जाती है मेरा ख्याल यह है कि जहाँ कोर्स धोतियों और साड़ियों को एग्ज़ेम्प्ट (मुक्त) किया गया है वहां मीडियम किस्म की धोती और साड़ियों को भी एग्ज़ेम्प्ट करना चाहिये।

मैं इस में एक बात अच्छी देखता हूँ और वह यह है कि हमारे करघों और खादी के बने व्यवसाय को इससे प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि जो टैक्स मिलों के बने हुए कपड़े पर लगेगा, उसकी वजह से खादी और गाढ़े को उनसे बाजार में प्रतियोगिता करने का अच्छा मौका मिलेगा ।

एक बात मैं इसी सिलसिले में और कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) की तरफ से यह कहा गया कि हमें एक्सपोर्ट (निर्यात) करने में काफ़ी दिक्कत अनुभव होती है और हमारी और बहुत सी दिक्कतें बढ़ गई हैं और अगर इस तरह से कपड़े की नई मिलों को खोलने से व आगे बढ़ने से रोका गया और उनको इस तरह से ज्यादा कपड़ा बनाने से अगर रोका जायगा तो उनको विदेशों में प्रतियोगिता करने में दिक्कत पड़ेगी, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हम इस तरह की एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) लगायें कि वह एक्सपोर्ट (निर्यात) होने वाले माल पर न लगे, और अगर एक्सपोर्ट पर हम एक्साइज़ ड्यूटी न लगायें तो फिर हमारे कपड़े के लिये दूसरे बाजार अच्छी तरह से सुलभ हो सकते हैं और यहां हिन्दुस्तान में खादी और गाढ़ा भी खूब बिकेगा चूंकि यहां तो हमें खादी और दूसरी चीज़ों को प्रोत्साहन देना है, इसलिये हमें मिल के कपड़े पर उत्पादन कर लगा कर उसे करना है ।

एक बात यह कही गई है कि खादी और करघे से किसी तरह से भी हमारे कपड़े की मांग पूरी नहीं हो सकती । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है । हमने पिछले दो, तीन साल में देखा कि ९० करोड़ गज़ कैसे बढ़ कर अब १ अरब और ५० करोड़ गज़ कपड़ा करघे से बनने लगा है और थोड़े से समय में हमने देखा कि उसका उत्पादन पहले की अपेक्षा ड्योढ़े से भी ज्यादा हो गया है और मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इस व्यवसाय को प्रोत्साहन दें, उसे आगे बढ़ने का मौक़ा दें और नये तरीक़े निकालें और नये नये डिज़ाइन बनायें तो हमारी कपड़े की आवश्यकता इस करघे के व्यवसाय से पूरी हो सकेगी और हमें मिलों के कपड़े की ज़रूरत नहीं रहेगी और इस तरह गृह उद्योग की उन्नति करने से लोगों को काम भी मिलेगा और बहुत हद तक उसके द्वारा हम अपनी बेकारी की समस्या को भी हल कर सकेंगे ।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन व मावेलिक्करा) : सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री मात्तन ने लोक-सभा में जो बातें कही थीं उन पर मुझे आपत्ति है और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि प्रशासक चाहे कितना ही अच्छा और ईमानदार क्यों न हो परन्तु हमारा त्रावणकोर कोचीन राज्य उसे किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगा ।

श्री मात्तन ने यह भी कहा कि विरोधी दल के सदस्य व्यर्थ में ही सरकार की आलोचना व निन्दा करते रहते हैं, परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि हमने स्वतन्त्रता आन्दोलन में १५ या २० वर्ष तक भाग लिया है और हम कांग्रेस को शक्ति प्रदान करते रहे हैं और केवल स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही जब कि कांग्रेस के साथ हमारा सैद्धान्तिक मतभेद हुआ तभी हमने विरोधी दल का निर्माण किया । अतः हमारी आलोचना की गम्भीरता और हमारी सद्भावना पर सन्देह करना ठीक नहीं होगा ।

आय-व्ययक के बारे में मैं यह कहूँगा कि आगामी निर्वाचन की पृष्ठ भूमि तैयार करने के विचार से ही इस प्रकार का आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया । इसमें जनसाधारण की बजाये पूंजी-पतियों की सहायता व समर्थन प्राप्त करने का अधिक प्रयत्न किया गया है । हमें बताया गया है कि आगामी पांच वर्षों में भारत को ४८०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है परन्तु यह ४८०० करोड़ रुपया किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा अर्थात् कौन से कर बढ़ाये जायेंगे यह कुछ नहीं बताया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० श्री कान्तन नायर]

गया है और प्रथम वर्ष में केवल ३४·१५ करोड़ रुपये की आय बढ़ाई गई है। ऐसा क्यों किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आया है।

आय-व्ययक भाषण के भाग क में बताया गया है कि राष्ट्रीय आय के अनुसार कर बढ़ाये जायेंगे और कराधान जांच आयोग की सिफारिशों से भी सरकार की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। परन्तु यह सब उस आय-व्ययक में नहीं किया गया है। कुल ३४ करोड़ रुपये के करों में से २५ करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं जिनका निर्धन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, कपड़ा खाने के तेल और साबुन के मूल्य बढ़ गये हैं। अच्छा होता यदि खाने के तेल पर कर का इस प्रकार समायोजन किया जाता कि केवल पूंजीपतियों पर ही उसका प्रभाव पड़ता, परन्तु नारियल के तेल पर शुल्क बढ़ाने से पूंजीपतियों को दोहरा लाभ होगा और त्रावणकोर-कोचीन और मालाबार के लोगों को कष्ट सहन करना पड़ेगा। उनकी फसलों के मूल्य गिर रहे हैं और अब तो उन्हें दोनों समय भोजन भी उपलब्ध नहीं होता है। इन अप्रत्यक्ष करों का बोझ इन्हीं लोगों पर पड़ेगा। वर्ष १९४७–४८ से १९५४–५५ तक उत्पादन और सीमा शुल्कों में ४२ से ६४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, रेल के किराये बड़े हैं और राज्य सरकारों ने विक्रय कर जैसे कई कर लगाये हैं। इस से जनसाधारण की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

व्यक्तिगत कराधान के बारे में आयोग ने सिफारिश की थी कि २५,००० रुपये से अधिक की आय पर ५·६ प्रतिशत अधिभार और इतना ही अनिवार्य निक्षेप लागू किया जाये। परन्तु आय-व्ययक प्रस्तावनाओं में ७०,००० रुपये की आय पर आयोग की सिफारिश से कम अधिभार आदि लगाये गये हैं। २५,००० रुपये और ७०,००० रुपये के बीच की आय वालों को मुक्त कर दिया गया है। इस श्रेणी में मंत्रिगण, बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी और काफी करदाता आते हैं, इन्हें मुक्त करने का अर्थ स्पष्टतः धनिकों की सहायता करने की नीति ही है।

डेढ़ लाख रुपये वार्षिक आय वालों पर अनिवार्य निक्षेप वाली योजना लागू नहीं की गई है। उन के निक्षेप वापस नहीं किये जाने चाहिये अपितु ४५ वर्ष तक, जैसा कि आयोग ने सिफ़ारिश की है, उनका उपयोग किया जाना चाहिये।

रूस में प्रत्येक व्यक्ति को विकास कार्य के लिये अपनी आय का ६ प्रतिशत जमा करना पड़ता है यहां हम इस प्रकार तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से लोगों की आय उनकी निम्नतम आवश्यकता से भी कम है परन्तु उन लोगों पर तो दबाव डाला जा सकता है जिनकी आय २५,००० रुपये से अधिक है। आवश्यकता पड़ने पर उनके परिवार इस बचाये हुए धन में से कुछ निकाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। श्री गाडगिल के कथनानुसार कराधान का अनुपात आय की वृद्धि के अनुसार होना चाहिये।

कैपिटल नामक पत्रिका के ८ मार्च, १९५६ के अंक प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित एक लेख से पता चलता है कि कर पूंजीपतियों की प्रत्याशा से भी कम लगाये गये हैं। परन्तु जिस बात की प्रत्याशा थी वह भी नहीं की गई है। एक समाजवादी व्यवस्था के लिये धन की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, सम्पदा शुल्क की उच्चदर और कराधान उपेक्षित होते हैं परन्तु यहां पूंजीपति कल्याण राज्य में विकास कार्यों के लिये धन एकत्र करने के हेतु निर्धनों का ही गला घोंटा जा रहा है जब कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग पर करारोपण किया जा सकता था।

हम देखते हैं कि प्राक्कलनों और वास्तविकता खर्च का परस्पर अन्तर प्रत्येक वर्ष बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वर्ष हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिये आवंटित पांच करोड़ रुपये में से एक पाई भी खर्च नहीं की गई है। आय-व्ययक में आवंटित समस्त राशि खर्च भी हो गई परन्तु ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रह गये।

मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योगों के विकास की ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही है जबकि प्रतिरक्षा मंत्रालय को शिकायत है कि वह विदेशों से १७.६१ करोड़ रुपये के मूल्य का सामान खरीदने में असमर्थ रहा है । यदि यह उद्योग स्थापित किये जायें तो बढ़ती हुई बेरोज़गारी भी कम हो सकती है और हम अपनी स्वतन्त्रता का संरक्षण भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब कि अमरीका और ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देश पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हमें इन उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। प्रतिरक्षा मंत्री को भी इस मामले पर अधिक विचार करना चाहिये। विकास कार्यक्रम में इन उद्योगों को भी उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिये।

१ मार्च, १९५६ के **इंडियन एक्सप्रैस** के अंक में प्रकाशित एक मुख्य लेख में कहा गया कि "राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि के अनुसार कर नहीं बढ़ाये गये हैं और श्री देशमुख ने पूंजी आय-व्ययक की तुलना में राजस्व आय-व्ययक को कम महत्व दिया है"। सब से बड़ी बात यह है कि आय-व्ययक प्रस्तावनाओं का पहले ही पता चल गया था। लोगों को और कई संसद् सदस्यों को सन्देह है कि यह सब मंत्रियों, सचिवों और मंत्रियों के व्यक्तिगत सहायकों के कारण ही हुआ है और उन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है। इस विषय में पूरी तरह से अनुसन्धान किया जाना चाहिए, अन्यथा सरकारी कार्यालयों की सच्चाई और ईमानदारी पर लोगों को सन्देह हो जायगा। इसका अनुसन्धान पुलिस द्वारा किया जाना चाहिये।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना—पूर्व) : २९ फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा पुरःस्थापित आय-व्ययक से गैर-सरकारी क्षेत्र को बड़ी सहायता मिली है और उन लोगों ने, जो अत्याधिक कराधान की सम्भावना से भयभीत हो रहे थे, सुख की सांस ली है परन्तु हमें देखना यह है कि इस आय-व्ययक में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये क्या किया गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि आगामी योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये धन कहां से और किस प्रकार प्राप्त होगा और देश का आर्थिक विकास किन आधारों पर होगा।

आय-व्ययक से पहले हम योजना आयोग सम्बन्धी चर्चा सुनते रहे हैं। उनको सुनने के पश्चात् इस परिणाम पर पहुँचना स्वाभाविक ही था कि असमानता को कम करने के लिये करारोपण का प्रयोग किया जायेगा अर्थात् आयकर और सम्पदा शुल्क बढ़ाये जायेंगे और समस्त धन और अधिक आय पर कर लगाया जायेगा। परन्तु हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि वित्त मंत्री इस विषय में बिल्कुल मौन रहे हैं, और ऐसे समय में जब कि भारत के इतिहास का दूसरा पृष्ठ उल्टा जा रहा है, वित्त मंत्री का मौन रहना एक बड़ी विचित्र बात है। इतनी बड़ी और महत्वकांक्षी योजना को वह कैसे आरम्भ करेंगे। इसके कारण लोगों में अस्थिरता की सी भावना पैदा हो गई है। हमारे सामने जो चित्र रखा गया है वह अस्थायी-सा जान पड़ता है और तभी मैंने कहा था कि इसका वास्तविक रूप देखने के लिये हमें कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। माननीय वित्त मंत्री ने योजना आयोग के सभापति होने के नाते जो कुछ कहा और लोक सभा में वित्त मंत्री होने के नाते जो कुछ कहा उनमें बहुत अन्तर है, योजना आयोग के सभापति होने को नाते उन्होंने कराधान सम्बन्धी बड़े प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखे थे परन्तु आय-व्ययक में उन प्रस्थापनाओं को प्रारम्भ तक करने की आतुरता नहीं दिखाई गई है। उन्होंने यह दो रूप क्यों धारण किये हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है, परन्तु मैं इतना अवश्य कहूँगी कि इस अवसर पर उन्हें आगामी योजना के लिये कोई ठोस कार्य करना चाहिये था । आगामी योजना से सम्बद्ध होने के कारण इस आय-व्ययक का विशेष महत्व है। इस में देशकी महान समस्याओं को हल किया जाना चाहिए

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

था परन्तु हमें तो उस का कोई उल्लेख तक दिखाई नहीं देता । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा के बारे में वित्त मंत्री ने कहा था कि कराधान सम्बंधी प्रत्येक प्रस्तावना को इस दृष्टिकोण से देखा जायेगा कि उससे कितना राजस्व प्राप्त होगा, इसके प्रशासन में कठिनाई तो नहीं होगी । इसका आर्थिक उत्साह पर प्रभाव क्या होगा और इससे आर्थिक असमानता कितनी कम होगी । परन्तु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और इस विषय में अनुत्तरदायित्वता का प्रमाण दिया गया है । मैं वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जिस आर्थिक विकास की वह योजना बना रहे हैं उसके भिन्न-भिन्न पहलू क्या हैं ? योजना के लिये रुपया कहां से आयेगा उन्हें यह स्पष्ट करना चाहियें ।

यह जानना हमारा अधिकार है । इसके बिना लोगों की कर देने की क्षमता और कर द्वारा होने वाली प्राप्ति का पता नहीं चलेगा और कोई योजना इनके जाने बिना नहीं बनाई जा सकती है । यदि हम करारोपण की ठीक-ठीक योजना हीं बनाते हैं तो हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय लेना पड़ेगा जिसका परिमाण बढ़ता ही चला जा रहा है और जिसका मुद्रास्फीति पर भी प्रभाव पड़ता है । मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करती हूँ कि लोक-सभा में आर्थिक आयोजन पर बोलते समय वह प्रस्तावनाओं का स्पष्ट चित्र हमारे सामने रखें । राज्य सरकारों के आय-व्ययकों से पता चलता है कि खर्च का अधिकतर भार केन्द्रीय सरकार पर ही पड़ेगा और जब तक राष्ट्रीय आय बढ़ने से केन्द्रीय वित्त में वृद्धि नहीं होती है तब तक राज्य सरकारों के खर्च के लिये राजस्व की व्यवस्था नहीं की जा सकती है । गत छः सात वर्ष से वित्त मंत्री लोगों की कर देने की क्षमता को नहीं बढ़ा सके हैं बल्कि वह उत्पादन शुल्क को बढ़ा कर सीमा शुल्क को कम करते रहे हैं । निर्यात शुल्क के घटा देने के कारण हमारा सीमा शुल्क राजस्व भी कम हो गया है और दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है ।

माननीय वित्त मंत्री ने खर्च में कमी करने की बात बड़े उत्साह के साथ कही है परन्तु मुझे डर है कि वह इसे पूरा कर भी सकेंगे । वास्तव में आजकल जब कि प्रशासकीय व्यवस्था इतनी बोझिल बनती जा रही है और दिन प्रतिदिन कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तब पता नहीं वित्त मंत्री कैसे मितव्ययता करने की बातें करते हैं । मैं, व्यक्तिगतरूप से, उसमें अधिक विश्वास नहीं करती ।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे भी आशंका है । देश का कुल घाटा ३९० करोड़ रुपये का है । यह कोई छोटी रकम नहीं है । भारत की वर्तमान परिस्थितियों में मेरा विचार है कि इतने घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने का यह सबसे बड़ा प्रयास है । इस वर्ष चाल वर्ष से अधिक १७० करोड़ रुपये इस घाटे की अर्थ-व्यवस्था के लिये अलग रखे गये हैं । इस का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? समूचे देश के लिये यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । वित्त मंत्री का कहना है कि इससे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । लेकिन इस समय इसके सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता , क्योंकि हम अभी आगामी वर्ष की उत्पादन तथा आयातों की वृद्धि का अनुमान नहीं लगा सकते हैं । क्या हम अपने देश में इस घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सामना करने के लिये १५० करोड़ रुपयों के मूल्य के प्रतिकूल व्यापार-अन्तर को व्यवस्था करने जा रहे हैं ? यह तो कोई भी नहीं कहेगा । यदि हम अगले वर्ष इसमें सफल हो जाये, तो गत वर्ष की भांति ही हमारा कुल घाटा २२२ करोड़ रुपयों का ही रह जायेगा । गतवर्ष हमारे देश में ३५ करोड़ रुपये का अनुकूल भुगतान-अन्तर रहा था । पर इस समय उसका अनुमान करना नितान्त असम्भव है । सरकार आयातों म वृद्धि करके ६० या ७० करोड़ रुपयों का प्रतिकूल व्यापार-अन्तर तो प्राप्त कर सकती है, पर १५० करोड़ का प्रतिकूल व्यापार अन्तर होना तो असम्भव होगा ।

इससे प्रश्न उठता है कि हमारे वैदेशिक व्यापार में कितनी बड़ी खाई पड़ जायेगी, और आर्थिक संतुलन प्राप्त करने के लिये हमारे घाटे की अर्थ-व्यवस्था में कितनी कमी रहेगी । सौ करोड़ रुपये के प्रतिकूल भुगतान-अन्तर से हम अपनी घाटे की अर्थ- व्यवस्था को गत वर्ष के स्तर पर ला सकते हैं ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि गत वर्ष २२२ करोड़ के घाटे की अर्थ-व्यवस्था से भी चीज़ों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन उससे चालू वर्ष में जून तक कीमतों में १० प्रतिशत की वृद्धि तो हुई ही थी। यह मुद्रा-स्फीति का संकेत है। अब जब कि हम वित्तीय अगले वर्ष में ३९० करोड़ के घाटे की अर्थ-व्यवस्था कर रहे हैं तो मुझे आशंका है कि इससे कीमतों में १० प्रतिशत की और वृद्धि हो जायेगी। इस प्रकार कीमतों में अन्ततः कुल वृद्धि २० प्रतिशत तो हो ही जायेगी। इसलिये वित्त मंत्री को मुद्रा-स्फीति का निवारण करने के लिये सावधानी से काम लेना चाहिये। उन्हें आयातों पर और अधिक ध्यान देना चाहिये, जिससे कि लगभग १०० करोड़ रुपये का प्रतिकूल व्यापार अन्तर बना रहे। केवल तभी हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में कुछ संतुलन बनाये रख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि उपभोक्ता वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन को चालू वर्ष से ५ प्रतिशत अधिक रखा जाये इसी से हम उनकी क़ीमतों में होने वाली वृद्धि को रोक सकेंगे।

२४० करोड़ रुपये से अधिक की घाटे की अर्थ-व्यवस्था से देश में मुद्रा-स्फीति की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिये। आशा है कि वित्त मंत्री आयातों तथा उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिनसे कि मुद्रा-स्फीति का भय नहीं रहेगा।

†**श्री मुरारका** (गंगानगर—झुंझनू) : मैं आय-व्ययक बनाने की पद्धति में सुधार किये जाने की मांग का समर्थन करता हूँ। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे आय-व्ययक का ढांचा एक विवरणात्मक आय-व्ययक जैसा है, उसे कार्यपूर्ति आय-व्ययक होना चाहियें। मैं उनसे सहमत हूँ। क्यों ?

हमारे आय-व्ययक का वर्तमान ढांचा वही है जो विदेशी शासकों ने अपनाया था। पर उनका न तो जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व ही था और न वे अपने आय-व्ययक की आर्थिक नीति को जनता को समझाने की आवश्यकता ही समझते थे। उनका तो एक ही उद्देश्य था, देश में शांति और व्यवस्था बनाये रखना और कार्यपालिका के व्यय पर एक वैधानिक नियंत्रण रखना। अब हमारा देश विशाल निर्माण-कार्यों को प्रारम्भ कर रहा है; हमें देश की आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि करनी है। इसीलिये, हमें अब कार्यपूर्ति आय-व्ययक की पद्धति अपनानी चाहिये, जिससे कि देश की जनता को सरकार के उद्देश्यों, कार्यों और सफलताओं का भी आभास मिलता रहे।

यह समस्या बिल्कुल नयी नहीं है। अमरीका में भी १९४९ में आय-व्ययक सम्बन्धी सुधारों का सुझाव देने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था। उस आयोग के प्रतिवेदन की भूमिका में ही दो प्रश्न उठाये गये थे। कर दाताओं से धन क्यों लिया जा रहा है और उसके बदले उन्हें सरकार क्या देगी ? आयोग ने कहा था कि अमरीका का तत्कालीन आय-व्ययक इन दोनों प्रश्नों के पूरे-पूरे उत्तर नहीं देता था और इसीलिये उसमें सुधार की आवश्यकता थी। हमारे आय-व्ययक की पद्धति भी इन दो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाती है। उससे कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण तो रखा जा सकता है पर इससे आय-व्ययक में निहित आर्थिक नीति को नहीं समझा जा सकता है।

हाल ही में बैंकाक में हुए एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के सम्मेलन में भी इस पर विचार किया गया था। आय-व्ययक को वर्तमान पद्धति के सम्बन्ध में, सम्मेलन के सभापति डा० लोकनाथन् का भी यही मत था। सम्मेलन ने स्वीकार किया था कि सरकार की विवरणात्मक आय-व्ययक की पद्धति हमें कुछ व्यय के सम्बन्ध में सूचना तो देती है, पर उससे हम आय-व्ययक की आर्थिक नीति को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसके लेखे के वर्गीकरण की पद्धति ही ऐसी है कि उसको कोई आर्थिक विवेचना नहीं की जा सकती है और जनता उसका कोई भी उपयोग नहीं कर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

सकती है। उससे कुल व्यय और आय का पता चल सकता है, पर किस पर कितना व्यय हुआ है इसका नहीं।

विवरणात्मक आय-व्ययक और कार्यपूर्ति आय-व्ययक में मुख्य अन्तर यह है कि पहले आय-व्ययक से हमें केवल यही पता चल पाता है कि किस मंत्रालय में कितने कर्मचारी हैं और उस पर कितना व्यय किया गया है; लेकिन दूसरे प्रकार के आय-व्ययक से हमें यह भी पता चल सकता है कि उस मंत्रालय ने कितनी योजनायें तथा परियोजनायें कार्यान्वित कीं और उनका क्या परिणाम निकला। इस दूसरे प्रकार के आय-व्ययक से हमें विभिन्न आंकड़ों और विभागों की तुलना करने के लिये एक आधार मिल जाता ह। वित्त मंत्री को इस दिशा में प्रयास करना चाहिये।

यह मांग गत वष भी माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता ने की थी। वित्त मंत्री ने इस पर विचार करने का वचन भी दिया था, पर पता नहीं अभी तक इस सम्बन्ध में क्या-कुछ किया गया है।

मुझसे पहले भाषण देन वाली माननीय सदस्या ने कहा कि घाटे की अर्थव्यवस्था से मुद्रा-स्फीति की आशंका बढ़ जाती ह। वित्त मंत्री के आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण से यह स्पष्ट है कि वह इस सम्बन्ध में सतर्क हैं और इस सम्बन्ध में बहुत सावधानी से कार्य कर रहे हैं।

लकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री को देश में वस्तुओं की कीमतों के स्तर के सम्बन्ध में जो सूचक अंक मिला करते ह, वे कभी-कभी अवास्तविक भी होते हैं। उदाहरण के लिये, आज देश में सीमेंट की नियंत्रित कीमत कुल खर्च मिला कर ९१ रुपये प्रति टन है, पर आप कलकत्ता में २०० रुपये और बम्बई में १८० रुपये प्रति टन से कम भाव पर उसे नहीं ख़रीद सकते। इससे पता चलता है कि हमारे यहां कीमतों के १०० या १५० प्रतिशत तक बढ़ जाने की प्रवृत्ति है। सीमेंट की मांग भी अभी काफ़ी समय तक इसी प्रकार बनी रहेगी और हमारा उत्पादन भी एक दिन में नहीं बढ़ जायेगा। इसलिये, केवल कीमतों का वर्तमान नियंत्रण प्रभावशाली नहीं रहेगा, हमें उसके उत्पादन और बंटवारे पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके बिना नियंत्रण कभी सफल नहीं होगा।

सीमेंट के सम्बन्ध में वर्तमान परिस्थिति में दो ही मार्ग हो सकते हैं—या तो राज्य उसका समूचा व्यापार अपने हाथ में ले ले, या फिर उस पर बिलकुल भी नियंत्रण न रहे। यदि यह भी नहीं, तो फिर उसके बंटवारे और उसकी कीमतों दोनों पर ही नियंत्रण किया जाना चाहिये। तभी उपभोक्ताओं को कोई लाभ हो सकता है। आज की परिस्थिति में तो कम्पनियों के मालिक ही मन-माना मुनाफा कमा रहे हैं।

लोहा, इस्पात और कागज़ के सम्बन्ध में भी स्थिति यही है। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक वस्तु पर कड़ा नियंत्रण कर दिया जाय। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि इन वास्तविकताओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। घाटे की अर्थ-व्यवस्था को एक सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। हमें १,६०० करोड़ रुपये तक के घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी पड़ सकती है और यह घाटे की समस्या पूरे पांच वर्षों तक इसी प्रकार हमारे सामने रहेगी। हमें अभी से उसके लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था में हमने पांच वर्षों के लिये अपना लक्ष्य कुल १२०० करोड़ रुपयों का रखा है। एक वर्ष के लिये यह समस्या ३४० करोड़ रुपयों की हो सकती है पर, हमें १,२०० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही अपने उपाय करने चाहिये।

मैं सरकार के एक विभाग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। दो वर्ष पहले इस विभाग पर ४५ लाख रुपयों का व्यय होता था। अब आय-व्ययक में इसके लिये ९७ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस विभाग ने काम क्या किया है ?

हमें तो केवल यही मालूम है कि इस विभाग ने कुल दस सर्वेक्षण किये हैं और उनमें से भी केवल तीसरे सर्वेक्षण का प्रतिवेदन हमें अभी तक मिल सका है। यह प्रतिवेदन भी अगस्त-नवम्बर १९५१ में किये गये कार्य के सम्बन्ध में है। इसका अर्थ यह है कि अब १९५६–५७ में हमें १९५१ के आर्थिक आंकड़ों के सम्बन्ध में सूचना दी जायेगी। इससे क्या लाभ होगा? इसकी कई बार आलोचना की जा चुकी है, पर उसका कोई भी फल नहीं निकला है। यदि उसमें कर्मचारी कम हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, पर उसे उपयोगी तो बनाया ही जाना चाहिये।

इस वर्ष एक अतिरिक्त मद पर ३५ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। यह राशि विभिन्न राज्यों में सांख्यकीय कामों के लिये बांटी जायेगी। यह तो ठीक है, पर वित्त मंत्री को इसका ध्यान रखना चाहिये कि उससे जनता को वास्तव में कुछ लाभ भी पहुंचे।

अब मैं कराधान के नये प्रस्तावों के प्रश्न को लेता हूँ। बोनस शेयरों और लाभांशों पर कर लगाये जाने के सम्बन्ध में काफी आलोचना की गई है। पर इन दोनों पर कर आरोपित करना आवश्यक है, क्योंकि बिना एक पर कर आरोपित किये दूसरे पर भी कर आरोपित नहीं किया जा सकता है। यदि केवल लाभांशों पर कर लगाया जाय तो सभी संचित लाभांश अंशधारियों (शेयर-होल्डरों) को बोनस शेयरों के रूप में मिल जायेंगे। इसी प्रकार, यदि बोनस पर ही कर लगाया गया, तो समस्त संचित रक्षित पूंजी लाभांशों के रूप में बंट जायेगी। ये दोनों ही कर उचित हैं। आगे अवसर मिलने पर, मैं बताऊंगा कि बोनस शेयरों पर लगने वाला कर भावी लाभांश की राशि पर पेशगी अदा किया जाने वाला कर ही है, जो कि एक साथ ही अदा कर दिया जाता है। इस प्रकार इसको अदा करने पर लाभांश की कुछ राशि सदा के लिये कर-मुक्त बनाई जा सकती है। इससे कुल मिलाकर लाभ ही होगा।

कहा गया है कि इस प्रकार के कराधान से संयुक्त पूंजी उपक्रमों के लिये व्यापार करने की कोई प्रेरणा नहीं रह जायेगी। लेकिन आप शेयर बाजार को तो देखिये। आय-व्ययक प्रस्थापनाओं के बनाये जाने से पहले, टाटा के शेयरों का भाव २२३ रुपये था, पर आज उनका भाव २३६ रुपये है। इसलिये यह तर्क वास्तविकता से मेल नहीं खाता।

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : मैं एक एक सीमित उद्देश्य को ही लेकर इस चर्चा में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। पिछले दो दिनों में और आज की चर्चा में कई बातें कही गई हैं और मेरा उद्देश्य अभी उनकी कुछ तथ्यपूर्ण व्याख्या करना, या कुछ माननीय सदस्यों के मस्तिष्कों में उत्पन्न हुई कुछ भ्रांतियों को दूर करना ही है।

मुझ से पहले वक्ता और परसों वाद-विवाद को आरम्भ करने वाले भंडारा के माननीय सदस्य ने भी सीमेंट का उल्लेख किया था। भंडारा के माननीय सदस्य ने राज्य-व्यापार के प्रश्न के सम्बन्ध में उसका उल्लेख किया था। इसलिये, मेरा विचार है कि मैं प्रश्न को सबसे पहले लूं। हालांकि एक राज्य व्यापार निगम संगठित करने के प्रश्न पर अभी विचार ही किया जा रहा है, फिर भी मेरा विचार है कि सीमेंट को ऐसे किसी राज्य-व्यापार निगम के अन्तर्गत रखने से अभी किसी भी उपयोगी कार्य की पूर्ति नहीं होगी। हम जानते हैं कि सीमेंट की अभी भारी कमी है, और संभावना यही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों के बढ़ने के साथ-साथ यह कमी और भी बढ़ती ही जायेगी; फिर भी, मेरा विचार है कि आगामी कुछ समय के लिये सीमेंट के आयात के लिये शीघ्र ही कुछ प्रबन्ध कर लेना ही अच्छा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बी० आर० भगत]

भंडारा के माननीय सदस्य ने पूछा था कि सीमेंट के आयात के लिये ए० सी० सी० के द्वारा ही क्यों प्रबन्ध किया गया था। ऐसा करने का उद्देश्य यही था कि देश में सीमेंट की कमी को दूर करने के लिये जल्द ही उसका आयात किया जा सके। उन्हें शायद यह भ्रान्ति हो गई है, और मैं उसे दूर करना चाहता हूँ, कि सीमेंट के व्यापार में कोई लाभ नहीं है क्योंकि एक तो इसलिये कि आयात किया जाने वाला सीमेंट अधिक महंगा है और दूसरे इसलिये कि ए० सी० सी० के साथ ऐसा प्रबन्ध किया गया है। जिससे कि उसे इस सौदे से कोई लाभ नहीं होगा। यह न कुछ लाभ और न कुछ हानि के आधार पर किया गया है। इसीलिये, मेरे विचार में उनको यह भय होना ही नहीं चाहिये कि ए० सी० सी० के साथ कुछ पक्षपात किया गया है। मैं इस बात को यहीं पर छोड़ता हूँ।

दूसरा प्रश्न में डाक दरों का लेता हूँ। इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने आलोचना की है। उन्होंने बारबार दोहराया है कि डाक दरों की वृद्धि का अर्थ है ज्ञान पर कर लगाना, क्योंकि उससे पुस्तकों की कीमत बढ़ जायेगी। पंजीयन शुल्क छः आने से बढ़ा कर आठ आने इसी लिये कर दिया गया है कि उससे डाक तथा तार विभाग की डाक शाखा को आजकल होने वाली हानि को कम किया जा सके। शायद माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है कि प्रत्येक पंजीकृत वस्तु को भेजने में लगभग ग्यारह आने की लागत बैठती है और इस प्रकार आठ आने की दर से उसकी अनुमानित लागत की पूरी तौर से पूर्ति नहीं होती है।

तर्क यह दिया गया है कि यह कर ज्ञान पर लगाया गया है क्योंकि उससे पुस्तकों की कीमत बढ़ जायेगी। यह अनुमान लगाया गया है कि डाक-पैकिटों के कुल यातायात में पुस्तकों का परिमाण शायद बारह प्रतिशत ही है, और यदि आप पंजीकृत वस्तुओं को लें तो उसमें पुस्तकों का परिमाण केवल तीन प्रतिशत ही बैठता है। चूंकि माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता प्रकट की है, इसलिये मैं लोक-सभा को बताना चाहता हूँ कि संचार मंत्रालय ने इस प्रश्न की जांच करने के लिये कि क्या पुस्तकों के वास्तविक पैकिटों, अर्थात् नमूनों की वस्तुओं आदि से भिन्न वास्तव में पुस्तकों के ही पैकिटों पर डाक खर्च म कुछ रियायत की जा सकती है, एक समिति नियुक्त कर दी है। यह समिति इस काम के लिये पुस्तकों की उपयुक्त परिभाषा की भी सिफारिश करेगी। इस समिति की सिफारिशें सरकार को बहुत ही शीघ्र मिल जायेंगी। समिति की उन सिफारिशों को देखते हुए ही पुस्तकों के सदाशय पैकिटों के लिये डाक दरों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

यह भी कहा गया था कि देहातों में रहने वाले विद्यार्थियों को एक पुस्तक मंगाने पर, विशेषकर पंजीकृत डाक से एक पुस्तक मंगाने पर बहुत अधिक क़ीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरे विचार से यह तर्क कोई अधिक प्रासंगिक नहीं है क्योंकि देहातों में आमतौर पर कोई भी विद्यार्थी एक पुस्तक नहीं मंगाता है। बहुधा, वे स्कूलों या कुछ संस्थाओं द्वारा ३० या ४० पुस्तकों के ही आर्डर भेजते हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छा तरीका है कि एक पुस्तक के स्थान पर ३० या ५० इकट्ठी पुस्तकों का एक आर्डर भेजा जाये, जिससे कि पंजीयन का उपरि व्यय घटाया जा सके। पुस्तक-विक्रेता आमतौर पर अपनी पुस्तकें रेलवे पार्सल द्वारा मंगाते हैं, पंजीकृत पैकिटों में नहीं। इसलिये, इससे कोई बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। जो भी हो, वह समिति इन सबकी जांच करेगी और यदि कोई कठिनाई है तो उसे दूर करने के उपायों का सुझाव देगी।

अब, मैं आवास के प्रश्न को लेता हूँ। कहा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवास के लिये किया जाने वाला आवंटन बहुत ही अपर्याप्त है और उसमें देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में आवास की बहुत अधिक कमी की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे समचे देश ही में

आवास की कमी की समस्या एक बड़ी भारी समस्या है; लेकिन हमारे पास बहुत सी सीमित निधियां उपलब्ध हैं और आवास के लिये की गई विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए ही उसके लिये कोई व्यवस्था की जा सकती है। यह मुख्यतः योजना में नियतन और प्राथमिकता का विषय है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आवास के लिये ३८·५ करोड़ रुपये नियत किये गये थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में, योजना आयोग में काफी बहस हुई थी और इस बात के बावजूद कि निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय ने अधिक धनराशि की मांग की है, योजना आयोग केवल १२० करोड़ रुपये ही नियत कर सका है, इतनी बड़ी मांग को देखते हुए मैं यह मानता हूँ कि वह धनराशि कम है, किन्तु फिर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में दी गई धनराशि से वह कहीं अधिक है।

कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि गंदी बस्तियां हटाने के लिये अथवा औद्योगिक आवास के के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं है। मेरे विचार से यदि १२० करोड़ रुपये के हिस्सों को देखा जाय तो मालूम होगा कि आवास से सम्बद्ध अनेक समस्याओं पर कितना ध्यान दिया गया है। ५० करोड़ रुपये औद्योगिक आवास के लिये, ४० करोड़ रुपये कम आय वाले समुदाय के लिये मकान बनाने के लिये, २० करोड़ रुपये गन्दी बस्तियां दूर करने और ५ करोड़ रुपये ग्रामीण मकान बनाने के लिये नियत किये गये हैं। मेरे विचार से, गांवों में मकान बनाना राज्यों का विषय है और उसके लिये जो धनराशि नियत की गई है वह आदर्श गांवों में केवल अग्रगामी परियोजनाओं के लिये है जिससे यह दिखाया जा सके कि स्थानीय सामग्री से किस प्रकार के मकान बनाये जा सकते हैं ताकि गाँव के लोग उसी प्रकार के मकान बनायें।

दूसरी बात यह कही गई थी कि कम आय वाले समुदायों के लिये अथवा गावों में मकान बनाने के लिये कुछ सहायता दी जानी चाहिये। जहाँ इतना बढ़ा प्रश्न हो वहाँ आप सहायता नहीं दे सकते; अतः वह तर्क लागू नहीं होता। किन्तु गंदी बस्तियाँ हटाने और औद्योगिक आवास के लिये सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है और मेरे विचार से उस बारे में कुछ किया जायगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी गलत धारणाओं से वाद-विवाद में भ्रम उत्पन्न कर दिया है। कम्युनिस्ट दल के उप-नेता के दिमाग में ऐसी ही एक गलत धारणा मालूम होती है। कारखाने के कमकरों की उत्पादनशीलता के बारे में उन्होंने इंडियन लेबर गजट से कुछ आंकड़े उद्धरित किये हैं और उन्होंने बताया है कि १९५०–१९५४ के चार वर्षों में कारखाने के कमकरों की उत्पादन शीलता ४३ प्रतिशत बढ़ गई है जबकि उनकी वास्तविक आय केवल १४ प्रतिशत ही बढ़ी है। उनके कथनानुसार स्थिति चिंताजनक है और उसमें कुछ आमूल कार्यवाहियां आवश्यक हैं।

जहाँ तक इन उद्धरित आंकड़ों का सम्बन्ध है, उन्होंने इंडियन लेबर गजट से पुराना देशनांक लिया है। अभी हाल ही में एक नया देशनांक तैयार किया गया है और औद्योगिक उत्पादन के इस नये पुनरीक्षित देशनांक में ८८ मद लिये गये हैं जबकि पुराने देशनांक में केवल ३५ मद थे। उसमें अभी हाल में चालू किये गये कुछ नये उद्योग सम्मिलित किये गये हैं। नये देशनांक में औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि दिखाई गई है, वह पुराने देशनाँक में दिखाई गयी वृद्धि से बहुत कम है। दुर्भाग्यवश नया देशनांक १९५१ से आरम्भ होता है, १९५० से नहीं अतः उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती। १९५१–१९५४ के आंकड़ों का मिलान इसके साथ यदि किया जाये, तो यह मालूम होगा कि इस देशनांक के अनुसार १९५१ और १९५४ के बीच औद्योगिक उत्पादन केवल १३ प्रतिशत बढ़ा है जबकि पुराने देशनांक के अनुसार वह २५·६ प्रतिशत है। औद्योगिक उत्पादनशीलता के नये देशनांक के आधार पर तैयार किये गये देशनांक से यह मालूम होता है कि १९५१ और १९५४ के बीच उत्पादनशीलता १२·१ प्रतिशत बढ़ गई है। उसी अवधि में वास्तविक आय १०·३ प्रतिशत बढ़ गई है। इस प्रकार पुराना देशनांक अपर्याप्त मालूम होता है और नये देशनांक में दोनों आंकड़े बहुत कुछ मिलते जुलते हैं।

[श्री बी० आर० भगत]

यह भी ध्यान में रखना होगा कि १९४६ और १९५० के बीच कारखाने के कमकरों की वास्तविक आय उत्पादनशीलता से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ती गई और बाद में इसका बिल्कुल उलटा हो गया। इस अवधि में श्रम की उत्पादनशीलता केवल ५·६ प्रतिशत बढ़ी जबकि वास्तविक आय २३·१ प्रतिशत बढ़ी। उसके बाद यह प्रवृत्ति उलट गई। अतः इसकी तुलना पहली प्रवृत्ति से भी करनी होगी।

यह मान लेना भी गलत है कि जब कभी वास्तविक आय में वृद्धि उत्पादनशीलता में वृद्धि की अपेक्षा धीमी होती है तब कमकर घाटे में रहते हैं। पूंजी के अधिक उपयोग से प्रति कमकर की उत्पादनशीलता बढ़ सकती है। ज्यों-ज्यों घनी पूंजी वाले उद्योगों या परियोजनाओं जैसे भारी इंजिनिअरिंग उद्योगों आदि का महत्व बढ़ जाता है त्यों-त्यों श्रम की उत्पादनशीलता औसत में उससे बढ़ती जायेगी जितनी कि उनकी कोशिशों के परिणामस्वरूप हो सकती है।

यहां मैं रूस की नवीनतम पंचवर्षीय योजना की स्थिति से तुलना करूँगा। अभी हाल में प्रकाशित रूस की छठी पंचवर्षीय योजना में यह कल्पना की गई है कि कमकरों की मजूरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी कि उनकी उत्पादनशीलता बढ़ेगी। वे इस तथ्य को मानते हैं कि ज्यों-ज्यों प्रौद्योगिक प्रगति अधिकाधिक होगी त्यों-त्यों मजूरी का अनुपात गिरेगा। इसी प्रकार उन कुछ उद्योगों में जहाँ प्रौद्योगिक प्रगति अधिक हुई है, इस प्रकार की गति विधि दिखायी पड़ सकती है। इस प्रकार रूस की छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान में राष्ट्रीय विनियोजन में संभवतः ६० प्रतिशत वृद्धि होगी जबकि कर्मचारियों की मजूरी केवल ३० प्रतिशत बढ़ेगी। तो नये देशनांक को देखते हुए भारत में १९५०–१९५४ की अवधि में, वास्तविक आय और उत्पादनशीलता में जो अनुपात रहा है उसमें भारी असंतुलन नहीं है।

माननीय सदस्य श्री चेट्टियार ने राष्ट्रीय आय के कुछ आंकड़ों का निर्देश करते हुए कहा कि वृद्धि का १८ प्रतिशत कृषि और सम्बन्धित उद्योगों को, १४ प्रतिशत छोटे उपक्रमों और वाणिज्य तथा परिवहन आदि को दिया गया है, और ४३ प्रतिशत कारखानों को दिया गया है। उन्होंने आगे यह कहा कि इस नियतन के निर्देश के साथ करारोपण की नई प्रस्थापना का परीक्षण किया जाना चाहिये।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिये गये आंकड़ों को श्री चेट्टियार ने गलत समझा है। १८ प्रतिशत, १४ प्रतिशत और ४३ प्रतिशत के आंकड़े प्रथम योजना अवधि में विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न राष्ट्रीय आय की वृद्धि के सम्बन्ध में हैं, न कि उत्पन्न अतिरिक्त आय में इन क्षेत्रों के अंश के सम्बन्ध में हैं। ये इन क्षेत्रों से उत्पन्न राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं न कि वे इन क्षेत्रों को दिये जाने वाले साथ के अंश के आंकड़े हैं। अतः उनका निर्णय बिलकुल गलत है। वास्तविक स्थिति यह है कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि के बजाय, कृषि से उत्पन्न आय में १८ प्रतिशत और कारखानों से उत्पन्न आय में ४३ प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस प्रकार १९५०–५१ में राष्ट्रीय आय ९,११० करोड़ रुपये से बढ़कर १९५५–५६ में १०,८०० करोड़ रुपये हो गई है। १९५०–५१ में कृषि और सम्बन्धित उद्योगों से उत्पन्न आय ४,४५० करोड़ रुपये से बढ़कर १९५५–५६ में ५,२३० करोड़ रुपये हो गई है। अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लगभग ४६ प्रतिशत कृषि के कारण १३·३ प्रतिशत वाणिज्य और परिवहन और संचार के कारण और ५·९ प्रतिशत छोटे उपक्रमों के फलस्वरूप है। अतः यह तर्क कि कर भार उन्हीं क्षेत्रों पर पड़ना चाहिये जिनके कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, अब बिलकुल असंगत हो जाता है क्योंकि आंकड़े भिन्न हैं।

अब मैं प्रादेशिक विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्देश करूँगा। अब तक भारतीय अर्थ-व्यवस्था का बहुत कम विकास हुआ है और वह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा है। किन्हीं भी

विकास कार्यों के प्रारम्भ में ऐसा एकांगी विकास होना स्वाभाविक है। कुछ विकसित क्षेत्रों में जहाँ कुछ ऐतिहासिक कारणों से औद्योगिक कारखाने स्थापित हो गये हैं, वहाँ उद्योगों का एकत्रीकरण प्रारम्भ हो जाता है और सभी उद्योग ऐसे क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि कलकत्ता, बम्बई और कुछ अन्य स्थानों का इतना अधिक विकास हुआ है। किन्तु प्रारम्भिक दशाओं में ऐसा होना अनिवार्य है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक निश्चित कदम उठाया गया है कि जिन उद्योगों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने के लिये कुछ ज्यादा गुंजाइश हो उन्हें देश के विभिन्न क्षेत्रों में खोला जाये। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र अथवा व्यापारिक निकाय के निर्माण के लिये योजना में उपबन्ध है। अन्त में, छोटे पैमाने के उद्योगों से पर्याप्त औद्योगीकरण के लिये भी ऐसा एक उपबन्ध है।

स्थिति का आकर्षण इन उद्योगों को उन्हीं क्षेत्रों की ओर ले जाता है जहां बहुत अधिक औद्योगीकरण हुआ है। अब यह ठोस प्रयत्न किया जा रहा है कि इन नये उद्योगों को सारे देश भर में फैलाया जाये। विशेषकर कुछ उद्योगों को कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही लाभ होता है। उदाहरणार्थ इस्पात उद्योग या और कोई उद्योग उसी विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है जहाँ कच्चा माल परिवहन या अन्य सुविधायें प्राप्त हों। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना स्थान चुनने के लिये काफी गुंजाइश होती है। ऐसे उद्योगों को देश भर में फैलाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि यह एक कठिन समस्या है किन्तु इसमें संदेह नहीं कि ज्यों-ज्यों विकास कार्यक्रमों की गति तीव्र होती जायगी, कुछ प्रदेशों की प्रारम्भिक कठिनाइयां दूर होती जायेंगी। इन आधारों पर आयोजन से ही दो-तीन योजना-अवधियों में यह समस्या सुलझानी है। यह मख्यत: दीर्घ-कालीन समस्या है।

[**सरदार हुकम सिंह** पीठासीन हुए]

अब मैं एक दो सामान्य बातों के बारे में कहता हूँ। माननीय सदस्य श्री एस० के० पाटिल ने इस बात का समर्थन किया कि छोटी बचतों को राष्ट्रीय बचत में बदल दिया जाये। मेरा केवल यही कहना है कि अभी फिलहाल ये छोटी बचतें छोटे लोगों से, जिनके पास ऋण लेने के अन्य साधन नहीं पहुँच पाते, इकट्ठा की जाती हैं। मेरे विचार से इसका एक राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम बनाना होगा। यह केवल तभी हो सकता है जब हम अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के इस काम को हाथ में लें। इस योजना के संभाव्य सामर्थ्य के विषय में मैं उनसे पूर्ण सहमत हूँ। वे यह कहते हैं कि यदि हम इस जरिये से आमदनी पैदा करें तो योजना में पूरा न किया गया अन्तर पूरी तौर से या आंशिक रूप में किया जा सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५०० करोड़ रुपये का आंकड़ा पहले ही रखा गया है। मेरे विचार से इसे पूरा करना हम सभी का कर्तव्य है। यदि यह ५०० करोड़ रुपये से परे ७०० या १००० करोड़ रुपये तक जाता है, तो उस हद तक अन्य स्रोतों जैसे करारोपण या ऋण-निर्माण पर बोझ हल्का हो जायगा। यह संगठन का प्रश्न है और उसे एक सार्वजनिक आन्दोलन का रूप देने का प्रश्न है। अमृतसर में कांग्रेस ने एक विशेष संकल्प द्वारा प्रत्येक भारतीय को इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिये कहा है। इस विषय पर माननीय सदस्य से मेरा कोई मतभेद नहीं है।

आगे उन्होंने राष्ट्रीय बचतों के विषय में ब्रिटेन में हुई प्रगति का निर्देश करते हुए बताया कि केवल डाक बचत बैंकों से २२०० करोड़ रुपये इकट्ठा किये गये थे। निस्संदेह ब्रिटेन ने बहुत प्रगति की है। वहां प्रत्येक मुहल्ले में बचत समुदाय बनाये गये हैं जो वहाँ राष्ट्रीय बचत आन्दोलन चलाते हैं। उन्हीं तरीकों से हम भी अपना आन्दोलन सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सभा को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि इंग्लैंड में १९४८ और १९५४ के बीच ५० करोड़ रुपये का विनियोजन कम

[श्री बी० आर० भगत]

हो गया है किन्तु उसी अवधि में भारत में छोटी बचतों में कुल २६३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। हमें विश्वास है कि १९५५–५६ वर्ष में बचत में ६५ करोड़ रुपये से कम की वृद्धि नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि अब तक की हमारी प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इसलिये यह आवश्यक है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित ५०० करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हम पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे ।

आन्दोलन को मजबूत बनाने और उसके विस्तार की आवश्यकता और संगठन के बारे में मैं श्री पाटिल के दृष्टिकोणों का पूर्णतया समर्थन करता हूँ। मैं उन्हें और माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि हम इसकी ओर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं। प्रचार के तरीकों को फिर चालू करने के विषय में भी हम जागरूक हैं। मैं उन माननीय सदस्य की एक छोटी गलती को ठीक करना चाहता हूँ । उन्होंने कहा कि इस आन्दोलन के लिये केवल दो लाख रुपये नियत किये गये हैं । मेरे विचार में उन्हें आंकड़ों के सम्बन्ध में गलती हुई है। यह २ लाख रुपया केवल आफिस के लिये तथा बचत विभाग के अधिकारियों के लिये है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रति वर्ष इस कार्य के लिये ६ लाख रुपये का प्रावधान करता है। इस व्यय में मुख्यतः विज्ञापन, पोस्टर, फोल्डर्स तथा सिनेमा सलाईड आदि का व्यय आता है। फिर हमारे पास सप्त वर्षीय और द्वादश वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र भी हैं। उनसे भी अच्छी आय हो सकती है और उस पर कोई आय कर भी नहीं लगता है। हम शीघ्र ही उपहार कूपन की एक योजना चलाने वाले हैं। इसके अन्तर्गत लोग शुभ अवसरों पर लोगों को भेंट करने के लिये डाकघरों से सुन्दर-सुन्दर कार्ड खरीद सकेंगे और इन को प्राप्त करने वाले बाद में इन कार्डों को बचत पत्रों के रूप में बदल सकेंगे ।

†**श्री ए० एम० थामस** : हम इस योजना को नहीं समझे ।

†**श्री बी० आर० भगत** : यह उपहार कूपन हैं। इन्हें डाकघरों से खरीदा जा सकेगा और बाद में ये बचत पत्रों से बदली जा सकेंगी। ये ऐसे होंगे कि इन्हें शुभ अवसरों पर लोगों को भेंट किया जा सकेगा ।

†**श्री ए० एम० थामस** : इन कूपनों की धन राशि क्या होगी ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह अभी विचाराधीन योजना है। निस्संदेह यह मूल्य कुछ कम होगा। यह राशि परिवर्तनशील होगी। यह राशि ५० रुपये से ९९५० रुपये तक की हो सकती है। मैं माननीय सदस्य को इस समय ठीक-ठीक राशि नहीं बता सकता हूँ।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : ये कूपन बचत टिकटों की भांति होंगे।

†**श्री बी० आर० भगत** : अब मैं श्री यू० एम० त्रिवेदी जी की एक दो बातों का उत्तर देता हूं उन्होंने कहा है कि विरोधी दल के सदस्यों का सहयोग नहीं लिया जाता है। मेरे विचार में वह सर्वथा गलती में हैं। यह तो एक राष्ट्रीय कार्य है। हम विरोधी दल के सदस्यों के सहयोग का हृदय से स्वागत करते हैं। श्री रामचन्द्र रेड्डी ने सरकारी दबाव की बात कही है। किन्तु मैं ऐसी कोई बात नहीं देखता हूँ यदि उनके मन में कोई खास बात हो तो वह बतावें। हम उस पर कार्यवाही करने को तैयार हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : (नेल्लोर) : आप को जानकारी न हो किन्तु आप इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ करा सकते हैं ।

†**श्री बी० आर० भगत** : ठीक है, किन्तु यदि माननीय सदस्य कुछ सूचना दे सकें तो हमारे लिये सरल हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ए० के० गोपालन** : हमने बताया तो था किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि आपको कोई उदाहरण चाहिये तो मैं देता हूँ ।

†**श्री बी० आर०भगत** : हां, मैं जानना चाहता हूँ, यदि यह उचित शिकायत होगी तो इसे अवश्य दूर किया जायेगा।

†**सभापति महोदय** : हमें आशा है कि दोनों सज्जन एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।

†**श्री बी० आर० भगत** : इस सम्बन्ध में उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि लोग सरकारी दबाव के कारण जो बचत पत्र खरीदते हैं उसके लिये वे बीमा कम्पनियों तथा बैंको आदि से रुपया ले लेते हैं और उन्हें उस रुपये के ब्याज आदि की गारंटी दे देते हैं। मेरे विचार में बचत पत्र हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। फिर उनका ब्याज भी कोई दूसरा नहीं ले सकता है । कोई भी उसकी गारंटी नहीं दे सकता है। और यदि किसी ने कहीं पर ऐसा किया है तो यह बड़ी आपत्तिजनक बात है। हम.....

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मैं नये उपमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें इस प्रकार का वक्तव्य देने से पहले इस विषय में भली भांति जांच कर लेनी चाहिये ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : क्या आपका तात्पर्य बचत पत्रों से है अथवा बन्द पत्रों से है ?

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मैं बचत पत्रों के विषय में कह रहा हूँ।

†**श्री बी० आर० भगत** : इसके पश्चात् कीमतों के सामान्य प्रश्न का उल्लेख किया गया था। भादरा के माननीय सदस्य ने यह बताया कि देश में कीमतें एक सुदीर्घकालीन बढ़ती का रूप अपना रही हैं। यहां बढ़ती हुई कीमतों का युग सा आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इससे उनका क्या तात्पर्य है। शायद उनका यह तात्पर्य है कि क्षिप्र-मुद्रास्फीति के अनुरूप इसका प्रभाव बड़े लम्बे समय तक अनुभव होता रहेगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : धीरे-धीरे मुद्रा-स्फीति का प्रादुर्भाव होना।

†**श्री बी० आर० भगत** : उन्होंने कहा है कि वह कीमतों सम्बन्धी नीति को समझना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि मुद्रा स्फीति की कौन-कौन सी मेढ़ें हैं और उन पर कैसे नियन्त्रण किया जा रहा है। इस नीति सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर माननीय वित्त मंत्री ही अपने भाषण में देंगे। किन्तु मैं निश्चय ही कीमतों की स्थिति पर कुछ प्रकाश डाल देना चाहता हूँ जिसका कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है।

१९५५ के मध्य से लेकर थोक कीमतों का सामान्य देशनांक लगभग ८ प्रतिशत बढ़ गया है। किन्तु १९५४ अप्रैल तक यह निरन्तर घटते घटते १५ प्रतिशत तक आ गया था । प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में विशेषकर १९५० से कीमतों की गति का अध्ययन करना दिलचस्पी से खाली नहीं है। यह गति टेढ़ी-मेढ़ी रही है। जून, १९५० और अप्रैल, १९५१ के दौरान में यह १५·६ बढ़ गया ; अप्रैल १९५१ से फरवरी १९५२ की अवधि में यह १९·८ प्रतिशत गिर गया; फरवरी १९५२ से अगस्त, १९५३ की अवधि में यह ११ प्रतिशत बढ़ गया और अप्रैल, १९५४ तक यही स्थिति जारी रही। अप्रैल, १९५४ से अप्रैल, १९५५ तक यह १५ प्रतिशत गिर गया और मई, १९५५ से दिसम्बर, १९५५ में फिर ७·७ प्रतिशत बढ़ गया।

†**श्री ए० के० गोपालन** : यह तो ज्यादा ही भयानक स्थिति है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (खम्मम्) : तो मुद्रा स्फीति का दौर शुरू हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० आर० भगत** : लेकिन हमें देखना चाहिये कि हाल ही में गति कैसी रही है। हमें देखना चाहिये कि कीमतों क्यों बढीं और फिर १९५४ के उत्तरार्ध में क्यों गिर गई। बात यह है कि अप्रैल, १९५४ में वस्तुओं से नियन्त्रण उठ गया और उनकी सप्लाई बढ़ने लगी। पूर्ति के अधिक दबाव के कारण ही मूल्यों पर इतना प्रभाव पड़ा। पूर्ति की यह बढ़ती १९५३–५४ और १९५४–५५ में कृषि उत्पादन के बढ़ने के कारण हुई और फिर उसी समय कन्ट्रोल हटा दिये गये। कन्ट्रोल के हटने पर लोगों ने संगृहीत भण्डारों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस प्रकार सब ओर से यह दबाब बढ़ता गया। फिर उन दिनों आयात की भी मात्रा अधिक रही इस का कारण यह है कि सभी आर्डर पहले दिये जा चुके थे अतः वह अब आते रहे। और भी उस समय खरीदारों ने समझा कि अब कीमतें नीचे जा रही हैं अतः वह भी खरीदने से रुक गये। लोगों की उपयोग के लिये निजी मांग भी अपेक्षाकृत कोई अधिक न बढ़ सकी। अतः इन सब कारणों के मिल जाने से कृषि वस्तुओं के मूल्य गिर गये।

इसके बाद देश में हल्ला मच गया कि कृषि वस्तुओं के मूल्य गिर रहे हैं। तब सरकार ने कीमतों को गिरने से रोकने की नीति अपना ली। यह १९५४ में कुछ दूर जा कर प्रारम्भ की गई जब कि काश्तकार अपना माल लगभग व्यापारियों के हाथों बेच चुका था। अतः तत्काल ही कीमतों के गिरने पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। किन्तु बाद में १९५५ में यह गति रुक गई और कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। १९५५ की अन्तिम तिमाही से १९५६ के प्रारम्भ तक यह गति वृद्धि की ओर ही रही। इसका मुख्य कारण यह था कि अब उत्पादन आशा से कम हुआ। देश के कई भागों में सूखा पड़ गया था कई भागों में बाढ़ें आ गई थीं, तथा यह विचार कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक रुपया लगाया जायेगा तथा १९५५ में अचानक मुद्रा-प्रसार में २०० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, इन सभी कारणों से कीमतें बढ़ती गईं।

अतः हम कह सकते हैं कि कीमतों की यह वृद्धि सामान्य न होकर एक विशेष प्रकार की ही रही है। दूसरे यह गति प्रति वर्ष वक्राकार रही है। अब चाहे यह सुदीर्घकालीन मुद्रा-स्फीति हो चाहे कुछ अन्य मैं यह नहीं जानता हूँ परन्तु सरकार इस मामले को काफी महत्व दे रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वह इन आर्थिक सूचकों पर हमेशा ध्यान रखते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि वह देखेंगे कि स्थिति खतरे से भरी है तो वह शीघ्र ही इस को नियन्त्रण में लाने का प्रयत्न करेंगे।

सरकार ने अभी कीमतों के नियन्त्रण के लिये कुछ उपाय किये हैं। उसने निर्यात पर पाबन्दी लगा दी है, अपने भण्डारों से सामग्री निकालनी शुरू कर दी है और कुछ वस्तुओं के आयात को बढ़ा दिया है। दिसम्बर, १९५५ और जनवरी, १९५६ में सरकार ने बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में अपने भंडारों से गेहूँ निकाल कर इन स्थानों के बाज़ार भाव से कम मूल्य पर बेची। यह भी घोषणा कर दी गई है कि १९५६ के प्रारम्भ में सरकार २,५०,००० टन गेहूँ का आयात कर रही है। और इसके साथ ही आटे, सूजी और मैदे का निर्यात बन्द कर दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार आदि कई स्थानों से निर्यात रोक दिया गया और वहां पर कीमतों को गिरने से रोकने की नीति लागू कर दी गई।

इसी प्रकार वायदा बाजार आयोग द्वारा ईस्ट इंडिया कपास संस्था को एक निर्देश दिलाकर फरवरी और मई के सभी संविदे बन्द कर दिये गये।

इन सभी बातों से पता चलता है कि सरकार बड़ी सक्रिय है और वह कीमतों को अपने काबू से बाहर न जाने देने के लिये हर कदम उठा रही है। वास्तव में नियोजन के लिये यह एक बड़ा आवश्यक

---

†मूल अंग्रेजी में

तत्व है कि कीमतें अधिक न बढ़ने पायें। वास्तव में हमारी योजना का यही मूल उद्देश्य है। हमारी योजना कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम केवल नौकरियां दिलाने के उद्देश्य से उत्पादन बढ़ाते रहें। हम स्थिरतापूर्वक विकास करना चाहते हैं। यही हमारी योजना का निचोड़ है, और हम इस से भली भांति परिचित हैं। हम कभी भी कीमतों को काबू से बाहर नहीं जाने देंगे।

डा० कृष्णस्वामी ने कहा है कि उन्हें भय है कि कीमतें अगले दो-तीन वर्ष में कहीं ४० प्रतिशत तक न बढ़ जायें। यदि ऐसी बात होने लगे तो योजना एक ही वर्ष में असफल हो जाये। सरकार कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने देगी। हम इस बात के लिये दृढ़निष्ठ हैं।

अब मैं अन्त में बेकारी की समस्या की ओर आता हूँ। मैं केवल सभा को इसका परिमाण बताने का प्रयत्न करूँगा। कई सदस्यों ने कहा है कि योजना का क्या लाभ है जबकि बेकारी का मूल प्रश्न ही नहीं हल हो पाया है। मेरे विचार में उन्हें कुछ सबर से काम लेना चाहिये। उन्हें हताश नहीं होना चाहिये। हमें अनिश्चितता और उदासी की बात छोड़ कर अपनी सफलताओं पर प्रसन्न होना चाहिये। हम धीरे-धीरे इस समस्या को हल कर रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पृष्ठ यही भावना काम कर रही है। हमें उसके द्वारा आशा का सन्देश देना है।

वास्तव में सभी अल्पविकसित देशों की यही समस्या है। यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १ करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाने का लक्ष्य रखा गया है तथापि हमें बेकारी की समस्या को असाध्य रोग नहीं समझना चाहिये। पश्चिम की औद्योगिक की अर्थ-व्यवस्था में हम प्रायः ऐसी समस्याओं को देखते रहते हैं। यह कहीं पर आर्थिक वृद्धि के रुक जाने के कारण उत्पन्न हो जाती है। बिना आगे बढ़े हम इसे हल नहीं कर सकते हैं। हमें इसे अल्पकालीन प्रश्न के रूप में ही नहीं देखना चाहिये यद्यपि मैं यह नहीं कहता कि हमें अल्पकाल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिये। कुछ सदस्यों ने कहा है कि जब वे अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो पढ़े लिखे नौजवान उनके पास आते हैं और उन्हें नौकरी दिलाने के लिये कहते हैं। उन्होंने इस चित्र का बड़े करुणापूर्वक ढंग से वर्णन किया है। मैंने भी ऐसी बातें देखी हैं। लेकिन आखिर हम उनके साथ क्या कर सकते हैं?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : किन्तु वे कोई शारीरिक काम नहीं करना चाहते हैं।

†**श्री बी० आर० भगत** : यद्यपि अल्पकालीन पहलू भी महत्वपूर्ण है तथापि हम केवल इसी में ही भूले नहीं रह सकते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिये दूरदर्शी होना चाहिये। हाँ जहाँ तक सम्भव हो, अल्पकाल में भी हम उतनी बातें करने को तैयार हैं।

इस योजना के अन्तर्गत लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा जिसमें से ८० लाख को कृषि से भिन्न अन्य व्यवसायों में और शेष को कृषि व्यवसायों में लगाया जायेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : हम यह जानना चाहते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में कितनी सफलता हुई है?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : पचास लाख।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितने व्यक्ति बेरोज़गार रह गए हैं?

†**श्री बी० आर० भगत** : माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें। पंचवर्षीय काल में तत्काल ही भूमि पर निर्भर जनसंख्या को निरपेक्ष माने में कम करना सम्भव नहीं है। किन्तु कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि की दर पहले से कम होगी। भारत के रिज़र्व बैंक के आर्थिक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बी० आर० भगत]

सलाहकार के प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना में जो एक करोड़ लोगों को काम दिलाने की अपेक्षा करती है—८० लाख कृषि क्षेत्र में और २० लाख गैर-कृषि क्षेत्र में----कृषि क्षेत्र का अनुमान कम है। उनके अनुसार रोज़गार मिलने वाली संख्या का दिग्दर्शन कम प्राक्कलित किया गया है क्योंकि इसमें न केवल कृषि में लगाये जाने वाली काफी राशि के प्रभाव को नहीं आंका गया है वरन् अप्रत्यक्ष रोज़गार, सिंचाई का प्रभाव, भूम्योद्धार तथा कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के अन्य उपायों का भी हिसाब नहीं लगाया गया है। उनका विचार है कि कामगारों की संख्या में होने वाली कुल वृद्धि के लिये गैर-कृषितर रोज़गार दिलाने का लक्ष्य वांछनीय है; किन्तु वह इस बात पर जोर देते हैं कि इससे कृषि पर, जो उत्पादक क्रिया का सब से बड़ा एकल क्षेत्र है, किये जाने वाले वृहत आयोजित व्यय के रोज़गार को उपेक्षित नहीं कर देना चाहिये। इसके पश्चात् वह कुछ आंकड़े देते हैं। इस बात से सावधान करते हुए कि बेरोज़गारी अथवा अपूर्ण रोज़गारी की वृहतता सम्बन्ध में संतोष-भावना नहीं होनी चाहिये, वह इस बात पर जोर देते हैं कि वृहत् कृषि विकास से उद्भूत रोज़गारी की महत्ता को भूलना नहीं चाहिये और उसे महसूस करना चाहिये। उनका कहना है कि यदि कृषि पर निर्भर जनसंख्या सन् १९५१ में ७० प्रतिशत थी और सन् १९५६ में भी उतनी ही रहे तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह ६७ प्रतिशत रह जाये, जब तक कि कृषि क्षेत्र में भी बहुत वृद्धि हो चुकेगी, तो यह स्पष्ट है कि योजना कृषि पर दबाव रोकने में पूर्ण सफल होगी। इसके अतिरिक्त यदि यह क्रिया जारी रहेगी तो अब से दस वर्ष में अनुपात घट कर ६३–६४ प्रतिशत रह जायेगा। यह बहुत उत्साहजनक बात है। बेरोज़गारी अथवा अपूर्ण रोज़गारी भूमि पर अधिक दबाव होने के रूप में व्यक्त होती है। अब यह ७० प्रतिशत से घट कर ६३ प्रतिशत रह जाती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा इसका दीर्घ-कालीन पहलू महत्वपूर्ण है। किन्तु अब मैं शिक्षित बेरोज़गारी के लघु-कालीन पहलू पर आता हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि छोटे पैमाने के उद्योगों की वृद्धि तथा अंबर चर्खा से इस वर्ग के लोंगों को अधिक रोज़गार मिलेगा। योजना आयोग ने इस समस्या का अध्ययन करने तथा इसका तत्काल सामना करने के लिये कुछ कदम उठाने के लिये एक परिषद् नियुक्त की है। योजना से निश्चित रूप से शिक्षित श्रमिकों, टेक्नीशियनों, सुपरवाइजरों आदि के लिये बहुत मांग बढ़ेगी। इसके साथ-साथ परिस्थिति को सुगम बनाने के लिये विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ सकती है। परिषद् के प्रतिवेदन पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। इस मद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कुछ व्यवस्था है तथा शिक्षित बेकारों को मदद करने की स्कीमें तैयार की जा रही है। योजना में जो उपबन्ध है उसका आशय परिषद द्वारा सिफारिश किये गये कुछ कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना है। शिक्षित बेकारों की रुचियां तथा कार्यक्षमता भिन्न-भिन्न होती हैं। प्रादेशिक तथा व्यवसायिक अचलता के प्रश्न भी हैं। अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि दामोदर घाटी निगम में नीचे के इंजीनियरिंग कर्मचारियों की संख्या अधिकाई में हैं। किन्तु कोसी से अधिकाधिक मांग आ रही है। यह अचलता दूर की जानी है। इस समय भी कुछ दिशाओं में आधिक्य है जब अन्य में कमी है। यह समस्या महज़ अधिक वित्तीय उपबन्ध द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती; समस्या है प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार करने की, सचलता बढ़ाने की तथा शिक्षित बेकारों की प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक क्षेत्र में उपयुक्त उपाय करने की। इन दिशाओं में अनवरत प्रयत्न करने तथा अनुभव के साथ-साथ कार्यक्रमों में समन्वय करने से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : क्या मैं जान सकता हूँ कि एक करोड़ लोगों के रोज़गार का मूल लक्ष्य अब भी कायम है अथवा उसमें कुछ कमी कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० आर० भगत** : यह वही है ।

†**श्री झूलन सिंह** (सारन—उत्तर) : बजट का मसौदा दो चीजों की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है – प्रथम, प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय, इस योजना में प्राप्त प्रगति को आगे बढ़ाने का देश का दृढ़ निश्चय । प्रथम पंचवर्षीय योजना की महान् सफलता किसी भी देश के लिये गर्व करने की बात हो सकती है । इस पृष्ठभूमि की दृष्टि में यह बजट सर्वोत्तम है । इसमें और अधिक सुधार करने की ज्यादा गुंजाइश प्रतीत नहीं होती ।

जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बतलाया, धन का प्रबन्ध या तो प्रत्यक्ष करारोपण से अथवा देश के अन्दर उधार लेने से अथवा विदेशों से प्राप्त सहायता से अथवा घाटे की अर्थ-व्यवस्था से किया जाना है । इन सब पर मेरी अपनी निश्चित राय है ।

जहां तक करारोपण का प्रश्न है, मेरा विचार है कि हमारे समाजवादी लक्ष्य की दृष्टि में हमारी करारोपण व्यवस्था संतोषजनक नहीं है । देश में करारोपण के लिये अभी काफी रुपया है । मेरी यह भी अनुभूति है कि निम्नतम वर्ग के लोगों को अभी तक स्वतन्त्रता का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिये सामान्य जनता को कर भार से मुक्त होना चाहिये । यह चीज़ इस बजट में नहीं है । वरन् मोटे कपड़े पर कर लगाया गया है । मुझे मालूम है कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये वित्त मंत्री को अतुल धन राशि की आवश्यकता है । किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि सामान्य व्यक्ति को यह दर्शाया जाए कि जो स्वतन्त्रता हमने प्राप्त की है वह उसी के लिये है ।

जहां तक देश के अन्दर उधार लेने का प्रश्न है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से सहमत हूँ कि इस दिशा में देश में उपलब्ध समस्त साधनों का बजट को पूर्ण करने के लिये उपयोग किया जाये । जहां तक विदेशों से सहायता का सम्बन्ध है, संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सहायता पर हम जितना भी कम निर्भर रहें उतना ही अच्छा । इसमें सन्देह नहीं कि हमारा देश सशर्त सहायता मंजूर नहीं करेगा, किन्तु फिर भी हृदय में जो स्वतन्त्रता की भावना है वह इससे क्षीण होती है । घाटे की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में, मेरा विश्वास है कि वित्त मंत्री ने जिस सीमित दायरे में उसे प्रस्तावित किया है, वह बुरा नहीं है । यह रुपया उत्पादन कार्यों में लगाया जाना चाहिये, मुख्यत: उपभोक्ता माल के उत्पादन में । घाटे की अर्थव्यवस्था से जो मुद्रा-स्फीति का प्रभाव होगा वह इस रुपये से उत्पादित होने वाले माल से निरसित हो जायेगा ।

सब बातों को देखते हुए, बजट में कृष्य, औद्योगिक, तथा अन्य क्षेत्रों के व्यय में बहुत अच्छा समन्वय किया गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में देश ने जो महान् प्रगति की है वह हम देख ही रहे हैं । दिल्ली को ही लीजिये । जब सन् १९५२ में हम यहां आये तो हमें भोजन तथा कपड़े की आवश्यकतायें भी पूरी करने में बड़ी कठिनाई होती थी राशन कार्ड पर जो अनाज मिलता था उससे मेरे जैसे स्वास्थ्य के व्यक्ति का पेट भरना तो असम्भव ही था तथा चोर-बाजार की शरण लेनी पड़ती थी । किन्तु अब बाजार में सब वस्तुयें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । अन्य क्षेत्रों में तथा ग्रामों में जहाँ भी मैं गया वहाँ मैंने खाद्यान्नों के मामले में कोई कमी नहीं देखी । स्त्री-पुरुषों को अब सब स्थानों पर सब प्रकार के कपड़ों में देखा जा सकता है ।

इस पृष्ठ भूमि में यदि बजट में, कृषि से हटकर दूसरे उद्योग पर कुछ अधिक ज़ोर दिया गया है तो यह बिल्कुल न्यायोचित है । खाद्यान्नों में हम न केवल आत्म-निर्भर हो गये हैं वरन् निर्यात भी कर रहे हैं । कपड़े का निर्यात भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है ।

मैं वित्त मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूँ । मैं प्रादेशिक समानता के बहुत विरुद्ध हूँ क्योंकि इससे न केवल मेरे राज्य बिहार को हानि हुई है वरन् देश के अन्य भागों को भी प्रादेशिक समानता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झूलन सिंह]

के इस सिद्धान्त से हानि हुई है । दामोदर घाटी योजना से बिहार की अपेक्षा बंगाल को अधिक लाभ हुआ है और फिर भी बिहार को इसमें अंशदान देना पड़ा है। फिर, प्रादेशिक समानता तथा लोहे के कारखाना की स्थापना का प्रश्न लीजिये। मेरे राज्य में न केवल कच्ची धातुएं उपलब्ध हैं अपितु अन्य सब सुविधायें जैसै सस्ते मजदूर, सस्ता यातायात आदि उपलब्ध है, किन्तु फिर भी बिहार को लोहे के एक और कारखाने की स्थापना से वंचित रक्खा गया क्योंकि वहां टाटा का लोहे का कारखाना मौजूद था। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने चाहियें जो उनके लिये सबसे उपयुक्त हों ।

†**श्री पोकर साहेब** (मलप्पुरम्) : समाजवादी ढंग के समाज का इतना शोर मचाया जा रहा है, किन्तु इसकी प्राप्ति के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना को राष्ट्र उद्धारक बताया जाता है, परन्तु मेरे राज्य मद्रास के साथ तो सौतेली मां वाला व्यवहार किया गया है, तथा केरल की स्थापना का बहाना लेकर मद्रास की तामिल सरकार ने मलाबार जिले की सर्वथा उपेक्षा कर दी है। मलाबार के केरल में मिलने से पहले तो मद्रास को इस के लिये कुछ व्यवस्था करनी चाहिये थी। यदि मलाबार का अब ध्यान न रखा गया, तो यह जिला आगामी योजना में बिल्कुल उपेक्षित ही बना रहेगा। यह अच्छी बात नहीं है ।

गत वर्ष मैंने इरनाड में कागज़ का कारखाना और कुछ दूसरे उद्योग खोलने के बारे में कहा था, परन्तु मलाबार के लिये मद्रास की सरकार ने कुछ भी धन नहीं रखा, हालांकि मलाबार मद्रास का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, और इसका ऐतिहासिक महत्व है। क्योंकि मद्रास सरकार ने इसकी उपेक्षा कर दी है इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह मलाबार के प्रति न्याय करते हुए दूसरी योजना में इसको स्थान देने का प्रयत्न करें ।

सरकार को समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण को ध्यान में रखते हुए भूमि सम्बन्धी निश्चित नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये। इस नीति का अखिल भारतीय आधार होना चाहिये और परिस्थिति के अनुसार कुछ हेरफेर की गुंजाइश रखी जानी चाहिये। व्यक्तियों या परिवारों के लिये भी भूमि की सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिये।

बहुत से लोगों के पास एक इंच भी भूमि नहीं और कुछ लोगों के पास बहुत भूमि है। इसलिये भूमि के बारे में समानता लाना आवश्यक है। परन्तु एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जिन लोगों से भूमि ली ज़ाये, उन्हें उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रतिकर देने के बारे में एक बार सरकार ने अपनी कठिनाई व्यक्त की थी। परन्तु मैं कहता हूँ कि जिन लोगों से नियत मात्रा में भूमि छोड़ कर उसके अतिरिक्त भूमि ली जाती है, उन्हें किश्तों पर, सरल किश्तों पर प्रतिकर अवश्य मिलना चाहिये। इसका उपाय यह हो सकता है कि जिन लोगों को भूमि दी जाये, उन्हें कहा जाये कि वे सरल किश्तों पर उस भूमि का प्रतिकर अदा करें। इस प्रकार किसी को भी कोई कष्ट या असुविधा नहीं होगी।

समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण में सरकार का समाज सुधार के बहाने लोगों की धार्मिक विधियों में हस्तक्षेप करना सर्वथा हेय है। यह कार्रवाई आर्थिक नीति को कार्यान्वित करने के लिये सर्वथा अनावश्यक है और लोगों के मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है। यदि सरकार इसी प्रकार का विधान बनाती रही, तो देश और समाज की व्यवस्था छिन्न विछिन्न हो जायेगी। हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक आदि विधानों के द्वारा लोगों पर मनमानी विधियां थोपना देश की आर्थिक प्रगति के लिये आवश्यक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं हिन्दु उत्तराधिकार विधि का इसलिये उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि विधि मंत्री ने एक बार मुझे कहा था कि सरकार दीवानी कानून को एक रूप बताना चाहती है और जब देश की ८५ प्रतिशत जनसंख्या हिन्दुओं के लिये यह बन जायेगा, फिर शेष समुदायों के लिये इसे लागू करना सरल कार्य होगा। ये सामाजिक विधियां और रूढ़ियां आर्थिक विकास में बाधा हैं यह धारणा सर्वथा गलत है। इन का आर्थिक विकास से कोई सरोकार नहीं है।

राष्ट्रपति ने अपने दौरे में लक्ष-द्वीव द्वीपों को भारत के साथ मिलाने वाले जहाजों को चलाने की प्रतिज्ञा की थी। इसको शीघ्र ही कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। भारतवर्ष में जो विधियां लागू हैं वे लक्ष-द्वीव में लागू नहीं होतीं और न ही वहां शिक्षा या चिकित्सा की कोई व्यवस्था है। इन बातों की ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये। भारत और इन द्वीपों के लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार करना उचित नहीं है। इन को भी देश के भोगे जाने वाले अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहियें।

इन द्वीपों को केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में लेने का अर्थ उनकी वर्तमान स्वतन्त्रता को छीन लेना होगा, इसलिये ऐसी प्रस्थापना पर विचार करना भी उचित नहीं है।

बहुत से भारतीय बर्मा में व्यापार करके धन कमा रहे हैं, परन्तु बर्मा सरकार उन को वह रुपया भारत में लाने नहीं देती। इधर हम उन की विश्व आय के आधार पर उनसे कर मांगते हैं और उन्हें अदा करने की कुछ अवधि भी नहीं दे रहे हैं। जब तक वे बर्मा से अपना धन न ला सकें, वे यहां के करों का भुगतान कैसे कर सकते हैं? इसलिये उन्हें कुछ रुपया दिया जाना चाहिये, ताकि वे वहां से धन लाकर यहां के करों का भुगतान कर सकें।

इस सभा में अंग्रेजी और हिन्दी में कार्रवाई होती है। कुछ सदस्य अंग्रेजी नहीं समझ सकते और कुछ सदस्य हिन्दी नहीं समझ सकते। इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ या दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समान यहां कार्रवाई का साथ ही साथ हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद करने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि सभा की कार्रवाई को सब लोग अच्छी तरह समझ सकें।

श्री आर० के० गुप्त (महेन्द्रगढ़) : इस साल का बजट खास अहमियत रखता है क्योंकि यह सेकिंड फाइव इयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) का पहला बजट है। जहां तक बजट का ताल्लुक है इसमें कोई ३९० करोड़ का डिफिसिट (घाटा) दिखाया गया है जिसमें से तकरीबन ३३८ करोड़ १७ लाख कैपिटल एकाउंट पर (पूंजी लेखा) और बाकी ५१ करोड़ ८३ लाख रेवेन्यू एकाउंट (राजस्व लेखा) पर है। टैक्सों के ज़रिये सिर्फ ३४ करोड़ १५ लाख की रकम वसूल करने की कोशिश की गई है। मेरी यह राय है कि अगर ज्यादा टैक्स लगा कर इस डिफिसिट (घाटा) को और कम करने की कोशिश की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि सैकिंड फाइव इयर प्लान के लिये हमें कोई ४,८०० करोड़ रुपये की जरूरत होगी और जिन सोर्सिस (साधनों) से इस रुपये को हासिल करने का जिक्र किया गया है, उन पर हम ज्यादा डिपेंड (निर्भर) नहीं कर सकते। उदाहरण के लिये एक सोर्स (साधन) यह बताया गया है कि फारेन एसिस्टेंस (विदेशी सहायता) के ज़रिये हमें कोई ८०० करोड़ रुपया मिल जाएगा। मेरा कहना यह है कि हम इस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। साथ ही साथ दूसरे मुल्कों से मदद लेना हमारी आन और शान के खिलाफ भी होगा। इस फारेन एसिस्टेंस (विदेशी सहायता) के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस का ज्यादातर दारोमदार आने वाले स्यासी हालात पर भी डिपेंड (निर्भर) करता है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करूँगा कि वह इस डिफिसिट को पूरा करने के लिये और सेकिंड फाइव इयर प्लान को कामयाब बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा टेक्स लगायें।

[श्री आर० के० गुप्त]

जब हम सेकिंड फाइव इयर प्लान को देखते हैं तो उसमें यह लिखा हुआ हम पाते हैं कि इसका एक मकसद यह भी है कि इनकम्ज़ (आयों) के अन्दर जो अन्तर है उसको कम किया जायगा, अनएम्प्लायमेंट (बेकारी) को खत्म किया जायेगा, स्टैंडर्ड आफ लिविंग (जीवन स्तर) को ऊंचा किया जाएगा। लेकिन जब हम इस बजट पर नज़र डालते हैं तो हमें महसूस होता है और हमें सन्देह होता है कि अगर हम ने शुरू से ही इस ढंग से काम किया तो हो सकता है कि हम सेकिंड फाइव इयर प्लान को कामयाब न बना सकें। मेरा ख्याल है कि जिस वक्त यह बजट बनाया गया था उस वक्त माननीय मंत्री जी के दिमाग में यह था कि जिस तरह से भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश की जाये। इस पालिसी को मैं गलत समझता हूँ। इसका नतीजा यह होता है कि इससे कोई भी खुश नहीं होता। इसलिये मैं अपील करता हूँ कि नए टैक्सिस के ज़रिये आमदनी को बढ़ाने की कोशिश की जाए और इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी के सामने चन्द तजवीजें पेश करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह इन पर ध्यान देंगे।

सब से पहली मेरी तजवीज यह है कि ऐस्टेट ड्यूटी (संपदा शुल्क) को बढ़ा दिया जाए। दूसरी तजवीज़ यह है कि इनकम और प्रापर्टी पर सीलिंग (आय और संपत्ति का अधिकतम) मुकर्रर कर दी जाये। तीसरी तजवीज़ मेरी यह है कि जो रूलर्ज़ के प्रिवी पर्सिस (राजाओं की निजी थैलियां) हैं उनको कम कर दिया जाये। प्रिवी पर्सिस को कम करने की तज़वीज मैं इसलिये पेश कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जिस वक्त कांग्रेस हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी उस वक्त इन राजाओं और महाराजाओं ने जो पार्ट प्ले (काम) किया उसको किसी भी हालत में सही करार नहीं दिया जा सकता है। आज हिन्दुस्तान को आज़ाद हुए आठ-नौ बरस हो गए हैं और आज भी हम यह देख रहे हैं कि इन राजाओं और महाराजाओं के पास जो सरमाया है वह पहले से भी ज्यादा होता जा रहा है। इसलिये मैं अपील करूँगा कि उनके इन प्रिवी पर्सिस को काफी कम कर दिया जाय ताकि जो रुपया इस तरह से हमारे पास आए उसको हम नेशन (राष्ट्र) की भलाई के कामों में खर्च कर सकें। इसके साथ ही साथ मेरी यह भी राय है कि बैंकिंग को नेशनलाइज़ (बैंकों का राष्ट्रीयकरण) कर दिया जाये। ऐसा करने से आपको सब से बड़ा फायदा यह होगा कि आज जो स्माल सेविंग (अल्प बचत) की स्कीम चल रही है यह कुछ हद तक कामयाब हो जायेगी। बड़े बड़े सरमायादार लोग आज अपना रुपया प्राइवेट बैंकों में जमा करवाते हैं और अगर बैंकिंग गवर्नमेंट के कब्ज़े में आ जायेगा तो उसमें जो भी रुपया जमा हुआ करेगा उसको गवर्नमेंट सैकिंड फाइव इयर प्लान को कामयाब बनाने में खर्च कर सकेगी।

अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि .....

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६ क साढ़े दस बजे तक के लिये स्थागित ई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १५ मार्च, १९५६]

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव १११३–१४

अध्यक्ष महोदय ने एक स्थगन प्रस्ताव के रखे जाने की अनुमति नहीं दी जिसकी सूचना श्री यू० एम० त्रिवेदी ने दी थी। स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में था कि भारत सरकार ने जनसंघ दल के नेताओं को जम्मू में नगरपालिका के चुनावों के सम्बन्ध में काम करने के लिये वहां जाने की अनुमति नहीं दी।

राज्य-सभा से संदेश १११४

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने ९ मार्च, १९५६ की अपनी बैठक में भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५ को, जो १६ दिसम्बर, १९५५ को लोक-सभा में पारित हुआ था, संशोधनों के साथ पारित किया है और विधेयक इस प्रार्थना के साथ वापस भेजा है कि उन संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति की सूचना राज्य-सभा को दे दी जाये।

राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में विधेयक-सभा-पटल पर रखा गया १११५

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक

विधेयक-वापस लेने के लिये प्रस्ताव १११५

गृह कार्य उपमंत्री (श्री बी० एन० दातार) ने प्रस्ताव किया कि मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक को राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में वापस लेने की अनुमति दी जाय। प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सामान्य आय-व्ययक १११६–६३

सामान्य आय-व्ययक पर और आगे सामान्य चर्चा हुई।

सामान्य चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि—

सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा और मद्य निषेध के बारे में ग़ैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा।

M96LSD—15-10-57—190—GIPF